1st

लोक-सभा

शनिवार,
१० दिसम्बर, १९५५

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १०, १९५५

(१० दिसम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

ग्यारहवां सत्र, १९५५
(खंड १० में अंक १६ से अंक २७ तक हैं)
लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १६—शनिवार, १० दिसम्बर, १९५५

मद्रास के तूफान के बारे में वक्तव्य	७०९३–९५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७०९६–९७
राज्य-सभा से सन्देश	७०९७–९८
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	७०९८
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक और भारतीय प्रशुल्क (ततीय संशोधन) विधेयक	७०९८–७१३८
खंडों पर विचार	७१३६
पारित करने का प्रस्ताव	७१३७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें	७१३७–७२१२
दैनिक संक्षेपिका	७२१३–१४

संख्या १७—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७२१५–१६
राज्य-सभा से सन्देश	७२१६–१७
विधि जीवी परिषद् (राज्य विधयों का मान्यीकरण) विधेयक	७२१७
संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक	७२१७–२४
विचार करने का प्रस्ताव	७२१७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६	७२२४–७३२३
विनियोग (संख्या ४) विधेयक	७३२३–२५
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१	७३२६–३५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक	७३३५–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	७३३७–३८
विचार करने का प्रस्ताव	७३३८
दैनिक संक्षेपिका	७३३९–४१

संख्या १८—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	७३४३
संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक खंड २ और १	७३४३–८४
पारित करने का प्रस्ताव	७३८१
राज्य-सभा द्वारा प्रस्तावित रूप में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक	७३८४–७४८७
विचार करने का प्रस्ताव	७३८४–७४८७
श्री पाटस्कर	७३८६–७४१६

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध विधेयक, १९५५ ७४१७–५२
विचार करने का प्रस्ताव खंड २ से २१ और १ ७४४६–४७
पारित करने का प्रस्ताव ७४४७
दैनिक संक्षेपिका ७४५३–५४

संख्या १९—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७४५५–५८
राज्य-सभा से सन्देश ७४५६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७४५६–७५४४
दैनिक संक्षेपिका ७५४५–४६

संख्या २०—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति–
बयालीसवां प्रतिवेदन . . ७५४७
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५४७–७६२२
दैनिक संक्षेपिका ७६२३–२४

संख्या २१—शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश . . ७६२५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ७६२६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी.समिति—
बारहवां प्रतिवेदन . . . ७६२६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७६२६–७२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ७६७३–८२
मध्यस्थ निर्णय (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३९ आदि का संशोधन) . ७६८३
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक नई धारा २क का रखा जाना . ७६८३
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक धारा २८ का संशोधन ७६८३–८४
बीमा (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४४क का रखा जाना) . ७६८४
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३ का रखा जाना) ७६८४–८९
विचार करने का प्रस्ताव ७६८४
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (धारा २ आदि का संशोधन) ७६८९–७१०
विचार करने का प्रस्ताव खंड २, ३ और १ . . . ७६९०–७१०
मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५ आदि के स्थान पर रखा जाना) . ७७१३
विचार करने का प्रस्ताव ७७१३
दैनिक संक्षेपिका ७७१५–१८

स्तम्भ

संख्या २२—शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

श्री आर० के० चौधरी का निधन ७७१९–२०
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७७२०–२१
राज्य पुनर्गठन आयोग के सम्बन्ध में याचिकायें ७७२१
राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में प्रस्ताव ७७२१–७८१२
दैनिक संक्षेपिका ७८१३–१४

संख्या २३—सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

अनुपस्थिति की अनुमति ७९१५–१६
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७८१६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में सन्देश ७८१७–७९४२
दैनिक संक्षेपिका ७९४३–४४

संख्या २४—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७९४५–४६
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७९४६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७९४७–८०४३
सदस्यों के लिखित वक्तव्य ८०४३–५२
दैनिक संक्षेपिका ८०५३–५४

संख्या २५—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८०५५–५६
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . ८०५६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ८०५७–८१६१
सदस्यों के लिखित वक्तव्य ८१६१–६६
दैनिक संक्षेपिका ८१६७–६८

संख्या २६—गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेतालीसवीं से छयालीसवीं बैठकों की कार्यवाही ८१६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८१६९–७१
नदी बोर्ड विधेयक . . ८१७२
अन्तर्राज्यीय जल विवाद विधेयक ८१७२
लाभ पदों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन ८१७२
याचिकाओं सम्बन्धी समिति—
सातवां प्रतिवेदन ८१७३
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिका ८१७३–७४

स्तम्भ

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि स्थगन प्रस्ताव . .	८१७४–७५
अगरतला में राताचेरा की स्थिति	८१७५–८३
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	८१८३–८३४२
सदस्यों के लिखित वक्तव्य .	८३१२–४२
दैनिक संक्षेपिका .	८३४३–४६

संख्या २७––शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	८३४७–४८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	८३४८–४९
प्राक्कलन समिति––	
सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन .	८३४९
राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में याचिकायें	८३४९
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक .	८३५०
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . .	८३५०
स्थगन प्रस्ताव	८३५०–५१
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	८३५१–८७६०
सदस्यों के लिखित वक्तव्य .	८४७७–८७६०
दैनिक संक्षेपिका . .	८७६१–६४
सत्र का सारांश .	८७६४–६८
अनुक्रमणिका	(१–५४)

लोक-सभा

शनिवार, १० दिसम्बर १९५५

लोक-सभा ११ बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये---भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

मद्रास के तूफान के बारे में वक्तव्य

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): अभी हाल में तूफान से कारोमंडल तट पर जो क्षति पहुँची है, वह पहले से ही सभा जानती है। देश के उस भाग में रेलवे व्यवस्था को जो नुकसान पहूंचा है उसकी जानकारी में सभा को देना चाहता हूँ।

३० नवम्बर, १९५५ को कारोमंडल तट पर एक तूफान से दक्षिणी रेलवे के त्रिचनापल्ली प्रदेश के छोटी लाइन के अनेक भागों को नुकसान पहूँचा है। तूफान के साथ भारी वर्षा थी और उस कारण रेलवे लाइनें टूट जाने से या उन पर पानी बहने से निम्न भागों में रेलों का आना जाना बन्द है :

(१) तिरूथुराइपुन्डी—तोप्पुनुराई
(२) तिरुवरुर—अरन्तन्गी
(३) तन्जौर—नागौर
(४) निदमंगलम्—मन्नारगुडी
(५) पेरालभ्—करैक्कल
(६) मायावरम्—त्रंकेबार
(७) मायावरम्—तिरुवरुर
(८) त्रिचनापल्ली—शिवगंगा
(९) मनमदुराई—सत्तीराक्कुडी
(१०) मदुरा—सत्तीराक्कुडी
(११) रामनद—धनुषकोडी

उपरोक्त कुछ विभागों में कुछ तो तूफान के कारण और कुछ भारी बाढ़ और कटाव के कारण रेलवे लाइनें, कर्मचारियों के मकानों, स्टेशन की इमारतों और सिग्नलों आदि को नुकसान पहूंचा है। तूफान का केन्द्र पूर्वी तट पर स्थित पाइंट कालीमीर था और तूफान का सब से अधिक जोर तंजौर-नागौर भाग में और रामनद जिले के किनारे के भाग में, उत्तर में नागापटम से कराइक्कुडी और भीतर मनमदुराई तक था। समुद्री पानीय आदिरा-पत्तनम तक लाइन पर और नागौर के चारों ओर आ गया। आदिरायपत्तनम और नागौर के चारों ओर गांवों को भारी नुकसान पहूंचा। संयोगवश अभी तक रेलवे कर्मचारी या उनके परिवारों में से किसी की मृत्यु का समाचार नही मिला नागरिक अवश्य हताहत हुए हैं।

ज्यों ही तूफान कम हो गया, रेलों के आना जाना फिर प्रारम्भ करने के लिये

[श्री अलगेशन]

व्यवस्था की गयी और निम्न भागों को छोड़कर अन्य सभी भागों में गाड़ियों का आना जाना प्रारम्भ हो गया है :

(१) तोप्पुतुराई--प्वायंट कालीमीर

(२) अरन्तन्गी—कराईक्कुडी

(३) शिवगंगा—मनमदुराई

(४) सत्तारिक्कुडो—रामनद

सबसे बड़ा कटाव सत्तारिक्कुडो और रामनद के बीच हुआ है। आशा की जाती है कि २०, दिसम्बर १९५५ तक इस शाखा की मरम्मत हो जायगी और गाडियों का आना मना प्रारम्भ हो जायगा। शिवगंगा और मनमदुराई की बीच का कटाव आज एक बजे तक ठीक हो जाने की संभावना है। रामनद और धनुषकोडी के बीच रोज एक यात्री गाड़ी चलायी जा रही है।

१ दिसम्बर, १९५५ को समुद्री जहाज द्वारा लंका से धनुषकोडी पहंचे हुए २५० यात्रियों को रुकना पड़ा। उनमें से १२९ यात्री ५ दिसम्बर, १९५५ तक रामनद चले गये हैं और शेष यात्री मनमदुराई तक सीधा रास्ता खुल जाने की प्रतीक्षा में धनुषकोडी में रुके हुए हैं। यह रेलवे पीड़ित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने में राज्य सरकार को पूरा सहयोग दे रही है और उन क्षेत्रों में मद्रास सरकार द्वारा चावल पहुंचाने के लिये तुरन्त परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। समुद्र से तूतीकोरिन से मंडपम् तक और बाद में रामनद तक रेल से, जो सबसे अधिक क्षतिग्रस्त नगर है, चावल पहुंचाया गया है।

रेलवे संपत्ति को जितना नुकसान हुआ है इसके ठीक ठीक आंकड़े प्राप्त करना अभी तक संभव नहीं हुआ है किन्तु मोटे तौर पर ५ लाख रुपये की हानि का अनुमान किया जाता है।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

संविधान (राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा) आदेश, १९५५

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं संविधान (राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा) आदेश, १९५५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४३ के खंड (२) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रपति निम्नलिखत आदेश देते हैं, अर्थात्:—

१. यह आदेश 'संविधान (राजकीय-प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा) आदेश, १९५५' के नाम से ज्ञात हो सकेगा।

२. संघ के राजकीय प्रयोजन, जिन के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, वे होंगे जो इसके साथ संलग्न अनुसूचि में उल्लिखत हैं।

अनुसूची

(१) जनता के साथ पत्र-व्यवहार।

(२) प्रशासनीय प्रतिवेदन, राजकीय पत्रिकाएं तथा संसद् को प्रतिवेदन।

(३) सरकार के संकल्प और विधायी अधिनियम।

(४) उन राज्यों के साथ, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा स्वीकार कर लिया है, पत्र-व्यवहार।

(५) संधियां तथा क़रार।

(६) अन्य देशों की सरकारों और उनके प्रतिनिधियों तथा, अन्तर्राष्ट्रीय संघटनों के साथ पत्र-व्यवहार।

(७) राजनीयिक तथा वाणिज्यदौत्य पदाधिकारियों को, तथा अन्तर्राष्ट्रीय संघटनों में भारतीय प्रतिनिधियों को दिये जाने वाले औपचारिक दस्तावेज़।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्न तीन सन्देश प्राप्त हुये हैं :—

(१) "राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १२५ के उपबन्धो के अनुसरण में, मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा ८ दिसम्बर, १९५५ को हुई अपनी बैठक में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक १९५५ से, जो लोक-सभा द्वारा २२ नवम्बर, १९५५ को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

(२) "राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा ८ दिसम्बर, १९५५ को हुई अपनी बैठक में, मनीपुर (न्यायालय) विधेयक, १९५५ से, जो लोक-सभा द्वारा १ दिसम्बर, १९५५ को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

(३) "मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा ने ७ दिसम्बर, १९५५ को हुई अपनी बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक, १९५५ को जो लोक-सभा द्वारा २८ नवम्बर, १९५५ को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था, निम्न संशोधनों के साथ पारित किया है :

विधेयक और भारतीय प्रशुल्क (तीसरा संशोधन) विधेयक

खंड २

१. कि पृष्ट २, पंक्ति ७–८ में, "on the recommendation of" ("की सिफारिश पर") शब्दों के स्थान पर "in consultation with" ("से परामर्श के साथ") शब्द रखे जायें।

खंड ५

२. कि पृष्ट २, पंक्ति ३६ में, "number" ("संख्या") शब्द के स्थान पर "total number" ("कुल संख्या") शब्द रखे जायें।

अतः मैं राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम १२६ के उपबन्धों के अनुसरण में उक्त, विधेयक, इस प्रार्थना के साथ लौटा रहा हूं कि उक्त संशोधनों पर लोक-सभा की सहमति इस सभा को सूचित की जायें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक

सचिव : श्रीमान् मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक, १९५५, जो संशोधनों सहित राज्य-सभा द्वारा लौटा दिया गया है, सभा पटल पर रखता हूँ।

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक और भारतीय प्रशुल्क (तीसरा संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब दो प्रशुल्क संशोधन विधेयकों पर अग्रेतर विचार करेगी।

इसके लिये तीन घंटे समय दिया गया है जिसमें से कुल २७ मिनट बीत चुके हैं। शेष २ घंटे ३३ मिनट हैं।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : श्रीमान्, मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही बता दिया है कि यह विधि और शांत्ति का बिषय है। मैंने उन्हें सूचित कर दिया है कि मैं उसकी स्वीकृति नहीं दे रहा हूँ ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : वह केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रशासित है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बंसल उपस्थित नहीं हैं। श्री थामस।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्): मैं एक दो विषयों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं । यहां प्रशुल्क आयोग के कार्य का पुनर्विलोकन असंगत न होगा, यद्यपि चर्चा के अधीन दो विधेयकों से उसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है । श्री बंसल ने रबड़ के टायरों और ट्यूब के मूल्यों का और विदेशी व्यापारियों के अत्यधिक मुनाफे का प्रश्न उठाया था। उन्होंने प्रशुल्क आयोग की दो तीन सिफारिशों का उल्लेख किया था, जिनमें से एक सिफारिश टायरों के आयात, दूसरी टायर ट्यूब बनाने वाली कम्पनियों में भारतियों के शामिल किये जाने और तीसरी एक अग्रिम परियोजना चालू करने के संबंध में है।

इस सभा में रबड़ उत्पादन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के समय मैंने टायर बनाने वाली एक कम्पनी बनाने का प्रश्न उठाया और मेरे प्रदेश से आने वाले एक दो सदस्यों ने उसका समर्थन भी किया था। उस समय माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि यदि कोई ऐसी कम्पनी स्थापित करने के लिय आगे आयं, तो वे बड़ी खुशी से इस संबंध में कार्यवाही करेंगे इस बात को देखते हुए कि अधिकतर रबड़ त्रावनकोर-कोचीन में पैदा होता है और वहां बहुत बेकारी है, यह बहुत अच्छा होगा कि उस राज्य में एक ऐसी कम्पनी स्थापित की जाय।

इस विषय पर पूछे गये कई प्रश्नों के उत्तरों से मैं यह देखता हूं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सामने अभी तक कोई निश्चित परियोजना नहीं रखी गयी। टायर और ट्यूब के मूल्यों को और उस राज्य में मेरे प्रदेश की विशेष स्थिति को देखते हुये मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को बताना चाहता हूं कि टायर बनाने वाली कोई कम्पनी वहां स्थापित करना नितान्त आवश्यक है। वह किस प्रकार स्थापित की जायेगी, उसमें निजी व्यक्ति भाग लेंगे या वह सरकारी हो इससे मेरा कोई सम्बंध नहीं है। मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ समय पहले गोड्रिच कम्पनी ने एक प्रस्थापना रखी थी, जिस के बारे में कोई बात तय नहीं हुई और उसने वह वापस ले ली। मुझे शंका है कि श्री बंसल की टिप्पणियों के कारण विदेशी कंपनियां हमारी शर्तों पर इस क्षेत्र में नहीं आयेंगी और सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस प्रश्न पर निष्पक्ष होकर विचार करे। गोड्रिच कंपनी द्वारा प्रस्तुत योजना के आधार राज्य सरकार ने स्वयं एक योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने के लिये रखी थी। अब यह योजना सरकार के सम्मख कदाचित् न हो। दूसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने वर्तमान त्रावनकोर रबड़ वर्क्स के विस्तार की सिफारिश भी की है। मैं चाहता हूं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति स्पष्ट करे और राज्य सरकार की सिफारिश पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे।

आगे प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें और साथ ही सरकार के अनेक विनिश्चयों और इन विधेयकों के उपबन्धों से यह दिखायी पड़ता है कि अन्य उद्योगों के साथ, मांड और ग्लकोज़ उद्योगों को भी संरक्षण बन्द करने का प्रयत्न किया जा रहा है मुझे खेद है कि इन उद्योगों के लिये संरक्षण बन्द कर देने की सिफारिश करने में प्रशुल्क आयोग ने

कुछ जल्दबाज़ी की है। विधेयक पुरःस्थापित करते हुये माननीय मंत्री श्री करमरकर ने कहा था कि ग्लूकोज़ उद्योग सरकारी चेतावनी के बावजूद ठीक से नहीं चल रहा है। फिर भी मेरी यह धारणा है कि उस उद्योग को अपनी साधन सामग्री अधिक आधुनिक बनाने के लिये कुछ और समय दिया जाना चाहिये था। और तब कोई निर्णय किया जाना चाहिये था। माननीय मंत्री ने उन परिस्थितियों को बताया जिनके कारण सरकार ऐसा करने के लिये बाध्य हुई। मैं आशा करता हूं कि उत्तर में यह बात स्पष्ट की जायेगी।

मांड उद्योग के लिये संरक्षण बन्द कर देने के संबंध में, मेरी यह धारणा है कि इस बात के बावजद कि उसके आयात की अनमति नहीं दी जा रही है, अभी यह रास्ता नहीं अपनाया जाना चाहिये था। इस संबंध में मुझे प्रशुल्क आयोग से बहुत बड़ी शिकायत है। पहले भी जब प्रशुल्क आयोग ने मांड उद्योग के लिये संरक्षण जारी रखने या बन्द कर देने के प्रश्न पर जांच की, तब भी टैपिओका के बारे में उसने विचार नहीं किया। जब सभा में पहले प्रशुल्क विधेयक की चर्चा के समय मांड उद्योग के लिये संरक्षण जारी रखने के विषय पर विचार किया गया, तब इसे टेपिओका मांड के औद्योगिक प्रयोग की संभावनाओं का कई बार उल्लेख किया गया था, फिर भी प्रशल्क आयोग न उन संभावनाओं के बारे में जांच करने की कोई चेष्टा न की। यदि प्रशल्क आयोग ने इस पहलू पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया होता, तो वह अनेक सहायक बातों की सिफारिश करने में समर्थ होता जिनको सरकार यदि स्वीकार करती, तो मांड उद्योग का बहुत विकास होता। यह दिखायी पड़ता है कि प्रशुल्क आयोग का ध्यान केवल मद्रास तक ही गया था और वह आगे दक्षिण में नहीं गया जहां टैपिओका बहुतायत से पैदा किया जाता है। पहले भी ट्रशुल्क आयोग ने ऐसा ही किया था। उसने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि टैपिओका के उत्पादन की क्षमता अथवा उसके वास्तविक उत्पादन के संबंध में हमारे पास बहुत कम आकड़े हैं क्योंकि वह अधिकतर कुटीर उद्योग के आधार पर पैदा किया जाता है। आगे, बड़े पैमाने पर मांड पैदा करने वाले एक दो कारखानों का भी उल्लेख किया गया है। मेरे विचार से इस उद्योग की ओर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये था। मैंने पहले भी कई अवसरों पर कहा है कि इस मांड उद्योग के विस्तार और टैपिओका-उत्पादन के विकास के लिये पर्याप्त गुंजाइश है। टैपिओका जांच समिति ने त्रावनकोर-कोचीन के संबंध में इस प्रश्न पर लिखा है "अनुमान है कि करीब ६ लाख एकड़ भूमि से अधिक भूमि में टैपिओका की खेती की जाती है और खाद्यान्न के रूप में इस की जड़ों की मांग को पूरा करने के बाद औद्योगिक कार्यों के लिये ७ लाख टन से अधिक टैपिओका बच जाता है। खेती के तरीकों में सुधार करने से यह परिमाण तिगुने से चौगने के बीच बड़ी आसानी से किया जा सकता है।"

त्रावनकोर-कोचीन में केवल एक ही संगठित मांड कारखाना, लक्ष्मी स्टार्च फैक्टरी है। उस समिति का यह प्रतिवेदन भी है कि टैपिओका मांड से तैयार किये गये ग्लूकोस में तेल और प्रोटीन का अभाव एक विशेषता है। यह भी कहा गया है कि यदि भारत ऊंची किस्म की टैपिओका मांड तैयार कर सके तो उसे विदेशों में भी भेजा जा सकता है। वहां मांड कारखाना स्थापित करने की एक योजना राज्य सरकार ने केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुमोदन के लिये भेजी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से मेरी प्रार्थना है कि वह इसकी अनुमति तो दे चुका है अब वह इस ओर ध्यान दे कि उस उद्योग का यथासंभव अधिक विकास हो।

प्रशुल्क आयोग ने अपनी सिफारिशों में यह भी कहा है कि मांड और साबूदाने के

[श्री ऐ० एम० थामस]

आटे पर आयात नियंत्रण की वर्त्तमान नीति बनाई रखी जाय जिससे कि घरेलू मांड उद्योग का विकास होता रहे । आशा है सरकार इस सिफारिश को ध्यान में रखेंगी । यह भी सिफारिश की गई है कि भारतीय मानक संस्था औद्योगिक, औषधीय और खाद्यान्न के कार्यों के लिये टैपिओका के गुण प्रकार निर्धारित करे । इस बात को देखते हुए कि टैपिओका मांड के उत्पादन के लिये हमारे पास एक बहुत बड़ी योजना है, सरकार को इस सिफारिश पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और यथाशीघ्र उसे कार्यान्वित करना चाहिये ।

माननीय मंत्री ने कुछ दिन पहले बताया था कि अब त्रावनकोर कोचीन में एक कारखाना —जिस में विदेशी पूंजी भी लगेगी—खोलने की अनुमति देने का एक उद्देश्य निर्यात भी है । अतः केन्द्रीय सरकार ने यह बात समझ ली है कि यह बाहर भी भेजा जा सकता है । अतः मेरा यह कहना है कि प्रशुल्क आयोग की उपरोक्त सिफारिश संख्या ३ यथाशीघ्र कार्यान्वित की जानी चाहिये ।

कुछ विशेष परिस्थिति के कारण और कम प्रचार के कारण भारत के वस्त्र उद्योग में टैपिओका मांड का प्रयोग नहीं हो रहा । किन्तु उसके लिये निर्यात बाजार की संभावना है और सरकार ने उसके निर्यात के लिये अनुज्ञापत्र भी दिये हैं । मुझे ज्ञात हुआ है कि उसकी अवधि ३१ दिसम्बर, १९५५ को समाप्त हो जाती है । अतः मंत्रालय से मेरी प्रार्थना है कि वह अवधि काफी समय के लिये बढ़ा दी जाय जिससे कि उत्पादकों को भी लाभ हो ।

इन शब्दों के साथ मैं उपस्थापित विधेयकों का समर्थन करता हूं ।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : माननीय मंत्री ने इन दो प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय, इनके अन्तर्गत आने वाले सभी उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजत किया था । प्रथम वे उद्योग जिन्हें प्रथम बार संरक्षण दिया जा रहा है, द्वितीय वे उद्योग जिन का संरक्षण समाप्त किया जा रहा है, और तृतीय वे उद्योग जिनका संरक्षण जारी रखा जायेगा ।

जहां तक नये उद्योगों को संरक्षण देने का प्रश्न है, मैं उसका स्वागत करता हूं । जिन उद्योगों का संरक्षण समाप्त किया जा रहा है, उन्हें मंत्री महोदय ने तीन वर्गों में विभाजित किया है । प्रथम वे उद्योग जिन्होंने सन्तोषजनक प्रगति कर ली है और अब वे अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं, द्वितीय वे जो जान बूझ कर कार्य ढीला ढाला चला रहे हैं, और तृतीय वे जिनके लिये कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ।

जहां तक ग्लूकोस उद्योग का सम्बन्ध है, मुझे इस बात का हर्ष है कि इसका संरक्षण समाप्त किया जा रहा है क्योंकि वे जान-बूझ कर उत्पादन को घटा रहे हैं । इसी प्रकार से मैं मांड उद्योग के संरक्षण की समाप्ति का भी समर्थन करता हूं । अब तो हमारे देश में मक्की का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है । अतः इसे संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं ।

सोडा-ऐश का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में कहा गया है । बड़े हर्ष की बात है कि इस महत्वपूर्ण उद्योग ने पर्याप्त प्रगति कर ली है । गत वर्ष जब हम प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने बताया था कि इस उद्योग का कार्य संतोष-जनक नहीं था, परन्तु अब तो इसका उत्पादन पर्याप्त बढ़ गया है, अतः अब उसे संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अब मैं हाइड्रीकुनीन का प्रश्न लेता हूं ।

इसका उत्पादन केवल एक ही इकाई (यूनिट) द्वारा किया जा रहा है, परन्तु फिर भी यह उत्पादन इतने अधिक परिमाण में है कि वह सारे देश की मांग को पूरा कर सकता है। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि इस उद्योग को भी १९५९ तक संरक्षण दिया जा रहा है। इस उद्योग को १९५९ तक संरक्षण देना आवश्यक है।

अब मैं टिटेनियम डायआक्साईड उद्योग की बात लेता हूं। इसका उत्पादन करने वाली सारे देश में केवल एक ही इकाई (यूनिट) है। मुझे इस बात की खुशी है कि इसे संरक्षण दिया जा रहा है। परन्तु यह इकाई इस बात का ध्यान रखे कि यह केवल एक ही प्रकार के रंग-पदार्थ का उत्पादन न करे, अपितु दूसरे प्रकार का भी करे, नहीं तो यह उद्योग प्रगति न कर सकेगा।

जहां तक मशीनों के पेच बनाने वाले उद्योग का सम्बन्ध है, इसका उत्पादन पर्याप्त नहीं है। देश में इसकी औसतन मांग साठ लाख की है, परन्तु इसका उत्पादन बहुत कम मात्रा में है। इस उद्योग को १९५१ से संरक्षण दिया जा रहा है, परन्तु उसने कोई प्रगति नहीं की है। अतः उन्हें इस सम्बन्ध में एक अच्छी सी चेतावनी दी जानी चाहिये, कि यदि वे उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे तो संरक्षण समाप्त कर दिया जायेगा।

अलौह धातु उद्योग की इस समय ४४ इकाइयां हैं, परन्तु फिर भी उनका उत्पादन बहुत कम है। अधिक क्षमता होने के उपरान्त भी उनका उत्पादन कम होता जाता है। अतः उन्हें भी एक चेतावनी दी जानी चाहिये कि यदि वे उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे तो उनका संरक्षण समाप्त कर दिया जायेगा।

इससे पूर्व हमने जब भी प्रशुल्क संशोधन विधेयकों की चर्चा की थी, हमने यह अनुभव किया था कि कई उद्योग ऐसे ह जो ठीक प्रकार से नहीं चल रहे हैं और उनके निर्धारित उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन में भारी अन्तर है? परन्तु अब हम देखते हैं कि वह अन्तर कम होता जा रहा है। यह हर्ष की बात है। कुछ एक उद्योग तो ऐसे हैं जिनका उत्पादन इतना बढ़ गया है कि वे विदेशों को निर्यात भी कर रहे हैं।

अतः मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं।

श्री एस० बी० रामस्वामी (सैलम) : दोनों विधेयकों का सामान्य रूप से समर्थन करते हुये मैं मंत्री महोदय तथा सभा का ध्यान तीन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं।

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय सशोधन) विधेयक नकली रेशम के उद्योग का संरक्षण जारी रखना चाहता है। यह सभी को ज्ञात है कि नकली रेशम के मूल्यों में सदा ही उतार चढ़ाव आता रहत है। इसका वास्तविक कारण यह है कि इसके आयात को नियमित नहीं किया गया है। अत : इसके मल्यों में स्थिरता लानी चाहिये।

प्रशुल्क आयोग ने यह कहा है कि नकली रेशम के सम्बन्ध में आयात नियन्त्रण की नीति को इस प्रकार से चलाया जाये कि इस माल की कमी न रहे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसके मल्यों को नियन्त्रित करने और ब्यवस्थित करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

१९५२ में इस अधिनियम के पारित होने के उपरान्त भी इसके मल्यों में इतना उतार चढ़ाव रहा है कि हथ करघा उद्योग से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को भारी क्षति उठानी पड़ी है।

मूल्यों को स्थिर करने का एक उपाय यह है कि अपने देश में ही इसका उत्पादन बढाया जाय। और देश में जिस प्रकार का

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

धागा बनता है उसे देश में ही खपाने के लिये समुचित कार्यवाही की जाये ।

इसके सम्बन्ध में मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । वह यह है कि नकली रेशम को प्रोत्साहन देने से असली रेशम के उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ।

यह सत्य है कि असली रेशम के उत्पादन से कोई अधिक लाभ नहीं होता है, परन्तु फिर भी हमें इसे प्रोत्साहन देना चाहिये । अतः मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि वह नकली रेशम और असली रेशम के उत्पादन में सन्तुलन लाने का प्रयत्न करें ताकि असली रेशम का उद्योग समाप्त ही न हो जाये ।

अलमूनियम उद्योग के संबंध में यह बड़े हर्ष की बात है कि अलमूनियम की फूट के आयात पर एक आयात शुल्क लगा दिया गया है । लोग बाहर से फूट मंगा कर उनसे घटिया प्रकार के बर्तन बनाते हैं जो कि हानिकारक सिद्ध होते हैं । अतः सरकार ने फूट के आयात पर भारी आयात शुल्क लगा कर एक अच्छा कार्य किया है । देश में अब अलमूनियम की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । अतः सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम अपने देश में ही इसका उत्पादन बढ़ायें । हमारे देश म ऐसे कई स्थान हैं जहां पर इसका उत्पादन हो सकता है । दक्षिण में यह भारी मात्रा में पाया जाता है । अतः मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि सरकार दक्षिण में और विशेषकर सैलम जिले में अलमूनियम का एक कारखाना स्थापित करने का शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न करे ।

तृतीय बात यह है कि मैं साबदाने के आटे के संरक्षण को समाप्त करने की आशंका की दृष्टि से देखता हूं । हमें तो वास्तव में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये । इसके उत्पादन और खपत में सरकार द्वारा सहायता दी जानी चाहिये । हमें केवल दानों के ही उत्पादन पर निर्भर नहीं करना चाहिये ; हमें टेपिओका से मांड बनाने का कार्य भी करना चाहिये । इसके सम्बन्ध में एक योजना बनायी तो गई थी परन्तु उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है । सरकार से मेरा अनरोध है कि वह उस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयत्न करे ।

इमली के गूदे के चूर्ण (पावडर) के संबंध में मेरा यह कथन है कि यह बहुत सी मात्रा में इमली को व्यर्थ समझकर फेंक दिया जाता है। इस फेंके हुए भाग से तो बड़े ऊंचे दर्जे का मांड बनाया जा सकता है, और वह मांड कपड़ा मिलों में काम आ सकता है । अतः मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि वे १९५३ में जारी किये गये आदेश को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें तथा इस बात की कोशिश करें कि इमली का उपयोग मांड के निर्माण में भी किया जाये ।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुए]

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : मैं श्री रामस्वामी और श्री ए० एम० थामस के इस कथन से सहमत हूं कि साबदाने के आटे, मांड और अन्य उद्योगों के विकास के लिये सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये । मुझे आशा है कि सरकार इसके संबंध में एक स्पष्ट नीति बनायेगी और इन उद्योगों की ओर पूरा ध्यान देगी ।

यह शिकायत की गई है कि टेपिओका से बनाया जाने वाला साबूदाना-आटा ऊंचे दर्जे का नहीं होता । सरकार इसके उत्पादन के लिये प्राविधिक परामर्श क्यों नहीं देती तथा इसका सुधार करने का प्रयत्न क्यों नहीं करती ?

रबड़ उद्योग के बारे में श्री बन्सल ने भी बहुत कुछ कहा था। मैं आश्चर्य चकित हूं कि सरकार इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न क्यों नहीं करती। भारत सरकार ने भी आगामी १० वर्षों में ७०,००० एकड़ भमि में रबड़ के पुनः रोपण की एक योजना बनाई है, और इससे गहत सी भूमि जहां पर इस समय टोपिओं का उत्पादन होता है, उस भूमि पर रबड़ का उत्पादन किया जायेगा तो इस प्रकार से भारत सरकार इस योजना पर पर्याप्त धन लगाने का विचार रखती है। सरकार को इस सारे उद्योग का एक रुप निर्धारित कर लेना चाहिये और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि भारत उपभोक्ताओं की उनकी मांग के अनुसार माल मिलता रहे।

भारत में रबड़ की वस्तुओं की कीमत संसार के अन्य देशों की अपेक्षा अत्यधिक है, जब कि उस रबड़ का मूल्य, जो हम निर्माताओं को देते हैं बहुत कम है। अतः सरकार को मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करनी चाहिये। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह रबड़ उद्योग के सम्बन्ध में अपनी एक स्पष्ट नीति बनाये।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर-मध्य): मैंने इस बात की ओर आपका ध्यान पहले भी दिलाने का प्रयत्न किया था कि नकली रेशम को संरक्षण देने के कारण, स्वदेशी रेशम को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। भागलपुर का असली रेशम का उद्योग तो नष्ट प्राय हो गया है। यह बात सत्य है कि लोग नकली रेशम को केवल सस्ता होने के कारण खरीदते हैं परन्तु यह माल बहुत कच्चा और घटिया होता है। अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरीध है कि वह इस बात की जांच करें कि विशेष रुप से भागलपुर जिले में असली रेशम का उद्योग नष्ट प्राय क्यों हो गया है, और इस बात का भी प्रयत्न करें कि यह उद्योग निरुत्साहित न हो।

दूसरी बात मैं बटन उद्योग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। बटन उद्योग को संरक्षण शुरु में मार्च १९५१ में दिया गया था। यह संरक्षण ३१ दिसम्बर १९५३ तक के लिये दिया गया था। संरक्षण समाप्त होने से पहले प्रशुल्क आयोग ने उद्योग के सम्बन्ध में नये सिरे से जांच की। आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्लास्टिक के बटनों के अतिरिक्त अन्य बटन बनान वाले उद्योग को आयातित बटनों की प्रतिस्पर्द्धा से बनने के लिये संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। अत: संरक्षण समाप्त कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री से अनरोंध करूंगा कि वह इस बात की जांच कर वायें कि क्या इस उद्योग को पुन: संरक्षण दिया जाना आवश्यक है।

जहां तक अलौह धातु उद्योग का सम्बन्ध है मेरे माननीय मित्र श्री कासलीवाल, ने यह, सुझाव दिया है कि इसको अब संरक्षण न दिया जाये। परन्तु मेरा कहना यह है कि यदि ऐसा कर दिया गया तो इसभ्र परिणाम स्वरुप जो थोड़ा बहुत उत्पादन यहां हो रहा है वह भी और घट जायेगा और हम जो थोड़ी बहुत विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं वह भी खत्म हो जायेगी। इसके अलावा जो छोटे छोटे उद्योग आजकल इस धातु का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें भी धक्का पहुंचेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि संबंधित विभाग इस बात का पता लगाये कि इसका उत्पादन क्यों कम हो गया है।

दुसरी बात मैं मद ९ के संबंध में कहना चाहता हूं कि जो स्पार्किंग प्लगों के बारे में है। आजकल मोटर उद्योग मुख्यत: सभी पुर्जे बारह से मंगा रहा है। फिर भी बहुत से पुर्जे ऐसे हैं जो उचित प्रोत्साहन दिये जाने पर यहीं बनाये जा सकते हैं। मुझे कुछ सार्थों से पता चला है कि वे इन पुर्जों का निर्माण इसलिये नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिये सांचों की जरूरत पड़ती है। इसलिये छोटे पैमाने के उद्योगों को जो ऐसे पुर्जा बना सकते हैं, पुर्जों के निर्माण के लिये प्रोत्साहित किया जाये और मोटर उद्योग से कहा जाये

[श्री झुनझुनवाला]

कि वह सांचों की लागत सहन करे। यदि मोटर उद्योग छोटे पैमाने के उद्योगों को यह गारंटी न देंगे कि वे उनसे बड़ी तादाद में पुर्जे खरीदेंगे (जिससे सांचे बनाने की लागत निकल आये। तब तक छोटे पैमाने के उद्योग पुर्जों का निर्माण कभी भी आरम्भ नहीं करेंगे।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : सामान्यतया, मैं कुछ प्रकार के उद्योगों को संरक्षण दिये जाने का समर्थन करता हूं। परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार हमें यह बताये कि संरक्षण ने उद्योगों को किस सीमा तक विकसित किया है। हम संरक्षण तो दे देते हैं परन्तु यह नहीं देखते कि उद्योगों का उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है। वस्तुतः कुछ उद्योगों में उत्पादन कम हो गया है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार उद्योगों को संरक्षण दे तो उन उद्योगों का अवश्य ध्यान रखे जो सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय उद्योग हैं। प्रायः यह देखा गया है कि कुछ उद्योगों म विदेशी सार्थों ने सरकार की संरक्षण देने की नीति का लाभ उठाया है और इस देश में अपनी स्थिति को दृढ़तर बनाने का प्रयास किया है। अतः जब कि हमारे देश में राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो गई है, सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उद्योगों में विदेशी हित समाप्त करने का प्रयत्न करे। सरकार की नीति यह होनी चाहिये कि ऐसे उद्योगों को संरक्षण न दिया जाये जिनमें विदेशी पूंजी का अनुपात बहुत ज्यादा है।

जहां तक बैटरी उद्योग का संबंध है, मैं सरकार से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या इस उद्योग की स्थिति इतनी दृढ़ है कि संरक्षण न प्राप्त होने की दशा में भी वह विदेशी माल की प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला कर सके क्योंकि हो सकता है कि विदेशी एजेंट भारतीय मंडियों को विदेशी माल से भर दें और इस प्रकार भारत में तैयार किये गये माल के विक्रय के लिये एक समस्या उत्पन्न कर दें।

जैसा कि मेरे मित्र ने अभी कहा, यह सच है कि हम मोटर कारों और उसके विभिन्न भागों का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। हिन्दुस्तान मोटर कम्पनी के बारे में मुझे पता चला है कि वह ६० से लेकर ६५ प्रतिशत तक पुर्जों का निर्माण कर रही है। यह ठीक है कि हमारे उद्योग, सुस्थापित अमरीकी, ब्रिटिश, अथवा जर्मन संस्थाओं से प्रतिद्वन्द्विता नहीं कर सकते हैं परन्तु सरकार का कर्त्तव्य है कि वह यह देखें कि हमारे उद्योग किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, 'बाल बियरिंग' उद्योग अथवा मोटर कार उद्योग को ही ले लीजिये। इनकी क्रमशः एक तथा दो अथवा तीन संस्थाय हैं और यदि इनको संरक्षण दिया गया तो यह इन वस्तुओं में सुधार न करेंगे। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री हमें आश्वासन देंगे कि संरक्षित उद्योग, उत्पादित वस्तुओं की किस्म में सुधार करेंग तथा वस्तुओं को इसं स्तर का बनायेंगे जिससे अन्य देशों से प्रतिद्वन्द्विता की जा सके।

श्री थानू पिल्ले (तिरूनेलवेली) : हमरे उद्योगों को जो प्रशुल्क संरक्षणता दिया गया था उससे उद्योग का कोई हित नहीं हुआ है क्योंकि उद्योग में लगे हुये व्यक्तियों ने अब भी शत प्रतिशत लाभ कमाने का ही उद्देश्य रखा है जब कि उनके लिये उद्योग में सुधार करना आवश्यक था। मुझे विश्वास है कि यदि हम आयात हुई कारों पर शत प्रतिशत शुल्क भी लगा दें तो भी स्वदेशी कारों की इतनी बिक्री न होगी जितनी विदेशी कारों की होगी, परन्तु हम ऐसा कब तक होने देंगे कि उद्योग पतियों का पेट भरा जाता रहें तथा उद्योग का कोई विकास न हो ?

इसके अतिरिक्त उद्योगों का वितरण की समुचित नहीं हैं। आप टायर उद्योग को ले लीजिये। टायर उद्योग बम्बई तथा कलकत्ते में है जब कि रबड़ का उत्पादन

त्रावनकोर-कोचीन में होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार को उद्योगों को उन क्षेत्रों में प्रारम्भ करना चाहिये जिससे संरक्षित उद्योग में जनता अपनी पूंजी लगा सके क्योंकि संभव है कुछ समय पश्चात् संरक्षण समाप्त करना पड़े। इसीलिये उद्योंगों के विकास के लिये यह आवश्यक है कि उद्योगों का देश में इस प्रकार वितरण किया जाये कि उनका देश के सभी भागों में विकास हो सके।

लोहा तथा इस्पात को ले लीजिये। जहां कच्चा लोहा तथा इस्पात पाया जाता है इन वस्तुओं के उद्योग नहीं हैं। इसी कारण दक्षिण के श्रमिकों को अपना क्षेत्र छोड़ कर दूसरे क्षेत्र में नौकरी के लिये जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अल्मूनियम उद्योग को संरक्षण है। सैलम में स्फोदिज (बोक्साइट) पाया जाता है परन्तु वहां अल्मूनियम उद्योग नहीं है। टैपिओका पर से प्रशुल्क संरक्षण हटाया जा रहा है परन्तु अभी तक उसका इतना विकास नहीं किया गया जिससे विदेशी मांड से उसकी तुलना की जा सके इन शब्दों के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह वितरण तथा उत्पादित वस्तु की किस्म पर अधिक ध्यान दे जिससे उपभोक्ता को उसी वस्तु के लिये अधिक मूल्य न देना पड़े।

श्री अच्चुतन : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमें इस वर्ष प्रशुल्क आयोगों के कार्यों का पुनर्विलोकन करने का अवसर मिला है। आयोग द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों में मुझे रबड़ के विक्रय मूल के सम्बन्ध में यह १६ सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है। चार अथवा पांच वर्ष पूर्व, जब कच्ची रबड़ के मूल्य पर नियंत्रण का प्रश्न उठाया गया था तब माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने, एक अधिसूचना के द्वारा, बताया था कि कच्चे रबड़ के विक्रय मूल्य निश्चित किये जायेंगे। परन्तु जहा तक मुझे जानकारी है, कच्चे रबड़ के संसार के मूल्यों से वास्तविक उत्पादन को मिलने वाला मूल्य बहुत कम है और फिर भी उपभोक्ताओं को इससे कोई लाभ नहीं होता है। जांच से ज्ञात हुआ है कि प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसका मूल्य कम करने का यह उचित अवसर है।

आप मोटर गाड़ियों के उद्योग को ही ले लीजिये। हम कहते हैं कि इसका विकास हो परन्तु इसके विकास के लिये टायर तथा ट्यूब के मूल्य कम होने चाहिये। देश की सड़कें ठीक होनी चाहिये जिससे इनका संधारण व्यय कम हो जाये। इसीलिये हमें प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के मद १६ पर उचित कार्यवाही करनी चाहिये जिससे वास्तविक उत्पादन को उचित मूल्य मिल सके और उपभोक्ता को भी वस्तु कम मूल्य पर मिल सके।

हम मांड पर से संरक्षण समाप्त कर रहे हैं। प्रशुल्क आयोग के अनुसार टैपिओका से लगभग ३००० टन मांड बनाया जाता है। परन्तु लक्ष्मी फैक्टरी तथा सहकारी फैक्टरी की उत्पादन सामर्थ्य ६००० टन है इसके अतिरिक्त देश की खाद्यान्न-स्थिति भी सुधर गई है तथा टैपिओका के मूल्य कम हो गये हैं। कुछ दिन पूर्व मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि सरकार तटीय क्षेत्रों की जनता को मूफ्त टोपिओका देना चाहती है इससे ज्ञात होता है कि टोपिओका देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है तथा प्रयत्न करने पर देश अन्य क्षेत्रों में भी इसका और उत्पादन किया जा सकता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मांड के आयत पर नियंत्रण लगा दिया है मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है तथा मेरा सुझाव है कि सरकार को किसी भी परिस्थिति में मांड़ का आयात कुछ वर्षो के लिये नहीं खोलना चाहिये। मैं मांड के मूल्य कम करने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि टोपिओका से बने मांड तथा मक्का आदि से बने मांड में उस समय पर्याप्त प्रतिद्वन्द्विता हैं। परन्तु सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि वह देश में उत्पादन

[श्री अच्चुतन]

मांड में सुधार करे तथा इसकी खपत करायें।

मेरे मित्र श्री रामस्वामी ने अल्मूमियन के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया। देश में सस्ती होने के कारण इस धातु का बड़ा व्यवहार किया जाता है इसलिये सरकार को अल्मूनियम के वर्तमान कारखानों को बढ़ाना चाहिये तथा नये कारखाने खोलने चाहिये जिससे यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हुं कि वह बतायें कि उनका इन सुझावों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन): मैं कामर्स मिनिस्टर साहब का ध्यान अपने चम्पारन जिले के एक छोटे से व्यवसाय की तरफ दिलाना चाहता हूँ। वहां पर सीप पाया जाता है, जिस को अंग्रेजी में मदर आफ पर्ल्ज (हीरों की मां) कहते हैं। वह बहुत पुरानी इंडस्ट्री (उद्योग) है। हमारे राष्ट्रपति—जब वह राष्ट्रपति नहीं थे—उस सीप को स्वदेशी चीज़ों के भक्त लोगों को उपहार भेंट किया करते थे और प्रदर्शनियों में भेजा करते थे। पहले इस इंडस्ट्री को संरक्षण प्राप्त था, परन्तु अब उस को हटा दिया गया है। इस के परिणामस्वरूप तकरीबन दस हजार अदमियों की जीविका संकट में पड़ गई है। चम्पारन ज़िले में एक ही नदी है, जिस में सीप पाया जाता है। मैं समझता हुं कि सारे हिन्दुस्तान में शायद ही कोई जगह होगी, जहां यह सीप पाया जाता हो। इस का बटन इतना अच्छा होता है कि कोई भी आदमी उस की चमक और खूबसूरती को देखकर उस पर लालायित हुए बिना नहीं रहता। इस इंडस्ट्री (उद्योग) के ऊपर से संरक्षण हटा देने से यह इंडस्ट्री मर रही है।

मैं समझता हूँ कि कामर्स मिनिस्टर (वाणिज्य मंत्री) साहब हिंदी अच्छी तरह नहीं समझते हैं, मगर मैं उनका ध्यान इस तरफ आर्कषित करना चाहता हूँ और कहता हूँ कि यह गरीबों का सवाल है, दस हजार गरीब इस पर जिन्दा रहते हैं, आप इस तरफ ध्यान दीजिए। यह छोटी इंडस्ट्री है। इसका बाजार में छोटा स्थान है: चम्पारन में थोड़े थोड़े आदमी मिल कर इसके कारखाने चलाते हैं। वे नदियों से सीप लाते हैं और उससे बटन बनाते हैं। उन बटनों का आज दुनिया के बाजार में जापान से कम्पटीशन (प्रतिस्पर्धा) पड़ जाता है और जापान के पीटीशन की वजह से यह इंडस्ट्री (उद्योग) मरने जा रही है। मैं कमर्स मिनिस्टर साहब (वाणिज्य मंत्री) का ध्यान इस तरफ खास तौर पर से आकर्षित कराना चाहता हूँ। मैं प्रर्थाना करता हूँ कि वे अब इस ओर ध्यान दें। पार्लियामेंट का यह सैशन २३ तारीख को खत्म हो रहा है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वे एक दिन के लिए चम्पारन चलें और वहां पर देखें कि किस तरह से ये बटन तैयार होते हैं इस काम से कितने आदमियों की जीविका चलती है। गांवों के गरीब मछुए नदियों से सीप को पकड़ कर लाते हैं और बेचते हैं और इस प्रकार उनकी जीविका चलती है। मैं चाहता हूँ कि हमारे कमर्स मिनिस्टर साहब इस बिल में यह अमेंडमेंट (संशोधन) कर दें कि सीप को भी कुछ संरक्षण दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि सेगो फलावर पर से संरक्षण हटा लिया गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आजकल जब कोई गरीब आदमी बीमार पड़ता है तो उसको ग्लूकोज़ आदि नहीं मिलते और न आधुनिक दवायें मिलती हैं। ये गरीब आदमी सैगो खाकर जीते हैं। उसी का पानी पीते हैं। जब हम लोग जेल में थे तो हमको सैगो पीने को मिलता था। अब उस पर से संरक्षण हटाया जा रहा है तो गरीब आदमी कैसे जिन्दा रह सकता है और हिन्दुस्तान के व्यापारी कैसे अपना व्यापार चला सकते हैं। इसलिए में चाहता हूं कि सैगो पर से

संरक्षण न हटाया जाये नहीं तो हमारा यह व्यापार विदेशी लोगों के सामने टिक नहीं सकेगा।

श्री देवगम (चैबस्सा, रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियों) : मैं टसर उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं हिन्दुस्तान के उस ज़िले से आता हूं जो कि टसर का कोया पैदा करने का सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस ज़िले में कोई टसर इंडस्ट्री (उद्योग) नहीं है। अर्थात् वहां जो टसर का कोया होता है वह उड़ीसा भेज दिया जाता है और भागलपुर भेज दिया जाता है। इस कच्चे माल को पैदा करने वाले गरीब आदिवासी हैं। मैं कमर्स मिनिस्टर (वाणिज्य मंत्री) साहब का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्यों न उन गरीब आदिवासियों को इसका सूत निकालने का और उससे कपड़ा तैयार करने का काम सिखाया जाये। क्यों वे केवल कच्चा माल पैदा करें और उसका फायदा दूर दूर के लोग उठावें।

मुझ से पहले ब्हार के ही एक माननीय सदस्य ने कहा कि नकली रेशम के कारण असली रेशम का उद्योग कम्पिटीशन (प्रतिस्पर्धा) में नहीं आ पाता और यह खत्म हो रहा है। टसर भी एक कस्म का सिल्क (रेशम) है। मैं कह चुका हूं कि इसको कच्चे माल के रूप में पैदा करने वाला सबसे बड़ा बाजार सिंहभूमि जिला है। तो मैं केन्द्रीय सरकार के मार्फत प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्टेट (राज्य) सरकार इस ओर ध्यान दे।

लोग जंगलों में आसन गाछ पर टसर पैदा करते हैं। लेकिन आजकल टसर पैदा करने वालों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता बल्कि उनको निरुत्साहित किया जाता है। पहले यह नियम था कि कोई भी टसर पैदा करने वाला दो रुपये फीस देकर चाहे जितने गाछों पर टसर लगा सकता था, लेकिन आज कल यह नियम बदल गया है और हर एक के लिए उसको तीन आने या चार आने देने पड़ते हैं। इससे टसर पैदा करने वालों को प्रोत्साहन नहीं मिलता बल्कि वे निरुत्साहित होते हैं।

इस गृह उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को परती ज़मीनों पर, वेस्ट लैंड्स (मरुभूमि) पर आसनगाछ के वृक्ष लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार ने कुछ फार्म खोले हैं, जिनमें सरकार की ओर से बहुत से आसन के वृक्ष लगाये गये हैं और वे १०, १५ वर्ष के भीतर में ही इस लायक बन गये हैं कि उन पर टसर पैदा की जा सके। मैं चाहता हूँ कि किसानो को भी अपने अपने वेस्ट लैंडस में पड़ती ज़मीनों में आसन के वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहिन दिया जाय। अब तक तो वे प्रकृति के द्वारा जो जंगल में आसन के वृक्ष लगते हैं उन्हीं पर टसर आबाद करते आये हैं लेकिन यह अपने आप पैदा होने वाले आसन के वृक्ष खत्म होते जा रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ नहीं पाती है और इस बात की बड़ी अशंका है कि ऐसा समय आ सकता है कि आसनगाछ की कमी के कारण यह गृह उद्योग खत्म हो जायगा। इस कारण आवश्यकता इस बात की है कि सिंहभूमि के जिले के लोगों को इसके पैदा करने के लिए प्रोत्साहित दिया जाय। मैं आशा करता हूँ कि हमारे मंत्री महीदय इस ओर खास ध्यान देंगे। बस मैं इससे अधिक नहीं कहना चाहता। मैं समझता हूँ कि मैं मंत्री महोदय का ध्यान सिंहभूमि जिले के इस उद्योग धंधे को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर दिला सका हूँ। मुझे जो अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया गया उसके लिए मैं आभारी हूँ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि (त्रिचूर) : अनेक उद्योगों के संबंध में जो जांच की गयी है, उसके लिये माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री को बधाई देने के अतिरिक्त मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं सभा का ध्यान उन एक दो विषयों की ओर आकृष्त करना चाहता हूँ, जिनका उल्लेख पहले

[श्री सी० आर० अप्युण्णि]

वक्ताओं ने किया था। एक तो त्रावनकोर-कोचीन का रबड़ उद्योग है। पुराने जमाने में जब कि सारी दुनियां में रबड़ का बाजार मूल्य २५० से ३०० रुपये तक था, तब त्रावनकोर-कोचीन के लोगों को जहां बहुतायत से रबड़ पैदा किया जाता है, केवल ६८ रुपये ८ आने और बाद में चल-कर १२२ रुपये ८ आने मिलते थे। साथ ही निर्माता लोग कम मूल्य पर रबड़ खरीद-कर तैयार माल दुनियां के बाजार मूल्यों पर बेचते थे। इस तरह वे बहुत मुनाफा कमाते थे। यहाँ तक कि दो साल में उन्हें उद्योग में विनियोजित धन के बराबर धन मिल जाता। हमने संबंधित मंत्री से अभ्यावेदन किया, कि उत्पादकों को दिया जाने वाला मूल्य यदि बहुत कम हो तो यहां तैयार किये गये माल का मूल्य भी उसी अनुपात से कम कर दिया जाना चाहयि। दुर्भाग्यवश तैयार माल के मूल्य कम नहीं किये गये। आज की स्थिति कहीं अधिक अच्छी है। अब केवल ३० रुपये का अन्तर है। मेरा यह कथन है कि जिस हद तक रबड़ यहां पैदा किया जाता है और फायर-स्टोन, डनलप आदि कंपनियों द्वारा काम में लाया जाता है उस हद तक यहां तैयार किये गये माल का मुल्य भी अवश्य ही कम किया जाना चाहिये। आशा है कि माननीय मंत्री ऐसा नियंत्रण रखने को तैयार होंगे जिससे कि यहां तैयार किया गया माल यहां पैदा किये गये रबड़ से ही बनाया जाय और बाहर से खरीदे गये रबड़ से बनाया गया हो। अन्यथा मेरा यह सुझाव है कि कच्चा रबड़ विदेशों में निर्यात करने की अनुमति दी जाय। यहां के निर्माताओं को भी इससे एक और लाभ यह होगा कि यहां तैयार की गयी चीजों पर उन्हें तट-कर या आयात-कर नहीं देना होगा और इस प्रकार वे अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। अतः खरीदारों के हित में यह नितान्त आवश्यक है कि सरकार उस ओर ध्यान दें कि इस देश में रबड़ से बनायी गयी वस्तुओं का मूल्य कम किया जाय।

सरकार को मांड उद्योग की भी अवश्य सहायता देनी चाहिये। मेरे राज्य में वह बहुतायत से पैदा किया जाता है। हमारे पास अधिक जमीन नहीं है और हमें केवल व्यापारिक फसलों जैसे मिर्च, रबड़, कहवा, चाय पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यदि विदेशियों और यहां के लोगों के सहकार्य से एक कंपनी बनाना संभव नहीं है, तो मैं यहां तक कहूँगा कि सरकार को यह उत्तर-दायित्व लेना चाहिये जिससे कि देश के उस भाग में से बहुत कुछ बेरोजगारी दूर की जा सके।

आगे में यह कहूँगा कि नर्मी इस हद तक नहीं बरती जानी चाहिये जो स्थिति के लिए अनुचित हो। वाणिज्य और उद्योग मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि बहुत अधिक मुनाफा लेने वालों के साथ वे कठोरता से; न कि नर्मी और साथ ही बुद्धिमानी से पेश आएं।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस—मध्य): पहले मैं अपने उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने हैंडलूम (हथकरघा) बोर्ड के द्वारा भारतवर्ष की बहुत सेवा की है। साथ ही साथ मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि केवल हैंडलूम की तरक्की से ही देश की तरक्की नहीं होगी, बल्कि जिसके द्वारा हैंडलम (हथकरघा) चलता है उस की भीतपक्की की ओर ध्यान देना आवश्यक है हिन्दुस्तान में भागलपुर, आसाम, मैसूर और काश्मीर में रेशम का उत्पादन होता है। हम आर्टिफिशिअल सिल्क (कृत्रिम रेशम) पर प्रोटेक्टिव ड्यूटी (संरक्षात्मक शुल्क) लगाते हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि देश में आर्टिफीशिअल सिल्क (कृत्रिम रेशम) का उत्पादन अधिक होगा और अगर आर्टिफि-शिअल सिल्क का उत्पादन अधिक होगा तो उसका प्रभाव यह होगा कि भागलपुर, आसाम, मैसूर और काश्मीर की जो सिल्क इंडस्ट्री (रेशम उद्योग) है, उस पर आघात पहुंचेगा।

मैं इस बात की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू कि कि आर्टिफिशल सिल्क हमारे देश को जो सिल्क उद्योग है उसका नाश कर रहा है। इसलिये कि आर्टिफिशिअल सिल्क बड़ी आसानी से सिल्क में खप सकता है। उसके खपने का फल यह होता है कि जो बेचारे देहात के गरीब लोग हैं अगर उन्होंने १०० या २०० रु० की साड़ी खरीदी तो चूंकि उन को पहचान का ज्ञान नहीं होगा कि यह शद्ध सिल्क है या आर्टिफिशिअल सिल्क, वे आसानी से ठगे जाते हैं।

इस लिये जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया गया है मैं उस का विरोध करता हूं, केवल इस अंश में कि आर्टिफिशिअल सिल्क पर कोई ड्यूट (शुल्क) नहीं होनी चाहिये। जहां तक मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में एक या दो ही आर्टिफिशिअल सिल्क के बड़े कारखाने हैं। एक या दो पून्जीपतियों को प्रश्रय देने के लिये लाखों आदमियों पर जो सिल्क उद्योग में लगे हुए हैं आक्रमण नहीं करना चाहिये उन की रोटी को नहीं छीनना चाहिये। हमारे उद्योग मंत्री ने महात्मा गांधी का आधा कार्य तो किया है हैंडलूम बोर्ड (हथकरघा बोर्ड) के द्वारा जी वीवर्स क्लास (बुनकर वर्ग) है उस को भोजन देने का प्रयास किया है। महात्मा जी का सब से बड़ा सिद्धांत यह था कि हैंड स्पन और हैंड वोवेन कपड़े को तरक्की करनी चाहिये। जहां तक हैंड वोवेन की समस्या है उस का तो सुधार हमारे मंत्री जी ने किया है। लेकिन जहां तक हैंड स्पन का प्रश्न है, उस के बारे में कुछ करने का प्रयास नहीं किया गया है। अगर उस के बारे में भी कुछ सुधार कर दें, सिल्क (रेशम) हिन्दुस्तान में उत्पादित होने लगे और आर्टिफिशल सिल्क (कृत्रिम रेशम) से भी ज्यादा सस्ती हो जाय तो मैं ही नहीं सारा देश उन को धन्यवाद देगा। महात्मा गांधी की आत्मा उन को धन्यवाद देगी कि उन्होंने उनके छोड़े हुए कार्य को पूरा किया।

और भारतीय प्रशुल्क (तीसरा संशोधन) विधेयक

मैं आप से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जब चीन गये थे तो वहां से रेशम का कुछ बार्टर (आदान प्रदान) हुआ है। चीन से बहुत सा रेशम हिन्दुस्तान में आया है। मैं उद्योग मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हैंडलम बोर्ड (हथकरघा बोर्ड) के द्वारा आप ने कोआपरेटिव्ज़ (सहकारी समितियों) को आर्गनाइज (संगठित) किया है। चाईनीज सिल्क या यार्न है उस का वितरण भी कोआपरेटिव्ज़ के द्वारा ही होना चाहिये। अगर आप कोआपरेटिव्ज के जरिये उस का वितरण नहीं करते हैं और इन्डिविजुअल (व्यक्तिशः) बेचने वालों को आप देते हैं तो जो आप की हैंडलूम (हथकरघा) की स्कीम (योजना) है वह सस्क्सेसफुल (सफल) नहीं हो सकती। इसलिए बार्टर के द्वारा जो चाइनीज़ रेशन हिन्दुस्तान में आया है उस का डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलम बोर्ड (वितरण हथकरघा बोर्ड) द्वारा या जो काआपरेटिव का आर्गेनाइजेशन है उस के द्वारा होना चाहिये।

मैं पूछना चाहता हूं कि हमें आर्टिफिशल सिल्क की आवश्यकता क्या है? हमें इस की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इसमें एक और बात देखने की है कि काटन और आर्टिफिशल सिल्क मिक्स्ड (सूत और कृत्रिम रेशम मिश्रित) कपड़ा भी होता है। हमारे देश में काटन मिल्स (सूती कपड़े की मिलें) जो चल रही हैं उन से हम को आमदनी भी हो रही है। लेकिन विदेश यार्न जो १०० या १२० काउन्ट्स का आता है जिसमें एक या दो परसेन्ट (प्रतिशत) आर्टिफिशल सिल्क मिला दिया जाय तो वह आ सकेगा। अगर वह आने लगे तो कल आप की मिलों को सब से बड़ा कम्पिटीशन (प्रतिस्पर्धा) उन से करना पड़ेगा। इसलिए इस विधेयक में जो लैकुना (कमी) है कि आर्टिफिशल सिल्क मिक्स्ड विध काटन (सूतमिस्रित कृत्रिम रेशम) इस को हटा दिया जाना चाहिये। अगर मेरी पूरी बात नहीं स्वी-

[श्री रघुनाथ सिंह]

कार करना चाहते और आर्टिफिशल सिल्क पर प्राटैक्शन संरक्षण रखना चाहते हैं तो उसको रखें, लेकिन इसमें जो मिक्सड विद काटन (सूत मिश्रित) है, इस को तो हटा ही देना चाहिये । नहीं तो कल क्या होगा कि जो यू० के० का महीन थ्रेड (धागे) हैं उस में अगर सिर्फ १ परसेन्ट (प्रतिशत) आर्टिफिशल सिल्क है और ९९ परसेन्ट काटन मिलाकर बनाया जाय तो वह कानून के अन्दर आ जाता है कि यह तो मिक्स्ड (मिश्रित) चीज है। हमारे देश में इस से बहुत नुक्सान हो सकता है। अगर आप को सिल्क की इन्डस्ट्री की रक्षा करनी है तो आर्टिफिशल सिल्क पर आप कोई प्रोटेक्शन न दे। अगर आर्टिफिशल सिल्क जीना चाहती है तो अपने पैर पर खड़ी हो कर उस को जीने दें। अगर उसको आप के द्वारा बल मिलेगा, शक्ति मिले की तो उस शक्ति से जो भारतवर्ष की हजारों वर्ष को प्राचीन इन्डस्ट्री (उद्योग) है उस को नुकसान होगा।

बनारस में जो बनारसी साड़ी या वस्त्रों का उद्योग है उस का कम्पिटीटर (प्रतियोगी) सारी दुनियां में नहीं है। बनारस में करीब ६ करोड़ रु० का जो सिल्क सालाना आता है वह सारा फारेन सिल्क (विदेशी रेशम) होता है। सब चीन या जापान से आता है। उसमें मैसूर या काश्मीर के सिल्क का बहुत कम हिस्सा होता है। कश्मीर का लोटस सिल्क बहुत अच्छा होता है। वार टाईम (युद्ध काल) में वह करीब करीब जापान या चाइना के सिल्क के समान था बल्कि कुछ अंशों में तो वह उस से भी ज्यादा मजबूत होता था? यह साढ़े छः करोड़ रुपया या आठ करोड़ रुपया हम हर साल जा कर विदेशों को दे देते हैं। सिल्क इम्पोर्ट (रेशम आयात) के बचाने के लिये हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि जैसा सिल्क चाइना (चीन) और जापान बनाते हैं वैसा ही सिल्क हमारे देश में भी उत्पादित होने लगें। शायद आप को मालूम होगा कि बनारस में जो कपड़ा बनता है उस में अगर ४० रु० का रेशम लगता है तो करीब १०० रु० उनकी बनवाई और लेबरर्स (श्रमिको) की मजदूरी हो जाती है। आप इस को भी समझ लीजिये कि ईरान, ईराक, अरब जसे देशों में हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है। अब चूंकि हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है इस लिये हमारा प्रयास होना चाहिये कि अच्छा सिल्क जो है वह भारतवर्ष में ही उत्पादित हो ताकि चाइना, जापान और इटली, जहां पर कि अच्छा सिल्क बनता है, उन का हम मुकाबला कर सकें। मैं मानता हूं कि आपने सिल्क पर प्रोटेक्टिव ड्यूटी (संरक्षात्मक शुल्क) लगाई है, लेकिन बावजूद इस प्रोटेक्टिव ड्यटी लगाने के उस ने भारतवर्ष की समस्या को हल नहीं किया है। आज भी बहुत अंशों में हम को फोरन सिल्क इम्पोर्ट (विदेशी रेशम आयात) करना पड़ता है।

इस वास्ते अन्त में मैं आप से फिर निवेदन करता हूँ कि आप ने जिस प्रकार हिन्दुस्तान की हैंडलूम इन्डस्ट्री (हथकरघा उद्योग) को प्रश्रय दिया है उसी प्रकार भारतवर्ष की सिल्क इन्डस्ट्री को भी आप प्रश्रय दें ताकि भारतवर्ष का जो रुपया बाहर जा रहा है वह हिन्दुस्तान में ही रहे। आर्टिफिशल सिल्क (कृत्रिम रेशम) का मोह त्याग दीजिये जैसे चाणक्य ने कुश मट्ठा डाला था प्रतिज्ञा की थी कि नन्द वशं का नाश करूंगा आपने आर्टिफिशल सिल्क को जो प्रोटेकशन) संरक्षण) दिया है वह हमारी सिल्क इन्डस्ट्री की जड़ में मट्ठा डालेगा और हमारी इन्डस्ट्री को नाश करेगा। लिहाजा मेरा मत है कि कम से कम आर्टिफिशल सिल्क मिक्स्ड विद काटन (सूत मिश्रित कृत्रिम रेशम) पर कोई प्रोटेक्टिव ड्यूटी (संरक्षणात्मक शुल्क) नहीं होना चाहिये। साथ ही साथ आर्टिफिशल सिल्क पर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिये।

श्री **एन० बी० चौधरी** (घाटल) : सर्वप्रथम मैं प्लास्टिक के बटनों के उद्योग को लेता हूँ। हम जानते हैं कि जिस संरक्षण का प्रस्ताव किया गया है वह देशीय उद्योग के विकास के लिए बहुत ही अच्छी बात है। परन्तु इसके साथ ही हम यह देखते हैं कि कुछ अन्य उद्योगों पर इस आयोग के विकास का कुप्रभाव पड़ रहा है और उन उद्योगों में लगे हुए व्यक्ति धीरे धीरे बेकार होते जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, सींग की वस्तुओं के निर्माण के उद्योग पर एस उद्योग का बड़ा भारी कुप्रभाव पड़ रहा है। हम यह तो नहीं चाहते कि ऐसे नये उद्योगों के विकास में रोड़ा बनें परन्तु यह अवश्य चाहते हैं कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि प्राचीन उद्योग, उन उद्योगों में काम करने वालों के लिए रोज़गार की व्यवस्था किये बिना, समाप्त न किये जायें। इसी प्रकार अलूमीनियम उद्योग के विकास का कुप्रभाव पीतल धातु उद्योग पर पड़ रहा है। क्योंकि पीतल धातु उद्योगों में लगे लोग अपने उत्पादों को उतने सस्ते दामों पर नहीं बेच सकते जितने सस्ते दामों पर अलूमीनियम की वस्तुएं मिल जातीं हैं। यद्यपि इस विधेयक का उद्देश्य यह नहीं है कि इन नये उद्योगों के विकास के कुप्रभाव से पुराने उद्योगों को बचाया जाये तथापि हम चाहते हैं कि इस बात भी कुछ ध्यान दिया जाये।

अन्त में, मैं अलौह धातु उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस बारे में प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस होता है कि यद्यपि मांग तथा निर्धारित क्षमता तो बहुत है, परन्तु उत्पादन में तनिक भी वृद्धि नहीं हुई है। और जैसा कि सरकारी नोट में कहा गया है, उत्पादन में वृद्धि होने की बजाय १९५३ से कमी ही हो रही है। परन्तु हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि हम इस वर्त्तमान स्थिति को बदल दें, और हम उन उद्योगों की उत्पादन क्षमता में सुधार कर सकें।

और भारतीय प्रशुल्क (तीसरा संशोधन) विधेयक

श्री **टी० टी० कृष्णमाचारी** : इन विधेयकों का, जो सभा के सामने हैं, माननीय सदस्यों ने जो सामन्य समर्थन किया है, उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। इसमें सन्देह नहीं कि वे बातें, जो उन्होंने विशेष उद्योगों के बारे में कहीं है, बहुत महत्वपूर्ण हैं, और भविष्य में ये बातें इन विशेष उद्योगों संबंधी नीति बनाने में सरकार का पथप्रदर्शन करेंगी। मुझे प्रसन्नता है कि इन दो विधेयकों के अधीन जो उद्योग आते हैं उनके बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के सरकारी विनिश्चय का साधारणतया माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है।

परन्तु इस सम्बन्ध में एक मिथ्या धारणा थी जिसका बहुत से माननीय सदस्यों ने साधारण रूप में उल्लेख किया, और उसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब किसी उद्योग से संरक्षण हटाया जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि शुल्क में परिवतन होता है। वास्तव में, उन सारे उद्योगों के बारे में जिनसे संरक्षण हटाया गया है, शुल्क ज्यों का त्यों है। उनमें कोई परिवर्त्तन न होगा, शुल्क में कोई कमी नहीं होगी। परन्तु मोटर गाड़ियों की बैटरी का मामला एक अपवाद है। उस पर यथा मूल्य ४५$^{1}/_{2}$ प्रतिशत संरक्षात्मक शुल्क तथा ५ प्रतिशत अधिकार था, यथा मूल्य १० प्रतिशत आयात प्रति शुल्क था, अर्थात् एक उत्पादन शुल्क लगाया गया था वर्तमान शुल्क यथामूल्य ४५ प्रतिशत होगी, और इसके साथ ५ प्रतिशत अधिकतर तथा १० प्रतिशत प्रतिशुल्क भी होगी। अन्तर केवल $^{1}/_{2}$ प्रतिशत भार होगा। अन्यथा हम इन शुल्कों को निर्धारित राजस्व शुल्कों के रूप में रख रहे हैं। अतः इन उद्योगों को जो संरक्षण दिया गया था, वह इन शुल्कों के कारण अब भी है।

परन्तु यदि अन्य परिस्थितयों को देखते

[श्री एन० बी० चौधरी]

हुए शुल्कों में कमी करना आवश्यक हो, तो शुल्कों में इच्छानुकूल कमी करने का वह परमाधिकार, जो कार्यपालिका को होता है, यथापूर्व विद्यमान है, और यह संरक्षात्मक शुल्कों के बारे में नहीं है। वह स्वविवेक तो है ही परन्तु इस बात की कोई संभावना नहीं है कि उसका प्रयोग किन्हीं ऐसे उद्योगों के सम्बन्ध में किया जायेगा जिन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए इन राजस्व शुल्कों की सहायता की आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता।

श्री के० के० बसु: यदि शुल्कों में कोई परिवर्त्तन नहीं है, तो आप उन्हें संरक्षण की श्रेणी में क्यों नहीं रहने देना चाहते?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सम्भव है कि यह शाब्दिक अर्थों की बात हो, क्योंकि यह कहा जाता है कि उद्योग पर से संरक्षण तो समाप्त होता है परन्तु उसके साथ ही शुल्क यथापूर्व रहता है। वास्तव में व्यावहारिक दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। सच यह है कि यदि मूल्य अधिक चलते रहें, यदि इन अधिक राजस्व शुल्कों से तथा उनसे बनने वाली दीवार से उद्योग को लाभ न हो तो शुल्कों में कमी करना, इसके अनुसार कार्य-पालिका के स्वविवेक पर निर्भर है। हमें यह विशेषाधिकार प्राप्त होता है। इसमें हमारे द्वारा पर्याप्त परिवर्त्तन किये जाने की क्या कोई सम्भावना है या नहीं, यह बात पूर्णतया संदेहजनक है। इस बात का ख्याल करते हुए कि हमारी आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है, मैं नहीं समझता कि निकट भविष्य में हमारे राजस्व खोने की कोई सम्भावना है। ऐसे प्रत्येक मामले में जहां कार्यपालिका को ऐसा विनिश्चय करना पड़ता है, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि सम्बद्ध उद्योग को हानि न हो।

एक या दो विशेष मामलों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र चम्पारन निवासी श्री विभूति मिश्र ने सीप के बटनों के बारे में कहा था। आज-कल बटन बहुत लोक प्रिय हैं और बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कहा है। बटन उद्योग को, जो एक कुटीर उद्योग है, संरक्षण देने के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसे हमारे आयात नियन्त्रणों के द्वारा बहुत अधिक संरक्षण दिया जा रहा है। इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि हम इस उद्योग का संरक्षण देने की आवश्यकता को पूर्णतया भूल गये हैं। परन्तु सदैव शुल्कों से काम नहीं चलता है। कभी, शुल्कों से कुछ बड़े निर्माणकर्त्ताओं को अनुचित लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है, जिसके बारे में बहुत से माननीय सदस्य पहले ही जोर दे चुके हैं।

कुटीर उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योगों को कुछ अधिक संरक्षण की आवश्यकता होती है। यह सक्रिया सहायता चाहता है और चाहता है कि उसे विपणन के लिए कुछ सहायता दी जाये। बटन उद्योग को संरक्षण देने के लिए सौराष्ट्र सरकार ने जो कार्य-वाही की थी उसके बारे में हमारा अनुभव इस संबंध में कि हम अन्य स्थानों पर इस उद्योग के बारे में क्या कर सकते हैं, निश्चय ही पथ प्रदर्शनात्मक है। सौराष्ट्र में बटन उद्योग एक बड़ा कुटीर उद्योग अथवा छोटे पैमाने का उद्योग है। यह उद्योग अब सौराष्ट्र में कुटीर उद्योग न रह कर बड़े उद्योग का रूप धारण करता जा रहा है अर्थात् उद्योग का विकास हो रहा है।

में अपने माननीय मित्र श्री विभूति मिश्र को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं विकास शाखा (विंग) के एक अधिकारी से चम्पारन जाने और इस विशेष प्रश्न का अध्ययन करने के लिए कहूंगा। उन्हें

सहायता देने, कोई ऐसी सुविधायें देने, जो हम उन्हें अपने छोटे पैमाने की उद्योग संस्थाओं द्वारा दे सकते हैं, तथा उन्हें कुछ विपणन की सुविधायें देने के लिए हम निश्चय भरसक प्रयत्न करेंगे।

एक और भी प्रश्न था जो श्री एन० बी० चौधरी ने उठाया था, अर्थात् प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, जो हो रहा है, और उसके परिणाम-स्वरूप उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन। जहां कहीं इसका प्रभाव पुराने उद्योगों पर पड़ता है वहां मैं इतनी आसानी से वही आश्वासन नहीं दे सकता, जितनी आसानी से मैं ने वह श्री विभूति मिश्र की मांग के मामले में दिया है।

यदि प्लास्टिक उद्योग से वास्तव में सींग से बटन बनाने के उद्योग को हानि हो रही है, तो यह ऐसी बात है जिसके बारे में मैं अभी यह कहने में असमर्थ हूं कि हम इसे रोक सकते हैं। यदि जनता यह महसूस करती है कि सींग के बटनों की अपेक्षा प्लास्टिक के बटन अच्छे हैं, और सीप के बटन लेने वाले अब उन्हें नहीं ले सकते और प्लास्टिक के बटन लेते हैं, तो यह उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन होने की बात है जिसके विरुद्ध सरकार कुछ नहीं कर सकती। पीतल के बारे में उन्होंने जो कहा है उसके लिए भी यही बात लागू होती है।

फिर, केवल पीतल से अलूमीनियम और, कदाचित्, एनेमल के बर्तनों के लिए ही नहीं अपितु अलूमीनियम से स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की मांग हो गई है।

श्री के० के० बसु : यह बहुत महंगी है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह महंगी है, परन्तु टिकाऊ है। कभी कभी निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी टिकाऊ वस्तु को, जो आसानी से खराब न हो, पसन्द करते हैं। परिवर्तन हो हो रहा है और वास्तव में मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। परन्तु मैं अपने माननीय मित्र को वह अनुभव बता सकता हूं जो मुझे दस वर्ष पूर्व हुआ था जब कि मैं इस माननीय सभा की पूर्वगामी सभा में एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि था। देश के मेरे भाग में पीतल का बर्तन गृहीणी के लिए गर्व की वस्तु है। वह प्रातःकाल उसे मांजती, तालाब या कुए पर ले जाती और अत्याधिक चातुरी से अपने सर पर रख कर वापस लाती थी। अतः अत्याधिक निर्धन व्यक्तियों के घर में भी एक दो पीतल के बर्तन होते थे। परन्तु युद्धकाल में पीतल के बर्तनों का मूल्य मूल मूल्य की अपेक्षा लगभग चोगुना हो गया और हमने देखा कि बहुत थोड़े वर्गों में इन पीतल के बर्तनों में से जिन्हें निम्न मध्यम वर्ग और निम्नतम मध्यम वर्ग की गृहणियां प्रयोग करती थीं, अधिकांश का लोप हो गया और बर्तन व पैन फिर आ गये। ये परिवर्तन होते रहते हैं और ये ऐसे परिवर्तन हैं जो व्यक्तिगत पसंद द्वारा और कुछ सीमा तक आर्थिक विचारों के कारण होते हैं। वास्तव में पीतल, अलूमीनियम तथा इनैमिल के बर्तनों के प्रयोग किये जाने का एक महत्वपूर्ण कारण उनकी कीमत है जो स्टेनलैस स्टील के बर्तनों की कीमत के मुकाबले कम है। परन्तु फिर भी, परिवर्तन होते ही रहते हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यह कहने में कोई सार नहीं है कि अलूमीनियम की कोई वस्तु न हो। वास्तव में, हमारे देश में अलूमीनियम की उत्पादन-मात्रा बहुत थोड़ी है। मेरा ख्याल है कि यहां एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न रखा है कि निर्माण कार्यों में अलूमीनियम के प्रयोग को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भी मेरी कठिनाई यही है कि अलूमीनियम इस्पात से महंगा है। अतः मेरे लिए यह आसान काम नहीं है कि मैं निर्माण कार्यों में अलूमीनियम का प्रयोग करवाने का प्रयत्न करूं। फिर भी, अलूमीनियम निर्माण का हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है। हम घरों में प्रयोग के लिए अलूमीनियम को अधिक नहीं चाहते परन्तु हम इसे औद्योगिक प्रयोजनों

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

के लिए चाहते हैं। अतः यह एक मूल उद्योग है, जिसे प्रोत्साहन देना है, और इसके परिणाम-स्वरूप जो परिवर्तन होता है उसे नहीं रोका जा सकता।

दूसरी बात बहुत से माननीय सदस्यों ने अलौह-धातु उद्योग के बारे में कही थी। जहां तक अलौह-धातु उद्योग का संबंध है, संरक्षण केवल अलूमीनियम उद्योग को ही नहीं अपितु कुछ अन्य अलौह-धातु उद्योगों को भी दिया गया है। अतः प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

दूसरी बात इन उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बारे में उठाई गयी थी। इन अलौह-धातु उद्योगों के मामले में, अधिष्ठापित क्षमता केवल वेल्लन क्षमता है। यह निर्माण क्षमता नहीं है। देश में तांबे सम्बन्धी आवश्यकताओं की अपेक्षा तांबे का उत्पादन थोड़ा होता है, और अलूमीनियम को छोड़ कर अन्य अलौह-धातुओं का हमारा उत्पादन नगण्य है। अतः उत्पादन का प्रश्न नहीं है परन्तु यह केवल वेल्लन क्षमता है; आयात किये गये पिण्डकों को जनता की मांग के अनुसार विभिन्न रूपों में वेल्लित किया जाता है। हो सकता है कि मांग में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया हो, हो सकता है कि मूल्यों के उतार-चढ़ाव के कारण ये कुछ बातें हो गई हों, परन्तु जहां तक इन उद्योगों की अधिष्ठापित उत्पादन-क्षमता का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह उत्पादन-कार्य नहीं है अपितु बहुत थोड़ा परिष्करण कार्य है।

दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जिस पर बहुत सा समय लगाया गया था, कृत्रिम रेशम और रेशम की सापेक्ष विशेषताओं की है। मेरे माननीय मित्र श्री रघुनाथ सिंह जो यहां नहीं हैं—और श्री झुनझुन वाला सहित अन्य माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा था। अभी, सम्भव है कि कृत्रिम रेशम रेशम की आवश्यकताओं अथवा प्रसन्नता की, जो लोगों को रेशम पहनने से होती है, पूर्ति कर रहा हो। इस बारे में हमें रेशम पहनने वालों से अवश्य पूछना चाहिये। बहुत समय से रेशम से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। यहां मूल्य का प्रश्न है। कृत्रिम रेशम और सच्चे रेशम के मूल्यों में लगभग ८ से १० गुना तक का अन्तर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसी ऐसी वस्तु के आयात या उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा कर, जिसका मूल्य किसी दूसरी वस्तु के मूल्य का १।८ हो उस दूसरी वस्तु का प्रयोग करना जिसका मूल्य ८ गुना अधिक है, बहुत कठिन है। परन्तु यह सर्वथा ठीक नहीं है। रेशम उद्योग के विकास में बाधा का कारण इतना नक़ली रेशम की स्पर्धा नहीं है बल्कि इसका मुख्य कारण अधिक लागत है। हमें अभी तक भारी मात्रा में विदेशों से कच्चा रेशम मंगवाना पड़ता है, हमें अपनी आवश्यकता का ५० से ६० प्रतिशत भाग विदेशों से मंगवाना पड़ता है। इस तथ्य में श्री रघुनाथ सिंह की दिलचस्पी होगी। बनारस में हथकरघा बुनकर के काम को चालू रखने के लिए मेरे लिए यह आयात आवश्यक है। अब रेशम बोर्ड एक दूसरे मंत्रालय के अधीन चला गया है इस कारण हो सकता है कि वह मंत्रालय मुझ से यह कहे, "कृपया आयात न कीजिये।" हमें अपने उत्पादन को अवश्य ही बनाये रखना है। यदि उत्पादन केवल बीस लाख पौंड हो और यदि मैं मैसूर के लोगों से कहूं कि आपको प्रशुल्क आयोग ने अपने प्रतिवेदन में जो उचित लागत निर्धारित की थी उसके अनुसार ३० रुपये की दर के हिसाब से बेचना होगा तो वे कहेंगे, "नहीं, हम ३७ रुपये से कम नहीं, बेच सकते"। मैं २६ रुपये की दर से रेशम का आयात करता हूं और ३० रुपये पर बेचता हूं। सम्भवतः बनारस से कोई यह कहेगा कि सरकार लाभ उठा रही है। कई विभिन्न समस्याएं हैं। सच बात यही है कि बनारस में, भारत के दूसरे भागों में, सूरत और दक्षिण

भारत में बुनकर का काम चालू रखने के लिए मुझे यह रेशम विदेशों से मंगवाना पड़ता है और इसे बुनकर को उचित दाम पर देना होता है ताकि हमारा रेशम उद्योग बिल्कुल ही ठप्प न हो जाए। तीन साल से अधिक समय तक मैं इस रेशम बोर्ड का नियन्त्रक था । मैं ने इसमें बहुत ही निजी दिलचस्पी ली । सरकार जो अनुदान देती थी प्रथम वर्ष में ही मैं ने उसे २ लाख से बढ़ा कर चार लाख करवाया । दूसरे वर्ष में ११ लाख और तीसरे वर्ष में १४ लाख रुपये अनुदान दिया गया । संस्था द्वारा इस राशि को खर्च करवाने की मेरी कठिनाई थी । सच तो यह है कि कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में, चाहे वे हथकरघे हों अथवा छोटे पैमाने के कोई अन्य उद्योग, हमें मांग ढूंढने की इतनी अधिक चुनौती नहीं है, बड़े उद्योग और छोटे उद्योग की सापेक्ष स्थिति को बराबर करने की चुनौती नहीं है, बल्कि यह चुनौती वास्तव में संस्था की शक्तियों को चुनौती है । जहां कहीं हम संगठन करने में सफल हुए हैं, हम ने निश्चय ही वहां प्रगति की है । सम्भवतः मेरे माननीय मित्र श्री रघुनाथ सिंह को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि जब हम ने मद्रास में एक सहकारी रेशम बुनकर संस्था के सम्बन्ध में एक प्रयोग प्रारम्भ किया था तो उसमें आश्चर्यजनक सफलता मिली थी । यद्यपि यह एक अजीब अनियमिता है, सत्य यह है कि मद्रास में रेशम के एक बुनकर को, रेशम बुनने वाले एक परिश्रमी श्रमिक को, सूती कपड़ा बुनने वाले एक परिश्रमी श्रमिक की तुलना में कुछ कम ही मिलता है । यथापि हम ने सहकारी संस्थाएं स्थापित करने की दिशा में एक कदम उठाया है । प्रारम्भिक प्रयोग में विशेषतः यह सफल रहा है । मुझे आशा है कि अपना पद त्यागने से पहले मैं बनारस जा सकूंगा और वहां हथकरघा रेशम बुनकरों की एक संस्था की स्थापना करूंगा । यहां तक कि भारत में दूसरे भागों के हथकरघा रेशम बुनकरों को सहकारी संस्थाएं जो लाभ दे सकती हैं वह भी बनारस में रेशम के हथकरघा बुनकरों को दिया जा सकेगा । परन्तु यह कहना कि नक़ली रेशम कोई गम्भीर हानि पहुंचा रहा है, जांच करने पर लगभग बिल्कुल ही निराधार प्रमाणित हुआ है ।

एक और विषय जिसकी चर्चा की गई है वह टैपिओका के सम्बन्ध में है। मैं अपने माननीय मित्रों को यह बता दूं कि मैं ने इस उद्योग के विरुद्ध कुछ नहीं किया है । जहां तक संरक्षण समाप्त किये जाने का सम्बन्ध है, इसका मुख्यतः सम्बन्ध मक्का की मांड से है । और फिर हम असहाय नहीं हैं । अभी तक हम ने आयात नियन्त्रण रखा हुआ है और अगली योजना की अवधि में हमें अवश्य ही इसे रखना होगा । इस से बचा नहीं जा सकता । अगली योजना की अवधि में आयात नियन्त्रण को कठोर रहना होगा । यह एक ऐसा विषय है जिसका सम्बन्ध इस देश में विदेश से आने वाली मक्का की मांड और मक्का के उत्पादन से है ।

देश में टैपिओका की मांड के और अधिक उपयोग की चर्चा भी की गई है । तुलनात्मक दृष्टिकोण से टैपिओका में कुछ कम आलगत्व होने के कारण इस में कुछ कठिनाई है और यह कठिनाई इमली की मांड के सम्बन्ध में और भी अधिक है । इमली की मांड के उत्पादन के बढ़ावे के लिए सरकार ने पूरा प्रयत्न किया । कारखानों को इसे खरीदने के लिए विवश किया गया; उन्होंने इसे खरीदा परन्तु इसका उपयोग नहीं किया । इन सभी घटनाओं के फलस्वरूप प्रशुल्क आयोग ने यह सिफारिश की है ।

जहां तक टैपिओका का सम्बन्ध है, जो कुछ भी हम कर सकते थे, निश्चय ही हम ने वे प्रयत्न किए हैं । मेरे माननीय मित्र श्री थामस ने कहा था कि टैपिओका की मांड के निर्यात की अवधि ३१ दिसम्बर तक बढ़ा देनी चाहिये । मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस विषय पर विचार करूंगा ।

टैपिओका के और अधिक उपयोग के सम्बन्ध में हम ने साबूदाने के गुण के प्रश्न पर

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। पिछले अवसर पर मैं ने जब सदन में कहा था कि हम टैपिओका की खेती करने वालों के हितों की रक्षा के लिए अपना पूर्ण प्रयत्न करेंगे, तो मुझे याद है कि उसे ग़लत समझा गया और उस से भारत के एक भाग में सम्पूर्ण प्रैस में मेरे विरुद्ध एक जोश पैदा हो गया। विभिन्न स्थानीय संस्थाओं ने मुझ पर आरोप लगाए।

मेरे माननीय मित्र श्री बसु बहुत ही योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसलिए यदि मैं उनकी बातों का उत्तर न दूं तो वह बुरा न मानेंगे क्योंकि पहले कई बार मैं उन्हें उत्तर दे चुका हूं।

इस से न्यूनाधिक रूप में मेरा आय-व्ययक पूरा हो जाता है और विभिन्न उद्योगों को जो प्रशुल्क संरक्षण दिया जाता है उस सभी का प्रतिवेदन करने के सम्बन्ध में बात यह है कि हमें यदा सदा प्रशुल्क आयोग से जो भी दस्तावेजें मिलती हैं हम वे सभी भेज देते हैं। परन्तु इस विषय में माननीय सदस्यों को एक बात यह समझनी चाहिए कि हमारे तर्कश में केवल यही बाण नहीं हैं। होता यह है कि आयात नियन्त्रण की इस मात्रात्मक संरक्षण से हम अपने उद्योगों को सारवान् संरक्षण दे रहे हैं। हो सकता है कुछ मामलों में हम देखते हैं कि हम ग़लती पर हैं; परन्तु, सामान्यतया, संरक्षण की नीति से लाभ ही हुआ है, चाहे संरक्षण प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो अथवा मात्रात्मक निर्बन्धनों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। आज हमारा औद्योगिक उत्पादन देशनांक के ५० प्रतिशत से भी कुछ अधिक है। मेरे विचार में यह एक ऐसी बात है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। जहां कहीं संरक्षण की नीति अपनायी जा रही है वहां उसे अपनाते रहने और जिस आयात नीति पर हम चल रहे हैं उस पर चलते रहने के लिए यह एक उचित आधार है।

सभापति महोदय : सर्वप्रथम मैं भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक को मतदान के लिए रखूंगा और उस के पश्चात् दूसरे को।

प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ और २, अधिनियम का सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक से सम्बन्धित दूसरे प्रस्ताव को सदन के सम्मुख मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ और २, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें

मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय

मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
८५	श्री एन० बी० चौधरी	इस्पात के उत्पादन के विस्तार के लिए की गई कार्यवाहियां	१०० रु०
१३१	"	लोहा तथा इस्पात उत्पादन के विस्तार के लिए की गई कार्यवाहियां	१०० रु०

श्री एन० बी० चौधरी : मांग संख्या १३१ का सम्बन्ध लोहा तथा इस्पात उत्पादन से है। निश्चय ही इस उद्योग के विस्तार का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें प्रसन्नता है कि कम से कम पंच वर्षीय योजना की समाप्ति पर इस उद्योग के विस्तार के लिए सरकार ने कुछ कार्यवाहियां की हैं।

कई व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने और कुछ औद्योगिक कारखाने स्थापित करने का यह एक प्रश्न है। १९५२ से हम इस बात पर जोर देते आए हैं; परन्तु उस समय सरकार ने इन कार्यवाहियों को स्वीकार नहीं किया इस के कुछ कारण भी थे। हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था पर विदेशी पूंजीपतियों के प्रभाव के कारण और कुछ और कारणों से सरकार शीघ्र ही कार्यवाही न कर सकी।

हाल ही में नीति में परिवर्तन दिखाई दिया है। अब हमें समाजवादी और साम्राज्य-वादी देशों के साथ साथ उड़ीसा में एक कारखाना स्थापित करने के लिए क्रुप्स-डेमाग के साथ एक समझौते की बात भी मालूम हुई है। अब यदि आप इस कारखाने के समझौते की शर्तों को देखें तो आप को मालूम होगा कि इस में कई उपबन्ध हमारे देश और हमारे हितों के विरुद्ध हैं। भिलाई कारखाने के समझौते में ऐसी कोई शर्त अथवा बन्धन नहीं है। यह कहा गया है कि गैर सरकारी क्षेत्र अपने इस्पात उत्पादन के विस्तार की स्थिति

सभापति महोदय : अब हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कार्य सूची के अगले विषय पर विचार करेंगे।

३१ मार्च १९५६ को होने वाले वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग सं०	शीर्ष	राशि
		रुपये
८५	उत्पादन मंत्रालय	४,२७,०००
१३१	उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	१,०००

इन दो मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव हैं।

[श्री एन० बी० चौधरी]

में नहीं है। हाल में सरकार ने ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को बिना ब्याज के १० करोड़ रुपये का ऋण दिया है। हमें ब्याज मुक्त ऋण की बात समझ में नहीं आती। यह ठीक है कि लोहे तथा इस्पात के बड़े कारखानों की स्थापना में समय लगेगा और उन से लाभ होने में भी समय लगेगा। परन्तु ब्याज क्यों न लिया जाए। कुछ समय के पश्चात् ब्याज की राशि अदा की जा सकती थी। उस समय जब वे लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हों। यह एक बात है जिस पर हमें घोर आपत्ति है।

अब रही कारखानों की स्थापना के बारे में योजना की बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि सरकार शीघ्र ही इस दिशा में कार्यवाही करे। हम कोई बाधा डालना नहीं चाहते। परन्तु साथ ही हमें यह देखना है कि जितनी शीघ्रता से सम्भव हो कर्मचारी-गण प्रशिक्षित हों और भारतीयों को उचित अवसर प्रदान हो। हमें यह देखना चाहिये कि ये प्रस्तावित कारखाने भविष्य में ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं सौंपे जायें। मैं सरकार से इस बात का पक्का आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जिन उद्योगों की स्थापना की जाएगी वे सरकार के अधीन ही रहेंगे और कभी भी ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को सौंपे नहीं जायेंगे।

सभापति महोदय : अब केवल दो कटौती प्रस्ताव संख्या २३ और ३१ हैं। दूसरे माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती प्रस्ताव भेजे थे वे उपस्थित नहीं हैं इसलिए यही समझा जाएगा कि केवल दो कटौती प्रस्ताव संख्या २३ और ३१ ही प्रस्तुत हुए हैं।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : इस विशेष मांग का सम्बन्ध लोहा तथा इस्पात मंत्रालय से है। सरकार सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योगों को बढ़ाने पर ज़ोर दे रही है। हम सभी यही चाहते हैं कि देश में लोहे तथा इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हो। मैं आशा करता हूं कि नया मंत्रालय इस बात का ध्यान रखेगा कि देश के हितों में और ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के हितों में भी इस विशेष उद्योग के सम्बन्ध में उचित नीति अपनायी जायेगी। जो तीन कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं उनके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा।

जब उनमें उत्पादन आरम्भ हो जायगा तब हमारे देश में लोहे और इस्पात का उत्पादन बढ़ जायगा। परन्तु तब भी, सरकारी आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र से हमारी केवल पचास प्रतिशत आवश्यकतायें ही पूरी हो सकेंगी, और बाक़ी पचास प्रतिशत तब भी निज़ी क्षेत्र के ही हाथ में रहेंगी। हाल ही के कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र ने अपनी उत्पादन-क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया है और इस में भी सरकार ने आसान शर्तों पर, जैसे करमुक्त-ऋण आदि देकर, काफी हद तक इस की सहायता की है। कभी कभी ऋण अदा करने की सरकारी गारंटी के आधार पर ये समवाय विश्व-बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से भी ऋण ले लेते हैं।

मैं सभा से यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे देश के औद्योगीकरण के लिये इस्पात का उत्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार को यह देखना चाहिये कि निजी क्षेत्र कहीं सिर-दर्द न बन जाय। दुर्भाग्यवश इस प्रकार के--विशेष रूप से दोनों बड़े--टाटा और इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी--संस्थानों का इतिहास और आचरण इस प्रकार का रहा है कि इन के प्रति संदेह का भाव बना ही रहता है। हम जानते हैं कि टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी में सरकार का काफी भाग है, परन्तु हमें यह ज्ञात नहीं है कि सरकार उसके आचरण की जांच भी कर सकती है कि नहीं। टाटा उत्पादन के संबंध

में जो आंकड़े देती हैं उन तक तो संसद के सदस्यों तक की पहुंच नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े उन्हें नहीं दिये जाते हैं ।

एक ओर तो इस संस्थान के सभापति कहते हैं कि मज़दूरों ने अपनी कार्य-कुशलता बढ़ा कर उत्पादन भी बढ़ा दिया है, परन्तु जब उत्पादन-बोनस देने की बात उठायी जाती है तो वह देने से इंकार कर देते हैं । यहां तक कि अपनी न्यायोचित मांगों की प्राप्ति के लिये वह मज़दूरों को काम बन्द कर देने अथवा हड़ताल कर देने तक को प्रेरित करते हैं । श्रमिक संघों और अन्य संगठनों द्वारा अक्सर सरकार से हस्तक्षेप कर के यह पता लगाने का अनुरोध किया जाता है कि वह व्यापार संस्था उत्पादन बोनस देने में समर्थ है अथवा नहीं, जब कि सभापति ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में ही यह स्वीकार कर लिया है कि मज़दूरों ने सुन्दर ढंग से कार्य किया है, कार्य-कुशलता बढ़ी है और प्रतिव्यक्ति उत्पादन भी बढ़ गया है । इतने पर भी मज़दूरों की न्यायोचित मांगें पूरी नहीं की जातीं । मेरा यही आग्रह है कि सरकार मामले की जांच करे, और यदि उसे इस बात का विश्वास हो जाय कि मज़दूरों की मांगें उचित हैं, तो वे पूरी की जानी चाहियें । लेकिन मैं तो यह देखता हूं कि सरकार चुपचाप बैठी रहती है और वह सरकारी अभिकर्ता, जिन्हें मज़दूरों के हितों की देखभाल करनी चाहिये, वास्तव में पूरे मंत्रालय और पुलिस की शक्ति लगाकर निजी उद्योगों के हितों की रक्षा में सहायता गकरते है यह मज़दूरों के सब से नाजुक और मनोवैज्ञानिक पहलू के विपरीत जाता है और यही सब से अधिक महत्व की बात है ।

सभापति महोदय : कटौती-प्रस्ताव का समर्थन इतना लंबा नहीं होना चाहिए ।

श्री के० के० बसु : मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन के साथ मांग पर चर्चा भी कर रहा हूं जो एक नये मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत की गई है । मैं इस बात पर आग्रह कर रहा हूं कि नये मंत्रालय को किस ढंग से कार्य करना चाहिये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य का समय नहीं लेना चाहता, परन्तु मैं यह बता दूं कि यह मंत्रालय विशेष इन दोनों इकाइयों से व्यवहार नहीं करता है ।

श्री के० के० बसु : आप यह कहना चाहते हैं कि यह लोहा और इस्पात मंत्रालय के अधीन नहीं हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : लोहा और इस्पात मंत्रालय बर्नपुर और जमशेदपुर के कारखानों से व्यवहार नहीं करता है ।

श्री के० के० बसु : परन्तु जब नये मंत्रालय को स्थापित किया गया था तो एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि दोनों ही क्षेत्र नये मंत्रालय के अधीन कर दिये जायेंगे ।

सभापति महोदय : अब तो यह बात स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री के० के० बसु : इसीलिये, मैं यह कहना चाहता हूं कि लोहा और इस्पात मंत्रालय को इस समस्त क्षेत्र को एक ही योजना के अन्तर्गत ले आना चाहिये ।

मैं केवल एक और बात पर आग्रह करना चाहता हूं । मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय लोहा और इस्पात के विषय में भारतीयों को ही प्रशिक्षित करें । हमारे यहां टाटा और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को स्थापित हुये इतना समय हो गया, परन्तु हमें जब भी इस्पात का कारखाना स्थापित करना होता है, तो हम विदेशी अभिकरणों का ही मूंह ताकने को बाध्य होते हैं । हो सकता है कि हमारे देश में इस संबंध की पूरी जानकारी रखने वाले लोग न हों, परन्तु इन को प्रशिक्षित क्यों न किया जाय ?

हाल में मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य में कहा था कि वह इस्पात का चौथा कारखाना

[श्री के० के० बसु]

स्थापित कराने का विचार कर रहे हैं और यह बिहार में स्थापित किया जायेगा । इस संबंध में मेरी केवल यही कामना है कि इसके लिये जानकार व्यक्ति केवल भारत से ही लिये जायें और विदेशों से तभी बुलाये जायं जब भारत में प्राप्त न हों और विदेश से बुलाना अनिवार्य ही हो जाय ।

श्री बंसल (झज्जर–रेवाड़ी) : मैं इन दोनों मांगों का समर्थन करता हूं, क्योंकि मेरे विचार से इस नये मंत्रालय की स्थापना से हमारे देश में लोहा और इस्पात उद्योग के विकास का महत्व और भी बढ़ गया है । परन्तु मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह नहीं जानता कि जिन दोनों कारखानों की आजकल बड़ी चर्चा है, उन में क्या हो रहा है । इन दोनों कारखानों के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई इस का पूरा प्रतिवेदन सभा को मंत्री महोदय से अभी मिलना है । अब तक हमें इनके बारे में जो छुटफुट सूचनायें प्राप्त हो सकी हैं, उन से केवल यही ज्ञात हुआ है कि रूरकेला और भिलाई, दोनों ही स्थानों पर कोई अधिक कार्य नहीं हो सका है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस वाद-विवाद का उत्तर देते समय वाणिज्य और उद्योग मंत्री महोदय इस सभा को भी इन दोनों कारखानों के संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा बतायें ।

दुर्गापुर के संबंध में भी मुझे ज्ञात नहीं कि क्या हो रहा है और कार्य कब तक आरम्भ हो सकेगा । मैं यह सब इसीलिये कह रहा हूं क्योंकि मैं उन लोगों में हूं जो इस उद्योग को विकसित होता हुआ देखने के लिये अत्यन्त उतावले हो रहे हैं । मैं वाणिज्य और उद्योग मत्री महोदय को यह समझाना चाहता हूं कि वह इस संबंध में चुपचाप न बैठें अन्यथा तीन या चार वर्ष के बाद वह यह देखेंगे कि इस संबंध में हमारा विकास उतना नहीं हो सका है जितना कि वास्तव में हो सकता था ।

प्रविधिक कर्मचारियों की कमी के संबंध में मेरे मित्र श्री बसु ने जो कुछ कहा है, मैं, उस से पूरी तरह सहमत हूं । मंत्री महोदय के पास उचित समय में आवश्यक कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर लेने की योजनायें हो सकती हैं, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि ये योजनायें वास्तव में हैं क्या । उन में से कितनी योजनाओं ने प्रगति की है ? यदि हमारे यहां के लोग विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ? मैं चाहता हूं कि इस संबंध के सभी आंकड़े सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जायं जिस से कि जिन को कुछ संशय हो वे कुछ निश्चित हो सकें ।

मुझे यह ज्ञात नहीं है कि दुर्गापुर योजना संबंधी परियोजना प्रतिवेदन कैसा होगा और यह योजना कब आरम्भ की जायगी । मैं माननीय मंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि उन्हें यही मान कर नहीं बैठ रहना चाहिये कि वह जिस प्रकार की सहायता की भी आशा करेंगे वह ब्रिटेन से प्राप्त होती रहेगी । वास्तव में, मेरी निजी धारणा तो यह है कि जहां तक ब्रिटेन का संबंध है, यह योजना तो वित्तीय-चट्टान से ही टकराकर चूर-चूर हो जायगी । इसलिये, मैं समझता हूं कि हमें और लोगों से भी पूछताछ कर रखनी चाहिये, ताकि बाद में समय न नष्ट करना पड़े ।

हम पिछले नौ वर्षों से प्राविधिक कर्मचारियों और भारतीय जानकार-व्यक्तियों को इस उद्योग के विकास से संबद्ध कर देने की बात करते चले आ रहे हैं । हम ने जर्मनों और अब रूसियों से भी कुछ समझौते किये हैं परन्तु इतने पर भी हम अभी तक एक छटांक भर भी अतिरिक्त इस्पात का उत्पादन नहीं कर सके हैं । क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस्पात के नये कारखानों की स्थापना के लिये आप विदेशियों पर ही भरोसा किये कैसे बैठे रहे ? हम ने भारतीय उत्पादन कर्ताओं को कभी अपने विश्वास में नहीं लिया और

यह भी ज्ञात नहीं किया कि क्या इस दिशा में वे भी सरकार की सहायता करने के लिये तैयार हैं ? क्या वे भी अतिरिक्त कारखानों की स्थापना कर सकते हैं ? मेरा तो अब भी यही विश्वास है कि यदि हम लोहा और इस्पात के भारतीय उत्पादकों को इन परियोजना प्रतिवेदनों और योजना बनाने के काम से सक्रिय रूप से संबद्ध कर दें तो विदेशियों पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जायगी । मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त ही वांछनीय कार्यवाही है । रबड़ उद्योग के संबंध में मैं कल ही यह संकेत कर चुका हूं कि उसमें विदेशियों पर अत्यधिक निर्भर रहने का यह परिणाम हुआ है कि उसके मूल्य ढांचे पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहा है--रूरकेला के कारखाने के संबंध में भी यही बात हो सकती है । मैं जानता हूं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री अत्यधिक जागरूक हैं, परन्तु वह रबड़ उद्योग के संबंध में भी जागरूक थे । इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि इन अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास के साथ भारतीय प्रविधिविज्ञों और भारतीय कर्मचारियों को ही अधिक से अधिक सम्बद्ध करें ।

प्रविधिक कर्मचारियों के संबंध में ही, मैं समझता हूं कि इस्पात के इन तीन या चार कारखानों के लिये हजारों इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ेगी । प्रशिक्षण के लिये हम केवल सीमित संख्या में ही प्रविधिविज्ञों को विदेशों में भेज सकते हैं । मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि लोहा और इस्पात मंत्री इतने कम समय में प्रत्येक स्तर के लिये आवश्यक संख्या में प्रविधिक कर्मचारियों की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे । मैं समझता हूं कि यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और कठिन कार्य है और मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय इस पर अत्यंत गंभीरतापूर्वक विचार करें ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) । मैं समझता हूं कि हमें लोहा और इस्पात के लिये एक नये मंत्रालय की स्थापना का स्वागत करना चाहिये, क्योंकि १९६०-६१ के लिये इस्पात के साठ लाख टन ढोकों का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिये हमारे पास इस समय तीन कारखाने हैं । इसके लिये अलग मंत्रालय का होना बहुत आवश्यक है और यही मंत्रालय इस काम को वास्तव में आगे बढ़ा सकता है । मैं समझता हूं भिलाई, रूरकेला और बंगाल के इन तीनों कारखानों के संबंध में कार्य संतोषप्रद ढंग से प्रगति कर रहा है और मैं समझता हूं कि इस कार्य पर इतना ध्यान देने के लिये हमें मंत्री महोदय को वधाइयां देनी चाहियें ।

परन्तु फिर भी, मैं समझता हूं कि ऐसे संयंत्रों की, जो भारत के बाहर से आयात किये गये हों, स्थापना अच्छी बात नहीं है । यह काफ़ी भी नहीं है । यहां तक कि हमारे प्रधान मंत्री ने भी, जो हाल ही में विदेशों में विशेष रूप से रूस और चीन हो कर आये हैं, इस बात का उल्लेख किया है । जब वह चीन से लौटे थे, तब उन्होंने हमें बताया था कि चीन जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े हुये देश ने भी न केवल इस्पात बनाना ही, वरन् ऐसे संयंत्र भी स्थापित करना आरम्भ कर दिया है । मैं यह अनुभव करता हूं कि यह बात आवश्यक है कि हम भी इस्पात संयंत्रों का निर्माण आरम्भ कर दें, जिससे कि इन सब संयंत्रों का आयात करने में हमें बहुत सा धन व्यय न करना पड़े । मैं चाहता हूं मंत्री महोदय हमें यह बतायें कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ।

एक और बात पर मैं आग्रह करना चाहता और कई अन्य सदस्य भी उस पर आग्रह कर चुके हैं । यह कर्मचारियों के संबंध में है और अत्यंत आवश्यक है । इस्पात के उत्पादन में भारत सरकार एक नये क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, क्योंकि योरप के कई छोटे छोटे राष्ट्रों की तुलना में भी भारत में इस्पात का उत्पादन बहुत ही कम है । इस लिये, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । हम इस्पात संयंत्रों का आयात कर रहे हैं, और उसके

[श्री सुरेश चन्द्र]

साथ-साथ हम इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, धातु-विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों को भी बाहर से बुला रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ठीक प्रकार के कर्मचारियों की भर्ती के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? इस सभा में भी अनेक बार आलोचना की जाती है और यह कहा जाता है कि एक ओर तो देश में कर्मचारियों की कमी है और दूसरी ओर बड़ी संख्या में इंजीनियरों और अन्य लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। देश में समन्वय की कमी ही इसका कारण है। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि इस दिशा में भी क्या कार्यवाही की जा रही है। प्राक्कलन समिति ने भी यह सिफारिश की है कि जब भी हम विदेशों से इंजीनियर अथवा विशेषज्ञों को बुलायें, तब साथ ही अपने यहां प्रशिक्षण भी जारी रखें, ताकि समय आने पर हमारे पास ऐसे भारतीय इंजीनियर हों जो विदेशी विशेषज्ञों की सहायता के बिना इन परियोजना का कार्य संभाल सकें। मैं समझता हूं कि यदि उचित निदेश और सुविधायें मिलें तो हमारे देश के लोगों में योग्यता की कमी नहीं है। इसलिये मुझे आशा है कि नया मंत्रालय उचित कर्मचारियों का चुनाव करने और उन्हें प्रशिक्षित करने की ओर पूरा ध्यान देगा।

कुछ स्थानों पर, जैसे रूरकेला में मजदूरों को कुछ शिकायतें रही हैं और वे इस सभा के सामने भी लायी गयी हैं। मैं यह अनुभव करता हूं कि मंत्रालय को इस दिशा में भी अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिये ताकि मजदूरों को उचित सुविधायें और मजदूरी मिल सके और उनकी शिकायतें दूर हो सकें। एक और बात भी है। जब भी हम नये संयंत्र स्थापित करते हैं तब कभी कभी हमें उन क्षेत्रों में स्थित गांवों के निवासियों को वहां से हटाना पड़ता है। मुझे बताया गया है कि रूरकेला में कुछ गांव वालों को उनकी भूमि अथवा मकान के छीने जाने का कोई प्रतिकार नहीं दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इन बातों की पड़ताल भी करें। एक यह भी शिकायत है कि रूरकेला तथा अन्य स्थानों पर, जहां इस्पात संयंत्र स्थापित किये गये हैं, स्थानीय योग्य व्यक्तियों, इंजीनियरों आदि की सेवाओं का उचित उपयोग नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि हमें न केवल विदेशों से इंजीनियर बुलाने वरन् एक राज्य से दूसरे राज्य में इंजीनियर बुलाने की नीति का भी अनुसरण नहीं करना चाहिये। हमें, जहां तक संभव हो, स्थानीय योग्य व्यक्तियों का ही उपयोग करने का प्रयास करना चाहिये। मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं एक बार पुनः इन तीनों सदस्यों को इन दो मांगों का सामान्य समर्थन करने के लिये बधाई देता हूं। श्री बंसल ने अनेक प्रश्न पूछे हैं। मैं बहुत से प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार हो कर आया हूं, किन्तु वे प्रश्न इतनी शीघ्रता से पूछे गये कि उन में से बहुत से बेकार सिद्ध हुए हैं। वास्तव में बात यह है कि इस्पात की निर्माण संबंधी समस्या को हल करने के लिये अर्थात् इस्पात के निर्माण में वृद्धि करने के लिये यह मंत्रालय स्थापित किया गया था। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों को इस में नहीं सम्मिलित किया गया है। वह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन हैं। लोहा और इस्पात के आयात और वितरण का प्रश्न भी वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत है। भविष्य में क्या होगा यह मैं अभी नहीं बता सकता। ऐसा जान पड़ता है कि भविष्य के लिये एक नमूना होगा। यह सच है कि हमने सरकारी क्षेत्र में दो और इस्पात संयंत्र खोलने का विचार किया था। उस समय यह मंत्रालय एक विशिष्ट व्यक्ति राजाजी के अधीन था। उस समय हमने तीन परामर्शक सार्थों से परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा था। १९४९ में सरकार की वित्त सम्बन्धी स्थिति अच्छी नहीं

थी । उस समय देश में अवमूल्यन और मुद्रा-स्फीती थी, इस कारण अत्यधिक उच्च स्तर पर यह निर्णय किया गया था, कि यद्यपि सरकार ने इस पर कुछ पर्याप्त धन व्यय किया था, फिर भी परियोजनाओं का कार्य आगे न बढ़ाया जाये । मई, १९५२ में इस नये मंत्रालय के बन जाने के पश्चात् इस प्रस्ताव को पुनः उठाया गया । जैसा कि मेरे मित्र श्री बंसल ने कहा, सरकार इन मामलों में बहुत योग्य नहीं है । उसे अभी अपने पैर जमाने हैं । यह इस्पात के संबंध में सभी कुछ सीखने का प्रश्न है । हमें यह सीखने में कुछ समय लगा है कि इस्पात संयत्र की स्थापना किस प्रकार की जाये । उद्योगों को चलाने में हमारी विख्यात अयोग्यता होने पर भी मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमारे देश के किसी समवाय के निदेशक से जितना ज्ञान होता है वह इस्पात निर्माण करने वाले अन्य समवायों के निदेशकों के ज्ञान से कहीं अधिक होता है । जितने समय से मैं यहां हूं मैं एक ग़लती करता रहा हूं, मैं क्योंकि एक विशेष प्रक्रिया द्वारा इस्पात बनाने के संबंध में कुछ प्रविधिक प्रतिवेदन पढ़ता रहा हूं, यदि सभा आज मुझे यहां से अनुपस्थित रहने की अनुमति दे तो मैं इसके संबंध में बहुत सी बातें जान सकूंगा । मेरे विचार से हमारी शिक्षा में काफी प्रगति हो रही है। इस से वांछित परिणामों की प्राप्ति होगी या नहीं यह तो ईश्वराधीन बात है मेरे माननीय मित्र श्री बंसल यह समझते हैं कि हम पांच वर्ष तक भी इस्पात नहीं बना सकेंगे इसमें भी अधिक समय लगेगा । यह झूठी आशा मात्र नहीं है वरन् हमें पूर्ण आशा है कि १९५९ के अन्त तक हम अपनी परियोजनाओं को पूर्ण कर सकेंगे । मुझे यह भी आशा है कि इस पद पर चाहे कोई भी हो, और १९५९ में चाहे कोई भी मन्त्रिमण्डल आये, हमें उक्त वर्ष के आरम्भ से ही प्रस्तावित ४५ लाख टन तैयार इस्पात के निर्माण में अग्रेतर वृद्धि करने का विचार करना चाहिये । यदि श्री बंसल मुझ से पूछें कि क्या मेरे विचार से यह अग्रेतर विकास कार्य पूरा हो सकेगा, तो मैं उसका यह उत्तर दूंगा कि द्वितीय योजना अवधि के प्रायः अन्त तक यह विकास कार्य बहुत कुछ पूरा हो सकता है । जब हम भविष्य की योजना बनाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के शब्दों का समान मूल्य होता है । मैं यह सब देखने के लिये तब तक जीवित रहूंगा या नहीं इसमें मुझे अत्यधिक सन्देह है । इससे अधिक मैं इस संबंध में और कह ही क्या सकता हूं ।

जहां तक वर्तमान योजनाओं का संबंध है, मेरे माननीय मित्र मुझ से एक प्रतिवेदन मांगते हैं । मैं उस का उत्तर केवल यह कह कर नहीं देना चाहता कि इतनी ज़मीन खोदी गई, इतनी खाइयां खोदी गईं और नींव के लिये ठोस भूमि की खोज करने के लिये भूमि में इतने छिद्र किये गये इत्यादि और न इसी प्रकार की विस्तारपूर्वक सूचना देना चाहता हूं जिनमें मुझे स्वयं ही रुचि नहीं है । इस मंत्रालय की स्थापना के पश्चात् से मैं दो बार रूरकेला गया हूं । नगर बसाने की योजना प्रगति कर रही है । हम १८ से २० क्षेत्र तक बनाना चाहते हैं । तीन क्षेत्र तो बहुत शीघ्र बन कर तैयार हो जायेंगे । कारखाने की नींवें रखने का कार्य भी किया जा रहा है । स्थान निश्चित कर दिये गये हैं । किन्तु मेरे माननीय मित्र पूछते हैं कि योजनायें कहां हैं ? यह बाजार जाकर कोई वस्तु खरीद लेने जैसी बात तो है नहीं । यह तो एक दुस्तर कार्य है । मैं इस रूरकेला संयंत्र के संबंध में अपने माननीय मित्र को बता सकता हूं कि यद्यपि कुछ समय पूर्व हमें अपने परामर्शकों से परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था, परन्तु तत्पश्चात् हम ने अपने इस्पात के लक्ष्य का पुनरीक्षण किया और ३५९,००० टन तैयार इस्पात के उत्पादन में वृद्धि कर के उसे ७२०,००० टन कर दिया । यह भी संभव है कि चादरों की मोटाई में परिवर्तन कर देने से हमें २०,००० टन इस्पात और मिल जायेगा । एक बार ऐसा कर देने पर पुनरीक्षण करना पड़ा, नया परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया । ऐसा करने को कुछ मास लगे । जहां तक रूरकेला का संबंध है, हमें

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

टेण्डरों का पहिला सेट मिल चुका है। टेण्डर जारी किये जा चुके हैं। नये वर्ष के आरम्भ में हम कोक भट्टी, लोहा पिघलाने की भट्टी तथा अन्य सहायक मामलों संबंधी टेण्डरों के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कर लेने की आशा करते हैं। अन्तिम प्रतिवेदन अब हमें प्राप्त हो गया है। अन्य उपकरणों और संयंत्र के लिये हम दूसरी बार टेण्डर प्राप्त करने की आशा करते हैं।

इस समय हम इस्पात बनाने की कतिपय वैकल्पिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं। यदि सभा मुझे आज यहां से अनुपस्थित रहने की अनुमति दे तो मैं ने आज तीसरे पहर इस बात पर चर्चा करने का विचार किया है क्या इस्पात बनने के लिए हम खुली भट्टी वाला रूढ़िगत तरीका अपनाये रहें अथवा आधा-आधा या एक-चौथाई और तीन-चौथाई वाला नया एल० डी० तरीका अपनायें। थोड़े ही समय में इन सारी बातों को तय करना है। तत्पश्चात् हमें टेण्डर जारी करना है। हमें लोगों से टेण्डर प्राप्त करने के लिये कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब तक कि इस संयत्र के लिये टेण्डर देने वाला लम्बाई, चौड़ाई आदि के सम्बन्ध में और किस प्रकार की नींव वह चाहता है, उस के विषय में ब्योरा नहीं देता है तब तक नींव के प्रश्न पर कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकती। ये ऐसी बातें हैं जिन में टेक्निकल ज्ञान उपलब्ध होने पर भी कुछ समय तो लगेगा ही।

श्री के० के० बसु : एक बार टेण्डर प्राप्त हो जाने पर फिर टेण्डर का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : टेण्डर कई समूहों में आते रहते हैं। पहले समूह के लिए हमने टेण्डर जारी कर दिये हैं। अगले वर्ष के प्रारम्भ में हम टेण्डर प्राप्त करने की आशा करते हैं। अगले समूह के लिये भी हमें टेण्डर जारी करने हैं। यह कार्य क्रमिक रूप से हो रहा है। यह स्थिति है रूरकेला के सम्बन्ध में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन विलम्बों के होते हुए भी, जो आनुषंगिक हैं और जिन्हें किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता था, हम परामर्शकों की सहायता से इस संयंत्र को १९५९ तक चालू कर सकेंगे। वातस्व में, मेरी इच्छा तो इस कार्य को, जितनी भी शीघ्रता पूर्वक हो सके, करने की है। हो सकता है कि मैं अधिक बुद्धिमान न होऊं, फिर भी इस संबंध में जो कुछ भी करना सम्भव हो सकता है, किया जा रहा है।

भिलाई संयंत्र के सम्बन्ध में, कार्य-स्थान स्थापित पर कार्य में प्रगति हो रही है। परामर्शकों और इंजीनियरों के लिये क्वार्टर बनाये जा रहे हैं। संयत्र का चीफ़ इंजीनियर, जिसे सोवियत रूस द्वारा भेजा गया है, कार्य-स्थान पर पहले ही पहुंच गया है। शीघ्र ही कुछ और व्यक्तियों के आने की हम आशा करते हैं। इस बीच हमें परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देना है, उसे स्वीकार करना है और शर्तों को तय करना है। इक्कीस व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमण्डल सोवियत रूस से आया है जिससे मैं कल मिला था। हमें उनके द्वारा बताये गये मूल्यों की जांच करनी है। उनका परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिये उसके दो खण्ड हैं और विशेषज्ञों के लिये ३५ खण्ड हैं। इनकी जांच की जानी है और मूल्य का निर्धारण किया जाना है। जहां तक भिलाई संयत्र का संबंध है, हम पैकेज डील से सहमत हैं। वे जो कुछ भी सामान देते हैं उसका हम एक विशेष मूल्य देना हम ने स्वीकार किया है। हम न तो टेण्डर मांगते हैं और न ही विभिन्न विस्तृत ब्यौरों पर ही ध्यान देते हैं। हमारा सौदा पूरा सौदा है। उन को संयंत्र को हमें चालू हालत में एक निर्धारित दिनांक को देना है। अब यह कार्य किया जा रहा है। हम ने उन के द्वारा उचित समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने की आश की थी। हम अपना कार्य करते रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सम्भवतः लगभग दो मास में हम उसके ब्यौरों को अन्तिम रूप दे देंगे।

अब मैं तीसरे संयंत्र को लेता हूं, जिसे हम दुर्गापुर में स्थापित करना चाहते हैं। हम ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सम्मति देने के लिये एक ब्रिटिश दल को आमंत्रित किया था। वह दल यहां आया, उसका सभापतित्व इण्डियन सिविल सर्विस के एक भूतपूर्व सदस्य द्वारा किया गया था। उन्होंने हमें एक प्रतिवेदन दिया है जो यथासम्भव पूर्ण है और काफी अच्छा है। उसमें जो कुछ हम चाहते हैं उसकी विशद रूपरेखा दी गई है और क्या लागत हो सकती है इसका भी उल्लेख है। जो दल यहां आया था उस का अपनी प्रस्थापनाओं पर आग्रह करने में कोई आर्थिक हित नहीं था, वरन् वह कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आया था। इसके पश्चात् हम एक सार्थ से बातचीत करते रहे हैं जिसको भारत में एक ऐसे संयत्र की स्थापना करने के लिये ही स्थापित किया गया है, और इस में इस्पात संयंत्र के विभिन्न पुर्जों के कतिपय निर्माताओं का प्रतिनिधित्व है। वह दल यहां आया और हम ने उस से बात-चीत की थी। हम उन से न केवल पांच प्रतिशत की कमी बेशी के आधार लागत के बारे में ही नहीं वरन् एक पैकेज डील की शर्तों के सम्बन्ध में भी अगले मास के मध्य तक उन का अन्तिम निर्णय जानने की आशा करते हैं। यदि वह सन्तोषजनक रहा, तो उन के परामर्श से हमारे परामर्शक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेंगे। जो तरीका हम तीसरे संयत्र के सम्बन्ध में अपनाने जा रहे हैं वह पिछले दो तरीकों से कुछ भिन्न है।

रूरकेला संयत्र के मामले में, हमारे परामर्शक क्रुप डेमाग हैं, जो जर्मन हैं और वे भी संयत्र को स्थापित करेंगे। वे संयत्र का संभरण करने के लिये भी स्वतंत्र हैं। संयत्र प्राप्त करने के लिये हमें वित्तीय दायित्वों को पूरा करना है क्योंकि वे एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि वह संयंत्र उसके द्वारा दिया जाता है, तो समवाय की पूंजी में कुछ निश्चित प्रतिशतता की वृद्धि हो जायेगी। भिलाई संयंत्र के बारे में, हम टेक्निकल सहायता देने, परामर्श को के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने, संयंत्र को स्थापित करने और मशीनों के संभरण के लिय हम रूसियों पर निर्भर हैं। तीसरे संयत्र के सम्बन्ध में हम ने प्रक्रिया को बदल दिया है। हम ने बातचीत की है और हम परामर्शकों की एक प्रसिद्ध सार्थ से समझौता कर रहे हैं। वह हमारा परामर्शक रहेगा चाहे हम किसी भी स्थान से मशीनें खरीदें, वह मशीनरी का संभरण करने वाले के साथ मिल कर परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेगा और टेंडर के ये प्रस्ताव तैयार करेगा और जिसका संसार के किसी भी भाग में स्थित इस्पात निर्माण संयंत्रों के निर्माण से कोई भी वास्ता नहीं होगा। हम ने इस बात का भी सुनिश्चित कर लिया है कि, समझौता हो जाने की स्थिति में और मेरा ख्याल है कि वह हो जायेगा, यह सार्थ हमें न केवल लोहे और इस्पात संबंधी मामलों में सहायता देगा वरन सभी संबंधित मामलों में भी, जैसे मिश्रित इस्पात के उत्पादन, विशेष इस्पात और स्टेनलेस स्टील और जिस प्रकार के भी इस्पात की हमें आवश्यकता है उसके सम्बन्ध में हमें सहायता देगा और इस कारण हम उन्हें ५ या ६ वर्ष के लिये अपने परामर्शक के रूप में नियुक्त करने का विचार करते हैं जिससे कि हमें उसकी सहायता हमारी इच्छानुसार किसी भी मामले में प्राप्त हो सके। इसलिये तीसरे कारखाने के बारे में हम जिस प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं उससे हम इन संयंत्रों को अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान से खरीदने को स्वतंत्र है यह जरूरी नहीं है कि हम ब्रिटेन से ही समान खरीदें। यदि ब्रिटेन पैकेज डील जैसी कोई प्रस्थापना करता है और यदि वह हमारे लिये अनुकूल हुई और भुगतान की शर्तें ऐसी हुई जिन की व्यवस्था हम द्वितीय योजनावधि में सुविधाजनक रीति से कर सके, तो संभव है कि सरकार उसे स्वीकार कर ले। यदि ऐसा नहीं भी होता है तो भी मैं दुर्गापुर को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने माननीय मित्र श्री बंसल

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

को बताना चाहूंगा कि हम इस कार्य में प्रगति कर रहे हैं । संभव है कि जहां तक वित्त का संबंध है हम अपने आपको विषम परिस्थितियों में पायें, किन्तु मेरे माननीय मित्र श्री बसु ने मेरी सहायता करने का वचन दिया है । उन्होंने कहा है कि इस्पात के इन तीनों संयंत्रों के लिये धन की व्यवस्था करने में किसी प्रकार का मोलभाव नहीं होना चाहिए । इस से मुझे धैर्य प्राप्त हुआ है । अब संभव है कि मैं योजना आयोग का विरोध कर सकूं और उस से कह सकूं कि, "नहीं, मेरे आयव्ययक में कटौती न की जाये ।" यदि यही स्थिति है तो मेरा ख्याल है कि सरकार अब इस योग्य है कि परामर्शक फर्म की सहायता से वह इस्पात के तीसरे संयंत्र के बारे में कोई अग्रेतर कार्यवाही करे । हम अपनी मशीनरी किसी भी स्थान से, जहा से भी हमें सस्ती मिले, खरीद सकते हैं ।

श्री बंसल : उक्त परामर्शक सार्थ के सम्बन्ध में इस संस्था की क्या स्थिति है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुछ भी नहीं । क्योंकि परामर्शक सार्थ तो हमारे अपने ही लोग हैं । संस्था तो केवल मशीनरी का प्रदायक है इस के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । वह सान्निध्य में भी नहीं है । यह परामर्शक हमारे अपने परामर्शक हैं और इन्हें हम को अपनी सम्मति देनी है और जिस प्रकार का अनुदेश हम उन्हें दें उसी के अनुसार परियोजना के प्रतिवेदन तैयार करने हैं । संभव है कि उक्त संस्था या किसी अन्य देश की ऐसी संस्था हमें सामग्री का संभरण करे और हमारे परामर्शक उस संबंध में कार्य करेंगे । हमें संयंत्र की प्रविधिक उपयुक्तता के सम्बन्ध में और संयंत्र की लागत और संयंत्र के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में परामर्श देंगे ।

श्री के० के० बसु : अभी कुछ समय पूर्व अखबारों में प्रकाशित हुआ था, कि विचार किया जाता है कि इस परियोजना का व्यय १२६ करोड़ रुपये होगा । क्या यह सच है या केवल अनुमानमात्र ही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्पष्ट है कि यह किसी ने एक ऐसी बात को पकड़ लिया है जो वैसे ही कह दी गई है । संभव है कि यदि हम सभी बातों को, जैसे खनिज पदार्थों का निकालना, नगर निर्माण और अन्य सहायक सेवाओं का, समावेश करें तो उक्त संयंत्र पर १२६ करोड़ रुपये या संभवतः अधिक भी व्यय हों । वास्तविक व्यय क्या होगा यह बतलाने की स्थिति में मैं इस समय नहीं हूं । संभव है कि बिहार में सोवियत संघ द्वारा इस्पात कारखाना स्थापित किये जाने के बाद यदि हम व्यय का हिसाब लगायें तो वह ५० या ६० या ४५ करोड़ रुपये के आस पास हो और शेष ६० या ७० या ८० करोड़ रुपये जो मुझे इस देश में व्यय करने हैं केवल प्राक्कलन ही हो । इसके लिये प्राक्कलन को संशोधित करना होगा, लेखे को अन्तिम रूप से निश्चित करना होगा । यह धनराशि हम अपने पर्यवेक्षण पर, सामग्री मूल्य के भुगतान पर कर्मचारियों को वेतन देने पर, अपने संसाधनों को विकसित करने पर और नगर बसाने आदि बातों पर व्यय की जाती है, और हमारी आवश्यकतायें समय-समय पर बदलती रहेंगी और हम अन्य बातों का केवल स्थूल अनुमान ही दे सकते हैं । जब आप इन सब को जोड़ लें तो शायद वह एक बड़ी धन राशि बन जाये । विदेशों में किया गया व्यय ४५ प्रतिशत होगा । रूलकेला संयंत्र के सम्बन्ध में, संभव है कि संयंत्र के स्वरूप के कारण यह प्रतिशत कुछ अधिक हो । इस्पात की चादरें बनाने के लिये जिस किस्म के रोलिंग मिल की आवश्यकता है उसकी कीमत सामान्य इस्पात और इस्पात निर्माण संबंधी सामान के लिये अपेक्षित साधारण मिल से अधिक है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : मैं विश्वास करता हूं कि देश के तीन विभिन्न

भागों में हम तीन कारखाने स्थापित करने जा रहे हैं। क्या यह संभव नहीं कि प्रारंभिक बातों में होने वाले विलम्ब से बचने के लिये हम प्रक्रिया का प्रभागीकरण कर दें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे मेरे माननीय मित्र ने पूर्णतः गलत समझा है। एक समझौता जर्मनों के साथ किया गया है। वे अपने अनुभव के अनुसार विस्तृत विवरण तैयार कर रहे हैं। संभव है कि संयंत्र का कुछ भाग उन से खरीदा जाये। यदि टेन्डर उपयुक्त हुए तो कहीं अन्यत्र से भी खरीद की जाये। दूसरा है रूसी, जिसे उन्होंने अपने विचारों के अनुसार प्रमापीकृत किया है। तीसरा का सम्बन्ध किसी से भी हो सकता है—एक भाग ब्रिटेन से, दूसरा जापान से, तीसरा चैकोस्लोवाकिया से, चौथा जर्मनी से इत्यादि। अभी हाल ही में मुझे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना देखने का और वहां के मुख्य इंजीनियर के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला था। जो ऑर्डर दिये गये थे उनके अलग-अलग विवरण मुझे प्राप्त हुए। यह ऑर्डर ६ विभिन्न स्थानों को दिये गये हैं क्योंकि टैण्डर मांगे गये थे और जो सस्ते थे उन्हें ही स्वीकार किया था। इसलिये प्रमापीकरण इस अवस्था पर संभव नहीं है किन्तु शायद अगली अवस्था में संभव हो। इस्पात के उत्पादन में कई परिवर्तन हो रहे हैं। संभव है कि जब तक हम उक्त तीनों संयंत्रों की स्थापना करें तब तक इस्पात बनाने की कोई नई विधि हमारे सामने आ जाये और संभव है कि हमें उसके बारे में प्रयोग करना पड़े। जब हम इन तीनों संयंत्रों को स्थापित कर दें और संभवतः तीनों के लिये एक समान प्रविधिक प्रबंध व्यवस्था हो तब निस्सन्देह इस प्रकार का कोई प्रमापीकरण निश्चय ही संभव हो सकता है। किन्तु इस अवस्था में, जब कि हम विभिन्न व्यक्तियों से चर्चा कर रहे हैं, और विभिन्न परामर्शकों के विवरण हमारे पास हैं, ऐसा किये जा सकने की संभावना नहीं है।

दुर्गापुर संयंत्र के बारे में, मैं अपने माननीय मित्र श्री बंसल को बताना चाहता हूं कि यदि वे संदेह करना ही चाहते हैं तो मैं उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकता। किन्तु यदि उन्हें सरकार के विचारों म विश्वास है, और जिन विचारों के बारे में वह बहुत गंभीर है, तो जहां से भी हमें सहायता मिलेगी उसे प्राप्त कर के हम दुर्गापुर में संयत्र की स्थापना करने की प्रस्थापना करते हैं हम इस कार्य के लिये 'अब सुसज्जित हैं क्योंकि इस मामले में हम ने अन्य दो कारखानों की अपेक्षा, जो कि प्रायः अन्तिम रूप दिये जाने की अवस्था तक पहुंच चुके हैं, एक भिन्न प्रणाली को अपनाया है।

प्रविधिक प्रशिक्षण के बारे में उल्लेख किया गया था। मैं इस पर बहुत विचार कर रहा हूं क्योंकि औद्योगिक विस्तार की इस योजना में हमारे समक्ष जो कठिनाइयां हैं उनमें से एक यह भी है। औद्योगिक विस्तार की हमारी योजना में, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूं, मैं देखता हूं कि प्रत्येक अवस्था में प्रविधिक कर्मचारियों और प्रविधिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। यदि यह मान भी लिया जाये कि हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं जो इस्पात बनाना जानते हैं, फिर भी अभी कुछ समाय तक तो विदेशी सहायता को पूर्ण रूप से न लेना बहुत कठिन होगा, संभव है कि ६ या ७ या ८ वर्षों के लिये सहायता लेनी ही होगी।

मेरे माननीय मित्र श्री के०के० बसु को स्मरण होगा जैसा कि मुझे बताया गया है, कि रूसी संयंत्रों की बुनियादी योजना अमरीकी है। उन्होंने उसी से उसे विकसित किया है किन्तु बुनियादी तौर से वह अमरीकी है, और वह अमरीकी नमूने पर ही निर्मित किया गया है।

श्री के० के० बसु : उन्होंने अमरीकी नमूना प्राप्त किया था किन्तु उन्होंने उस पर कार्य करना शुरू किया। हम केवल इसी पहलू पर ज़ोर देना चाहते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : किन्तु एक लम्बे अर्से तक उन्होंने उस पर अमरीकनों से ही काम कराया था। यहां मैं अपने माननीय मित्र को यह बता दूं कि इस विषय में मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है। यह भावनात्मक पृष्ठभूमि का प्रश्न नहीं है। वरन् व्यवहारिक आवश्यकता का प्रश्न है और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हमने सहायता के लिये दो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, समूहों को चुना है और तीसरा व्यक्ति समूह संभव है इनसे भी भिन्न हो। इसलिये किसी एक विशिष्ट व्यक्ति समूह पर निर्भर होने की बात नहीं है। यद्यपि हमारी ऐसी इच्छा नहीं थी, और अक्समात ही ऐसा हुआ, है परन्तु क्योंकि कोई भी दो कारखाने एक ही स्थान के नहीं हैं, इसलिये हमें विभिन्न प्रविधियों की और व्ययों की तुलना करने के लिये एक आधार प्राप्त हुआ है। किन्तु जब तक हम धातु-कर्म की सभी शाखाओं का उच्च कोटि का ज्ञान नहीं प्राप्त करते, जिसमें हमें निश्चय ही दस-बारह वर्ष लगेंगे और संभव है कि अधिक भी लग जायें तब तक हमें विदेशियों पर, चाहे वे रूसी, ब्रिटिश या अमरीकी हों, किसी न किसी हद तक अवलंबित रहना होगा। यह कोई गलत बात नहीं है क्योंकि यदि विदेशों का किसी प्रकार का प्रविधिक ज्ञान और अनुभव हमारे देश में आयात किया जाता है तो यह एक अच्छी ही बात है।

किन्तु श्री बसु ने जो अन्य बात कही है वह अधिक मूल्यवान है। मेरा ख्याल है कि इस बात पर डा० सुरेशचन्द्र द्वारा भी जोर दिया गया था। वास्तव में बात यह है कि जहां भी हमें कोई विदेशी इंजीनियर मिलता है वहां उसके साथ हम एक भारतीय को प्रति-रूप की भांति नियुक्त कर देते हैं। वास्तव में कार्यालय के कमरों के निर्माण के विषय में हमारी जो योजनायें हैं, उनमें इनके कमरे एक दूसरे के सामने हैं। इसलिये हम प्रत्येक विदेशी के स्थान पर एक भारतीय को प्रशिक्षित करना चाहते हैं।

सर एरिक कोट्स द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें विदेशी प्रविधियों पर निर्भरता को तेजी से कम किया गया है, और ऐसा विचार है कि संयंत्र का काम शुरू किये जाने पर इंग्लैंड के केवल नौ विशेषज्ञ रहेंगे और इससे अधिक की आवश्यकता नहीं रहेगी जबकि अन्य संयंत्रों में विदेशी विशेषज्ञों की संख्या अधिक रहेगी। मैं यह नहीं कहता कि यह उद्देश्यप्रेरित है या इसका अर्थ यह है कि कोई परामर्शक यह चाहता है कि हम उस पर और अधिक समय तक निर्भर रहें। किन्तु मैं यही कहना चाहता हूं कि विदेशी कर्मचारियों की संख्या को कम कर देने पर भी संयंत्र द्वारा कार्य प्रारम्भ किये जाते समय तक कोई नौ व्यक्तियों को रखना आवश्यक होगा।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

किन्तु कर्मचारियों की भरती के प्रश्न की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ है। मेरे माननीय मित्र डा० सुरेशचन्द्र ने कहा कि वह शिकायत की जाती है कि प्रविधिज्ञ उपलब्ध नहीं है। जबकि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। हां, यह वास्तव में सच है। हमारे यहां ऐसे अनेक प्रविधि विज्ञ हैं जो बेकार हैं किन्तु वह उस प्रकार के नहीं हैं जिन्हें हम नियुक्त कर सकें।

संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति भरती के प्रश्न पर विचार कर रही है। मेरा ख्याल है कि उनकी बैठक दो दिन हुई। मुझे बताया गया है कि प्रतिचार बहुत ही कम रहा है। विज्ञापनों के परिमाणस्वरुप जिस प्रकार के व्यक्ति आये

वे उपयुक्त नहीं थे । इसलिये हमें व्यक्तियों को चुनकर उन्हें समिति के समक्ष उनकी उपयुक्तता के निर्धारण के लिये भेजना है ।

श्री के० के० बसु : मान लीजिये कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो यान्त्रिक अभियन्ता है; संभव है कि वह व्यक्ति व्यवहारिक अनुभव न होने के कारण इस्पात निर्माण की किसी विशिष्ट प्रणाली के बारे में समुचित ज्ञान नहीं रखता हो । क्या आपके पास ऐसी कोई योजनायें हैं जिनके अनुसार ऐसे व्यक्तियों से काम लिया जा सके ताकि दो या तीन वर्षों के बाद आपके पास योग्य प्रकार के व्यक्ति हो जायें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ठीक यही तो सोचा गया है । इस्पात के इन कारखानों के लिये मुझे ऐसा कोई भारतीय नहीं मिलता है जो वर्क्स मैनेजर का कार्य कर सके और इस्पात बनाना भी जानता हो । मैं केवल ऐसा ही एक व्यक्ति पा सकता हूं जो कि उच्च प्रशिक्षण प्राप्त इंजीनियर है और जो बहुत दक्ष और सावधान है । और यह व्यक्ति तीन वर्ष के अनुभव के बाद इस्पात बना सकता है । ठीक इसी प्रकार हम कार्य कर रहे हैं । हम एक ऐसे यान्त्रिक-इंजीनियर या यान्त्रिक प्रवृत्ति वाले विद्युत इंजीनियर या सड़क इंजीनियर को भी जो सड़क कूटने के इंजनों की मुरम्मत करने में दक्ष हो और जिसकी रुचि यान्त्रिक विज्ञान की ओर हो और जो सीखना चाहता हो, प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम किसी ऐसे व्यक्ति को रखने को तैयार हैं यदि उसका व्यक्तित्व सुन्दर हो और पर्याप्त सामावय ज्ञान रखता हो, इत्यादि है । हम इस प्रकार कार्य कर रहे हैं । मैं यह नहीं कहता कि चुनाव का यह तरीका पूर्ण है ।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : मांग सम्बन्धी पास टिप्पणी में यह कहा गया है कि प्रविधि विज्ञों की आवश्यकता होगी । भरती की स्थिति क्या है ? अब तक कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बात यह है कि इन ३०,००० व्यक्तियों में से लगभग, १२० व्यक्तियों को चोटी के व्यक्ति होना था । लगभग १२०० से १५०० तक कम आयु वाले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो प्रशिक्षित हों, योग्यता प्राप्त हों और इंजनीयरी में स्नातक प्रशिक्षण प्राप्त और उन्हें किसी न किसी काम का कुछ अनुभव हो तथा जो बाद में काम संभाल सकें । शेष व्यक्ति संभवतः प्रविण प्रविधिविज्ञ और अर्ध प्रवीण व्यक्ति होंगे । मैं यह नहीं कहता कि ३०,००० इंजनीयर हों । वास्तव में, मैं इन तीनों संयंत्रों में २०,००० व्यक्तियों के रखे जाने के पक्ष में हूं, क्योंकि ३०,००० रखने से खर्च अधिक होगा । हमारा यह विचार है कि प्रत्येक संयंत्र के लिये कोई ७५०० व्यक्ति रखे जायें । इस प्रकार कोई २२,००० के लगभग व्यक्ति हो जायेंगे । निस्सन्देह कार्यालय, सेवायें आदि होंगी ही । हम ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

जहां तक रूरकेला संयंत्र का सम्बन्ध है, हमारे लगभग ४९ व्यक्ति विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । जहां तक रूसी संयंत्र का सम्बन्ध है, उन्होंने हमें प्रशिक्षण सम्बन्धी पूरी योजना दे दी है । हो सकता है कि हम उन सबको वहां न भेज सकें । केवल चोटी के कर्मचारियों को ही भेजा जायेगा, क्योंकि द्विभाषिये रखने की कठिनाई होगी इसलिये अधिकतर प्रशिक्षण तो यहां ही देना पड़ेगा । हम ने जमशेदपुर में पहले से एक प्रशिक्षण स्कूल खोल दिया है । और इस काम के लिये कई प्रकार के प्रशिक्षुओं की भरती की जा रही है ।

श्री ए० वी० रामस्वामी : यदि प्रत्येक इस्पात परियोजना में निर्माण का तरीका और प्रविधि भिन्न भिन्न है, तो क्या प्रविधिविज्ञों को प्रत्येक संयंत्र के लिये पृथक् पृथक् रूप से प्रशिक्षण देना पड़ेगा

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

या उन्हीं व्यक्तियों का परस्पर अदला बदला किया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सब इतना बुरा तो नहीं है। कोक भट्टी बैटरियां तो प्रायः एक जैसी ही होंगी; लोहा पिघलाने की भट्टियां एक सी ही हो सकती हैं; हो सकता है कि रूसी संयंत्र में, उन से अधिक उत्पादन होता हो, क्योंकि उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वे अधिक उत्पादन कर सकता है ।

केवल मिल के बारे में कुछ चीजों में परिवर्तन करना पड़ेगा । एक चादर मिल निर्माण सम्बन्धी सामान तैयार करने वाली मिल से और रेलवे के लिये टायर और धुरे तैयार करने वाली या पटड़ियां बनाने वाली मिल के बिल्कुल भिन्न होती है । अन्तर केवल इस्पात बनाने की प्रक्रिया में होगा । प्रश्न यह है कि क्या आप ओपिन हाथ (खुली भट्टी) प्रणाली को अपनाते हैं या बैस्मियर कनवरटर प्रणाली को अपनाते हैं या एल० डी० प्रणाली को अपनाते हैं, इन्हीं दो या तीन भिन्न प्रकार की प्रणालियों का विश्व भर में प्रयोग किया जा रहा है । इसलिए अन्तर केवल एक ही स्तर में है । अन्तिम अवस्था में या अन्तिम रूप दिया जाने वाली प्रक्रिया में यह अवश्य ही भिन्न है, क्योंकि जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वे भिन्न होती हैं । रूरकेला संयंत्र केवल चदरें और पट्टियां बनायेगा और दूसरे संयंत्र अन्य सब प्रकार का सामान तैयार करेंगे ।

भरती के प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं । हम यहां जन शक्ति निदेशालय जैसी एक संस्था स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं लोगों को चुनने का प्रयत्न कर रहा हूं । हमारी मुख्य कठिनाई संकीर्ण सीमाओं में भी, कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। अब जो कर्मचारी भरती किये जा रहे हैं, उनकी मांग में एक पद प्रविधिक परामर्शक का है, जिसका वेतन ३००० रुपये है किन्तु अभी तक हमें प्रविधिक परामर्शक नहीं मिला है ।

इसलिये कर्मचारियों की समस्या विद्यमान है । किन्तु इस को हल करना होगा । इससे कोई छुटकारा नहीं है । हमें आदमी ढूंढने ही होंगे । हम एक ही स्तर पर कर्मचारियों को भरती करने का विचार कर रहे हैं, सभी संयंत्रों को ताकि हम पहली दूसरी और तीसरी श्रेणियों के कर्मचारी समान रूप से बांट सकें ।

वर्तमान इस्पात संयंत्रों से हमें जो सहायता मिल रही है उसके बारे में मैं अपने माननीय मित्र श्री बंसल को बताता हूं कि मुझे मेरे स्तर पर उनका पूर्ण और सक्रिय सहयोग प्राप्त हो रहा है । वास्तव में, मैं उन सब को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और किसी ने भी मुझे सहायता देने से इनकार नहीं किया है । हमने जिस किसी भी व्यक्ति को प्रविधिक सम्मति ज्ञात करने के लिये विदेश भेजना चाहा है, उसे देने से उन्होंने कभी इनकार नहीं किया है । हम जो चर्चा कर रहे हैं, इनमें उनके उच्चतम व्यक्ति हमें परामर्श करने के लिये उपलब्ध हो जाते हैं, और हम तीनों इस्पात संयंत्रों को देश के गैर-सरकारी क्षेत्र के पूरे ज्ञान अनुमोदन तथा सहर्ष सहयोग के साथ स्थापित कर रहे हैं ।

भविष्य के बारे में हो सकता है, और छः महीनों में, मैं सभा के सामने अधिक अच्छा चित्र उपस्थित कर सकूं । यथाशीघ्र अवसर पर मैं ऐसा कर सकता हूं । अब इन सभी योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और जब ठेके दे दिये जायेंगे और हम मूल्य निश्चित कर लेंगे, तो मैं निश्चय ही सभा को अपने विश्वास में लूंगा ।

श्री एस० एल० सक्सेना (ज़िला गोरखपुर—उत्तर) : क्या हम दूसरी पंच वर्षीय

योजना की समाप्ति तक ६० लाख टन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं न केवल ६० लाख टन के लक्ष्य की प्राप्ति की आशा करता हूं बल्कि आशा करता हूं कि उत्पादन बढ़ जायेगा क्योंकि १९५८ में मैं आशा करता हूं कि हमें यह विचारना होगा कि हम अधिक विस्तार किस प्रकार कर सकते हैं।

इस संबंध में मैं एक अन्य क्षेत्र के बारे में जिसमे सभा को दिलचस्पी होगी, एक बात कहना चाहता हूं। हम लोहा और इस्पात की समग्री आवश्यकता के बारे में चुप नहीं बैठे रहे हैं। हम एक बड़े निर्माता, टाटा को अपना उत्पादन बढ़ाने और उसको जारी रखने के लिये प्रेरित करने में सफल हुये हैं। मेझे यह कहने में प्रसन्नता है कि उन्हें एक परामर्शक मिल गया है जिसने उनको एक योजना दी है और यदि १५ दिसम्बर १९५५ को करार पर हस्ताक्षर हो गये, तो उसने नवीन संयंत्र स्थापित करने की प्रतिज्ञा की है, जो ३१ मई, १९५८ तक ५३०,००० टन तैयार करेगा। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मैंने इस मामले म निजी दिलचस्पी ली थी और हम प्रस्ताव में शीघ्र कार्यान्वित किये जाने में सफल हुये हैं। मैं आशा करता हूं कि टाटा अपने परामर्शक इंजीनीयर से लक्ष्य प्राप्ति कराने में सफल होंगे, अर्थात् ३१ मई, १९५८ तक ५६८,००० टन अधिक उत्पादन किया जा सकेगा।

यद्यपि लोहा और इस्पात संबंधी वर्तमान स्थिति बड़ी विषम औ. निराशापूर्ण है, मैं अनुभव करता हूं प्रायः १९५८ के अन्त तक हमें पर्याप्त आराम मिलेगा। किन्तु मुझे दुःख होगा यदि हमें वास्तव में ही आराम मिला। यदि अर्थव्यवस्था का वास्तव में विस्तार हो रहा है तो मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है, कि हम ४५ लाख टन का उत्पादन करेंगे—फिर भी दस लाख टन की कमी रहेगी। जब हमारी मांग हमारे उत्पादन से अधिक हो जायेगी तभी अधिक उत्पादन के लिये प्रेरणा मिलेगी। संभवतः हम तीसरी पंच वर्षीय योजना में इस ४५ लाख टन के स्थान पर, जिसका मैं इस समय विचार कर रहा हूं हम २०० लाख टन के और उससे भी अधिक भी उत्पादन की योजना बनायेंगे। किन्तु मेरा उत्साह बढ़ा है कि सभा मुझे सामान्यता इस काम में, जो हमने आरम्भ किया है, अपना पूरा सहयोग देने को इच्छुक हैं, यह बड़ा कठिन काम है, जिसके बारे में मुझे निश्चय है कि हमें जो इस सभा से और समस्त देश भर से जितनी अधिक सद्भावना प्राप्त हुई है, उस को दृष्टि में रखते हुये पूरा कर सकेंगे।

सरदार इकबाल सिंह (फाज़िलका सिरसा) : इन परामर्शकों का हमें हिन्दुस्तान शिपयार्ड आदि में कोई अच्छा अनुभव नहीं हुआ है, तो क्या अब सरकार को इन परामर्शकों के बारे में पूर्ण संतोष है कि वे अपना कार्य पूरा करेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे परामर्शकों का इस प्रकार का कभी अनुभव नहीं हुआ है जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। मैं आशा करता हूं कि मेरा अनुभव अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक अच्छा होगा।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या २३ और ३१ मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुये।

सभापति महोदय द्वारा निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या ४ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय १९५५–५६ के लिये अनुदान की यह अनुपूरक मांग प्रस्तुत की गई :–

मांग संख्या	शीर्षक *	राशि
४	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आधीन विधि विभाग और व्यय	५,००,००० रुपये

सभापति महोदय : इस मांग पर कोई कटौटी प्रस्ताव नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी : यह मांग भारत में हुये एशिया तथा सुदूर पूर्व संबंधी आर्थिक परिषद् के सत्र के संबंध में है । इसमें किन किन देशों के प्रतिनिधि आयेंगे । क्या इसमें इस प्रदेश में व्यापार के विकास के संबंध में बांडुंग सम्मेलन में पारित संकल्प के आर्थिक भाग पर विशेष रूप से विचार किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : इन २४ देशों के नामों के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, किन्तु यह सूचना मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा । यदि वह इसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो मैं उनके लाभार्थ उनको पिछले सत्र का प्रतिवेदन भी दे दूंगा ताकि उनको इस परिषद् के बारे में अपने वर्तमान ज्ञान की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त हो सके ।

अन्य मामलों, बांडुंग सम्मेलन के बारे में, मैं अपने माननीय मित्र को बता दूं कि उस सम्मेलन में आर्थिक मामलों पर भी विचार किया गया था । किन्तु एशिया तथा सुदूर पूर्व [illegible] परिषद् एक भिन्न संगठना है और इसने संबद्ध प्रदेश में व्यापार के विकास के बारे में पहले परामर्श भी किया था । यदि वह इस परिषद् और इसके कार्य, व्यवहार आदि के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मैं प्रसन्नतापूर्वक उन्हें यह जानकारी दे दूंगा । अब, इन आगन्तुओं की बंगलौर में स्वागत करना हमारा विशेष अधिकार होगा और हम इस पर इतना व्यय होने का अनुमान लगाते हैं ।

कार्य सूची अभी तैयार की जानी है । कार्य सूची का प्रारम्भ सम्मेलन से कुछ समय पहले परिचालित किया जाता है । तब सम्मेलन कार्य सूची का अन्तिम निश्चय करती है । इस प्रश्न विशेष के बारे में, कि क्या बांडुंग संकल्प के आर्थिक भाग का मामला इस सम्मेलन के सामने आयेगा, यह बात है कि यह उस रूप म नहीं आयेगा, किन्तु इस प्रदेश में व्यापार के विकास का प्रश्न उन विषयों में से एक है जिनमें यह परिषद् समस्त प्रदेश के आर्थिक विकास के भाग के रूप में दिलचस्पी रखती है ।

सभापति महोदय द्वारा मांग संख्या ४ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या २२–वैदेशिक कार्य

सभापति महोदय: अब हम मांग संख्या २२ को लेंगे ।

श्री कामत : मेरा निवेदन है कि इस पर मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है जिसके द्वारा मैं कुछ बातें उठाना चाहता हूं और उनके बारे में प्रधान मंत्री का उत्तर सुनना चाहता हूं । आज वह यहां उपस्थित नहीं हैं, यदि यह मांग सोमवार तक के लिये स्थगित कर दी जाये तो बहुत अच्छा होगा ।

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): प्रधान मंत्री सोमवार, और मंगलवार

को अत्याधिक व्यस्क होने के कारण संभवतः सभा में उपस्थित न हो सकें। अपितु वैदेशिक कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि अब उपस्थित है।

सभापति महोदय : प्रधान मंत्री अत्यधिक व्यस्क होने के कारण संभवतः सोमवार को सभा में उपस्थित न हो सकें।

श्री कामत : यह सोमवार के लिये रखी जाये, और यदि प्रधान मंत्री तब उपस्थित हों या न हों, इस पर विचार किया जाये।

श्री अनिल के० चन्दा : यह केवल अनुपूरक अनुदान की मांग है, अतः मैं माननीय सदस्य की अतृप्त जिज्ञासा को तृप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

सभापति महोदय : यह कहना कि माननीय सदस्य की जिज्ञासा अतृप्त है, उचित नहीं है।

श्री अनिल के० चन्दा : यह शब्द वैसे ही मुंह से निकल गया था अतः मैं आपसे क्षमा चाहता हूं।

सभापति महोदय : सोमवार को प्रधान मंत्री के सभा में आने की कोई संभावना नहीं है, अतः इसे स्थगित करने में कोई सार नहीं है।

श्री अनिल के० चन्दा : सोमवार को प्रधानमंत्री की अत्याधिक व्यस्कता के कारण ऐसा करना संभव नहीं होगा।

श्री कामत : जैसा पिछले सत्र में हुआ था, इस बार भी इसे सोमवार तक स्थगित करके अन्य मांगों को लिया जा सकता है।

सभापति महोदय : यदि सभा की ऐसी इच्छा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ए० एम० थामस : इसे स्थगित करना आवश्यक नहीं है।

डा० सुरेश चन्द्र : क्योंकि इसमें नीति संबंधी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, अतः इसे स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम०सी०शाह) : मैं इन दौरों के संबंध में व्यय की अनुपूरक मांगें हैं।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २२—(देशिक कार्य) प्रस्तुत की गई जो २३,४८,००० रुपये की अनुपूरक राशि के लिये थी।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : इस मांग में सरकार ने २०,८७,००० रुपये की मांग की है। यह रुपया रूस के प्रधान मंत्री तथा उनके दल की यात्रा तथा दो सम्राटों की यात्रा तथा अन्य विदेशी उच्चपदधारियों की यात्रा के लिये मांगा गया है। क्या हमारा निर्धन देश इतने बड़े बोझ को बर्दाशत कर सकता है, विशेषतः इस समय जबकि देश में इतनी बेकारी बढ़ रही है ? पहली पंचवर्षीय योजना भी उतनी सफल नहीं हुई है जितनी कि हमें आशा थी और अब दूसरी पंचवर्षीय योजना भी आ रही है। हमारे ऊपर करों का एक बोझ सा लादा जा रहा है। घाटे की अर्थव्यवस्था से वस्तुओं के मूल्य भी निश्चय ही बढ़ जायेंगे। इस प्रकार हमारे ऊपर करों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। भारत जैसा निर्धन देश अतिथि सत्कार पर कैसे इतना रुपया व्यय कर सकता है। जब हमारे प्रधान मंत्री रूस का दौरा कर रहे थे तो उनका वहाँ बड़ा स्वागत सत्कार हुआ था। मुझे बड़ी प्रसन्नता थी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री का इतना सम्मान हो रहा है। उन लोगों ने कहा था कि भारत सिद्धांततः तो साम्यवाद का विरोध करता है किन्तु व्यवहार में वह उन्हें मित्र बना रहा है। मैंने उन्हें समझाया था हमारा देश प्रजातंत्रात्मक है और हम कभी एकतन्त्र के साथी नहीं हो सकते हैं। भारतवर्ष विश्व में शांति की स्थापना करने वाला एक सुदृढ़ प्रजातंत्रात्मक देश ही रहेगा।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

अब बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मार्शल बुलगानिन और श्री ख्रुशचेव भारत में आये हैं उनका भारत में बड़ा स्वागत हुआ है। मेरे देश बंगाल में भी। हम अतिथि सत्कार में रूसियों से भी आगे बढ़ गये हैं। किन्तु यह समझना निश्चय ही भूल होगी कि भारत प्रजातन्त्र को छोड़ कर एकतन्त्र की ओर मुड़ रहा है हम किसी शक्ति गुट के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। हम विश्व की सभी शक्तियों के साथ मित्रता रखेंगे। क्या ही अच्छा होता कि हमारे अतिथि इस संसद् भवन में ऐसे विवादस्पद विषयों की चर्चा न करते। दो वर्ष पहले अमरीका के उपप्रधान आये थे, कुछ ही दिनों पहले एन्थनी ईडन, मार्शल टीटो और कर्नल नासिर आये थे। उनमें से किसी ने कोई भी ऐसा विवादास्पद मामला नहीं उठाया था, किन्तु इन नेताओं में से एक ने संसद् को सम्बोधन करते समय पश्चिमी जनतन्त्रों को ही जिनिवा सम्मेलन के असफल होने का दोषी ठहराया है। पंजाब गर्वनर द्वारा दिये गये एक भोज में श्री ख्रुशचेव ने भारतवर्ष को इन तथाकथित मित्रों के विषय में चेतावनी देते हुये कहा कि भारत जैसे नवीन गणतंत्र को अभी रक्षा की आवश्यकता है। श्रीमान्, हम इस प्रकार की भाषा से खुश नहीं हैं।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : औचित्य प्रश्न के संबंध में हम अनुदान की मांग पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे अतिथियों ने हमारे देश में क्या कहा क्या इसका उल्लेख संगत है ?

सभापति महोदय : जहां तक इस अनुदान का संबंध है उसकी राशि पर ही चर्चा की जानी चाहिये। किन्तु साथ ही इसमें एक मद संख्या (३) है जो विदेशी उच्चपदधारी व्यक्तियों के आने तथा विविध व्ययों के संबंध में है। उनका कहना है कि केवल उन्हीं उच्चपदधारियों को देश में आने दिया जाये जो इस प्रकार से व्यवहार न करें जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगा है। यह उनका अपना मत है सदन का नहीं उनको अपना मत अभिव्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है।

किन्तु साथ ही इस औचित्य प्रश्न का एक और पक्ष भी है। प्रधान मंत्री आदि विदेशी उच्चपदधारी जो कुछ कहना था कह चुके हैं अब वे हमारे देश में अपनी यात्रा के अन्तिम दिनों में हैं। सम्भवतः वे अब कुछ अधिक नहीं कहेंगे। अतः जब तक हमारे अतिथि यहां हैं इस प्रकार की आलोचना को संयत रखना ही अधिक अच्छा है।

श्री अनिल के० चन्दा : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या माननीय श्री चटर्जी की यह इच्छा है कि हम अपने अतिथियों की कोई ऐसा आदेश दिया करें कि वे अमुक बात कहें और अमुक न कहें ?

श्री के०के० बसु : औचित्य प्रश्न के संबंध में। अनुपूरक अनुदान (क) उस अतिरिक्त व्यय के लिये है जो आने वाले उच्च पदधारियों की संख्या बढ़ जाने के कारण हुआ है और जिनका १९५५-५६ के लिये अनुदान की मांग करते समय अनुमान नहीं लगाया जा सका था। अतः इस पर मतदान हो चुका है और यह सिद्धांत कि विदेशी उच्चपदधारी बुलाये जायें स्वीकृत हो चुका है। अब सभा के सामने यह प्रस्थापना है कि इस मांग को स्वीकृत किया जाये अथवा नहीं क्या एक बार निश्चित कर दिये गये प्रश्न को दोबारा उठाया जा सकता है ? विदेशी उच्चपदधारियों को बुलाने के प्रश्न का पहले निश्चय हो चुका है। क्या इस बार अब दोबारा चर्चा हो सकती है ?

श्री करमरकर : आपके निर्णय के अगर-बरुप मैं एक छोटे से विषय के सम्बन्ध में भी आपका विनिर्णय चाहता हूं। सामान्यतः माननीय सदस्य तभी किसी के

कथन का इस सभा में उल्लेख करते हैं जब वे उसके सत्य होने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं। अन्यथा उन्हें उस पर कुछ कहने की अनुमति नहीं होती है। मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र ने किस समाचारपत्र अथवा प्रैस विवरण से उक्त कथन को लिया है। जब तक कि वह किसी अच्छे प्रमाण के आधार पर यह नहीं कहते हैं और इसका पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं वह इसका कैसे उल्लेख कर सकते हैं? क्या वह बता सकते हैं कि जो कुछ प्रकाशित हुआ है वही कुछ कहा गया था? मैं इस विषय में आपका विनिर्णय चाहता हूं।

सभापति महोदय : शांति, शांति। अभी एक औचित्य प्रश्न उठाया गया है और उसका निर्णय भी नहीं हो पाया था कि माननीय मंत्री ने एक नया औचित्य प्रश्न उठा दिया है। श्री बसु का कहना है कि यह एक नीति संबंधी प्रश्न है जिसका पहले ही विनिश्चय किया जा चुका है। अब प्रश्न यह है कि क्या जब व्यय बढ़ गया है उस समय नीति संबंधी चर्चा फिर की जा सकती है?

विदेशी उच्चपदधारियों को बुलाने की नीति का पहले ही निश्चय किया जा चुका है। अनुपूरक मांग के समय नीति संबंधी चर्चा नहीं की जा सकती है। जहां तक माननीय वैदेशिक-कार्य उपमंत्री द्वारा उठाये गये औचित्य प्रश्न का सम्बन्ध है मैं यही कह सकता हूं कि जब एक बार विदेशी उच्चपदधारियों को निमंत्रण दिया जा चुका हो तो फिर हमारी सरकार उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक बोलने से नहीं रोक सकती है। अब यह सोचना कि उन्हें निमंत्रण दिया जाना चाहिये था अथवा नहीं व्यर्थ है। हम उनको स्वतंत्र रूप से भाषण देने से नहीं रोक सकते हैं। अतः इस परिस्थिति में इस प्रकार की आलोचना को संयत ही रखना चाहिये। हमें उनकी इस प्रकार आलोचना नहीं करनी चाहिये जिससे कि वे यह अनुभव करें कि भारतीय संसद् को उनका आना अच्छा नहीं लगा है।

डा० सुरेश चन्द : मैं प्रार्थना करता हूं कि यह शब्द सभा की कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

सभापति महोदय : क्या यह औचित्य प्रश्न है? शीघ्रता न कीजिये। मैं सभी की बात सुनूंगा। किन्तु मैं माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि जब वे यह जानते हैं कि यह औचित्य प्रश्न नहीं है तब वह बार बार शब्द "औचित्य प्रश्न" का प्रयोग न करें।

श्री के० के० बसु : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : औचित्य प्रश्न समाप्त हो चुका है। निर्णय के स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं होता।

श्री के० के० बसू : क्या मैं इस प्रकार एक प्रश्न पूछ सकता हूं?

सभापति महोदय : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वतः कहा है, वह एक औचित्य प्रश्न पर, जिसे मैं ने पहले ही निबटा दिया है, एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं उसके लिये अनुमति नहीं दे सकता।

श्री के० के० बसू : अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा के दौरान में, एक सदस्य ने जो टिप्पणी दी थी वह उस सिद्धांत को चुनौती है जिसे सभा ने स्वीकार कर लिया है। श्री चटर्जी ने कहा कि कुछ अतिथियों को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो इस सभा के एक भाग के विचार में हमारे मित्र राष्ट्रों के विरूद्ध हैं और इसलिये इन अतिथियों को नहीं बुलाया जाना चाहिये। अतः हमें इसका उत्तर अवश्य ही देना होगा। जब हम उन्हें बुलाते हैं, हमें इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्या वे ऐसी कोई बात कहेंगे जो हमारे किसी मित्र राष्ट्र के विरूद्ध हो। उससे विदेशी अतिथियों को बुलाने के सिद्धांत का प्रश्न उठता है।

सभापति महोदय : यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

श्री करमरकर : जहां तक मुझे ज्ञान है अब तक यही संसदीय प्रक्रिया रही है कि कोई माननीय सदस्य ऐसे किसी भाषण का उद्धरण नहीं दे सकते जिसे वे पूरी तौर से सत्य और प्रामाणिक न समझते हों । अतः मेरे विचार से वह असंगत है और माननीय सदस्य द्वारा दिया गया उद्धरण कार्यवाही में नहीं शामिल किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने केवल यह प्रश्न उठाया है कि जिस पत्र या प्रतिवेदन से माननीय श्री चटर्जी ने उद्धरण दिया है, वह प्रामाणिक है अथवा नहीं । यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । मेरी समझ में, वह श्री एन० सी० चटर्जी को पूछा गया एक प्रश्न मात्र है ।

श्री करमरकर : वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर आप निर्णय दे रहे हैं । जब तक कोई समाचार प्रामाणिक न हो तब तक उसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । यदि मैं सभा में कोई समाचार पढ़कर सुनाऊं जिस में आप द्वारा कही गयी किसी बात का उल्लेख हो तो आपको उसे गलत सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलेगा और हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि यह सच है या नहीं । मेरा कहना है है कि क्या कोई माननीय सदस्य समाचार-पत्र का उद्धरण देते हुये, यह कह सकता है कि उनका कथन उस कथन पर आधारित है । क्या वह ऐसा उद्धरण दे सकता है जिसके बारे में वह नहीं जानता कि वह ठीक है या नहीं ?

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि जब इस सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया तो वे स्वयं इस बात पर परेशान थे कि समाचारपत्र में उन के भाषण के उद्धरण इस प्रकार दिया गया है और वे अच्छी तरह से जानते हैं कि समाचार-पत्रों में भाषण किस प्रकार प्रकाशित किये जाते हैं ।

सभापति महोदय : वास्तविकता यह है कि प्रत्येक माननीय सदस्य स्वयं जानता है कि समाचारपत्र में जो कुछ प्रकाशित होता है वह अपने आप से ही प्रमाणिक नहीं होता । परन्तु प्रथा यह है कि जब तक आपत्ति न उठाई जाँये, सदस्यों को समाचार पत्रों से उद्धरण देने की स्वतंत्रता दी जाती है । यदि कोई कहे कि जो कुछ उन्होंने उद्धत किया है वह प्रमाणिक नहीं है तो मैं निश्चय ही श्री एन० सी० चटर्जी से कहूंगा कि वे केवल वही समाचार पढ़ कर सुनाया करें जो अधिकृत हो । इसलिये मैं श्री एन० सी० चटर्जी से निवेदन करूंगा कि वह हमें बतायें कि ये शब्द उन्होंने कहां से लिये हैं जिनके संबंध में वे कहते हैं कि ये शब्द इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों न कहे हैं ।

श्री एम० सी० शाह : जब कोई ऐसी आलोचना की जाये जो ऐसे समाचारों पर आधारित हो जो अधिकृत नहीं है तो उनको अभिलेख में प्रकाशित नहीं होने देना चाहिये ।

सभापति महोदय : जहां तक सभी लेख का प्रश्न है उसमें यह दिया गया है कि क्या कहा गया, क्या आपत्ति उठाई गई तथा क्या निश्चय किया गया ।

श्री एन० सी० चटर्जी : अपने एक माननीय मित्र के इस कथन पर मुझे आश्चर्य है कि कि मैंने प्रतिष्ठित आगन्तुकों के सम्मान के विरुद्ध कोई बात कही है । मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही । प्रतिष्ठित आगन्तुक हमारे राष्ट्रीय अतिथि हैं और यदि मैं कोई ऐसी बात कहूं जो उनके लिये अपमानजनक हो तो मैं न तो भारतीय हूं न हिन्दू । किसी प्रकार भी

उनका अपमान करना मेरा अभिप्राय नहीं है। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने यह बिल्कुल गलत अनुमान किया कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है। न केवल मैं वरन् हमारे देश के लाखों व्यक्ति इस बात से प्रसन्न हैं कि गोआ और कश्मीर की जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं पर इन प्रतिष्ठित आगन्तुकों ने हमारी सरकार से भी अधिक दृढ़ और स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया है।

श्री पुन्नूस : आपने माननीय सदस्य से यह बताने को कहा था कि जो शब्द उन्होंने उद्धत किये हैं वे कहां से लिये हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : यदि मेरे मित्र चाहते हैं तो मैं उसे सभा के पटल पर रख दूंगा।

दुर्भाग्यवश इन भाषणों का एक परिणाम यह हुआ है कि एक मंत्री, श्री डलेस ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनपर हमें बहुत आपत्ति है।

सभापति महोदय : शांति, शांति। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा यह नीति संबंधी प्रश्न है। यहां हमारे वाद विवाद का विषय केवल अनुपूरक मांग है, न कि नीति संबंधी प्रश्न।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या इस का तात्पर्य है कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे प्रतिष्ठित आगन्तुकों के आगमन और उनके बयानों के संबंध में किसी अन्य देश में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो आपसी संबंधों को दूषित करने वाली हैं और विश्व-शान्ति के लिये अहितकर हैं?

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। नियमों के अनुसार अनुपूरक मांगों के संबंध में नीति संबंधी प्रश्न नहीं उठाये जा सकते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अनुपूरक मांग के विवाद की सीमा से बाहर न जायें।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कुल कितना खर्च किया जा रहा है। आपने लगभग २३ लाख रुपये की राशि बताई है। वे सारे देश का दौरा करेंगे मैं जानना चाहता हूं कि कुल खर्चा कितना होगा? प्रांतों का खर्चा प्रांतीय सरकारें ही वहन करेंगी या उनका कुछ भार केन्द्रीय सरकार भी उठायेगी?

विदेशी प्रतिष्ठितजनों को आमंत्रित करने का प्रयोजन

श्री कामत : मांग संख्या २२ के संबंध में मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या एक प्रस्तुत करता हूं जिसमें मैंने मांग की है कि १०० रुपये की कटौती की जाये।

सभापति महोदय : अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबंध में जो कटौती प्रस्ताव रखे जाते हैं उनके द्वारा नीति संबंधी प्रश्न नहीं उठाये जा सकते हैं और चूंकि इस कटौती प्रस्ताव का आधार नीति संबंधी प्रश्न है इस लिये मैं उसके रखे जाने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चितौड़) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। किसी एक मांग विशेष के लिये एक राशि विशेष का उल्लेख किया जाता है। उसके बाद चाहे जितना व्यय हो। उसके बाद चाहे जितना व्यय हो उसी मांग के अन्तर्गत समझा जाता है और उसके संबंध में किसी अग्रेतर सिद्धांत की बात नहीं उठाई जा सकती। कभी सरकार को १० या २० रुपये की आवश्यकता होती है, वह इस राशि को बढ़ाकर दो लाख, पांच लाख या दस लाख रुपये तो नहीं कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नीति ही अनुचित है।

सभापति महोदय : यह औचित्य प्रश्न नहीं है। १९५२ के द्वितीय सत्र संबंधी **अध्यक्ष-पद के विनिश्चय** के पृष्ठ ११ पर एक विनिर्णय दिया गया है। उस के अन्तिम भाग में स्पष्ट बताया गया है कि यदि आय व्ययक सत्र में किसी मद विशेष पर चर्चा हो चुकी हो, नीति सभा द्वारा स्वीकार की जा चुकी हो तथा कुछ राशि स्वीकृत की जा चुकी हो और बाद में कुछ अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़े तो नीति संबंधी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। नीति संबंधी प्रश्न उसी हालत में उठाया जा सकेगा जब उस वर्ष के भीतर किसी ऐसी मद या सेवा प्रस्तुत की जाये जिसका अनुमान नहीं किया गया था और उसके लिये कुछ राशि व्यय करने की अनुमति मांगी जाये। इसलिये मैं इस कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री कामत : मैं मांग पर तो बोल सकता हूं।

सभापति महोदय : यह बात और है। वे बोल सकते हैं।

श्री कामत : सब से पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं सरकार की नीति की चर्चा नहीं कर रहा हूं। गत सात वर्षों में हमारे देश में विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठित व्यक्ति आये। यह हर्ष का विषय है कि हमारा देश विदेश के प्रतिष्ठित जनों के लिये एक प्रकार का तीर्थ बन गया है। मुझे आश्चर्य यह हो रहा था कि क्या सर्वहारा समाजवादी राज्यों के इन नेताओं ने विलास के इन प्रवाधनों में वास्तव में आनन्द का अनुभव किया होगा। १९३५ में जब मैं रूस में था—बुल्गानिन के समय में नहीं, स्टालिन के समय में—तो मैं ने सुना था कि क्रेम्लिन के महल में स्टालिन के पास केवल दो कमरे थे और एक छोटी कोठरी थी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वाद विवाद के लिये समय की एक सीमा निर्धारित कर दी गई है।

श्री एम० सी० शाह : एक घंटा निर्धारित किया गया था अब केवल पांच मिनट का समय शेष है।

श्री कामत : मांग संख्या २२ की राशि २०·८७ लाख रुपये है उसकी पादटिप्पण में तीन मदें दी गयी हैं (१) बांडुंग को जाते हुये या वहां से लौटते हुये प्रतिष्ठित विदेशी जनों का भारत में आगमन (२) रूस के प्रधान मंत्री और उनके दल का, सऊदी अरब के बादशाह का, हिन्देशिया के उपराष्ट्रपति का, नेपाल के राजा और रानी तथा उनके दल का भारत में आगमन (३) अन्य प्रतिष्ठित जनों का आगमन तथा अन्य विविध व्यय। मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे भाग में अलग अलग कितना खर्च किया गया है। कुल खर्चा जो इन चारों देशों के प्रतिष्ठित जनों पर किया गया है १६ लाख रुपया है। जहां तक पता चला है सर्वहारा राज्य के नेताओं पर अन्य प्रतिष्ठितजनों की अपेक्षा अधिक रुपया खर्च किया गया है।

श्री अनिल के० चन्दा : जी नहीं।

श्री कामत : रूस में हमारे प्रधान मंत्री का जैसा शानदार स्वागत किया गया था उसको देखते हुये पारस्पर्य के आधार पर ऐसी बात हो सकती है। इसमें कोई दोष नहीं है। परन्तु प्रश्न यहां पर यह है कि दोनों राज्यों के ढांचों में कितना अन्तर है। सेन्ट्रल हाल में भाषण देते हुये श्री ख्रुशचेव ने कहा कि पार्टी और जनता में कोई अन्तर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ रुपया खर्च हुआ खर्च हो गया। हमें इस प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिये। उनके भीतरी प्रशासन से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रकार की बातें

न करें। मैं कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूं मैं केवल एक निवेदन कर रहा हूं।

आचार्य कृपालानी : परन्तु हमारे देश के आर्थिक ढांचे की चर्चा करते हुये इन अतिथियों ने हमारे देश की राजनीति की चर्चा की है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि इस प्रकार के वाद विवाद के लिये यह उचित अवसर नहीं है। जहां तक खर्च का संबंध है एक देश और दूसरे देश के प्रतिष्ठित जनों पर किये गये खर्चे की इस प्रकार तुलना नहीं की जा सकती है।

श्री कामत : मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि इस राशि का विवरण क्या है। जैसे बच्चों की ड्रिल पर कितना रुपया खर्च किया गया। मैंने सुना है कि शिक्षा निदेशक, दिल्ली ने बच्चों को "जय हिन्द" "जय रूस" "शांति अमर हो" इत्यादि कहने का प्रशिक्षण देने के संबंध में एक परिपत्र जारी किया था। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कार्यों पर कितना रुपया खर्च किया गया।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस अवसर पर श्री ख्रुशचेव ने स्वयं ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेनिन के बराबर घोषित कर दिया है यद्यपि एक वर्ष पूर्व तक सोवियत विश्व-कोष में महात्मा गांधी को केवल एक धार्मिक नेता बताया गया था और कहा गया था कि उन्होंने अपने देश की जनता के साथ विश्वासघात किया।

उपाध्यक्ष महोदय : शांति शांति, हम फिर अपने विषय से परे जा रहे हैं। मैं समझता हूं, कि यदि वे कहते कि वे गांधी जी की उपासना करते हैं तो माननीय सदस्य संभवतः १६ लाख के स्थान पर १६० लाख रुपया मंजूर कर देते। स्वागत किया गया और उस पर इतनी राशि का व्यय हुआ। माननीय सदस्य यही कह सकते हैं कि व्यय कम हुआ या अधिक।

श्री कामत : रूसी नेताओं ने हमारे देश का दौरा करते हुये विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रीय विषयों को न उठाया होता तो मैं इन बातों की चर्चा न करता।

अब सऊदी अरब के बादशाह को लीजिये। मेरे पास समाचार पत्र की एक कतरन है जिससे स्पष्ट है कि नागपुर से गुजरते हुये उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल डा० पट्टाभि सीतारमय्या को, तथा मुख्य मंत्री पंडित शुक्ल को उपहार दिये।

सरदार इकबाल सिंह : एक औचित्य प्रश्न है। किसी राज्य के प्रमुख की आलोचना न करना हमारी सभा की एक प्रथा है। सऊदी अरब का बादशाह राज्य का प्रमुख है उसके संबध में भी हमें इस प्रथा का पालन करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : हम किसी भी राज्य के प्रमुख की आलोचना नहीं कर सकते हैं चाहे वह भारत का हो या किसी अन्य देश का। उन्हों ने सोने की घड़ियां उपहार में ली या भेंट कीं इससे हमारा कोई संबंध नहीं है।

श्री ए० एम० थामस : इससे तो मेरे माननीय मित्र के ही राज्य को लाभ हुआ है।

श्री कामत : उपहार राज्य को दिया गया होता तो बात और थी परन्तु यह तो राज्यपाल और मुख्य मंत्री को व्यक्तिगत रूप से दिये गये थे। हमारे संविधान के अनुच्छेद १८ में एक उपबन्ध इस सम्बंध में है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके संबंध में बहुत कुछ सुन चुका हू। इन व्यक्तियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसके लिये माननीय सदस्य को उच्चन्यायालय जाना चाहिये। यहां हमारे वाद विवाद का विषय व्यय की

[उपाध्यक्ष महोदय]

राशि है । क्या कहने का अर्थ यह है, सऊदी अरब के बादशाह ने हमारे रुपय से यह घड़ियां दी हैं ।

श्री कामत : क्या मैं पढ़ूं . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बंध में सुन चुका हूं । मैं अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री कामत : मुझे खेद है कि औचित्य प्रश्न से पहले ही आप विनिर्णय दे देते हैं । बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं संविधान पढ़ रहा हूं और आप पढ़ने नहीं देते हैं । बड़े आश्चर्य की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक बात के लिये संविधान का उल्लेख करना ठीक नहीं । माननीय सदस्य संविधान का उल्लेख करके यह बताना चाहते हैं कि ये उपहार अनुचित हैं । यह मानते हुये भी कि संविधान इसका निषेध करता है, यह बात इस मांग से पैदा नहीं होती । यही मेरा कहना है । मैंने इसको नियमबाह्य घोषित किया है । संविधान का उल्लेख करने से क्या लाभ है ?

श्री कामत : राष्ट्रपति एक उच्चपदधारी व्यक्ति है जिसके बारे में संसद् चर्चा कर सकती है । क्या आप इससे राहमत हैं ? आप अपना विनिर्णय दीजिये ।

श्री एन० एम० लिंगम : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेशी उच्चपदधारी इस देश में बुलाये गये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सभा के लिये उचित है कि वह किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के व्यवहार के बारे में चर्चा करे । मेरा अपना विचार तो यह है कि ऐसे व्यक्तियों की आलोचना करना, विशेषत: जबकि वे अपने ही देश में हों और हमारे अतिथि बने हों, किसी प्रकार भी उचित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं सुनना चाहता । सब इस बात से सहमत हैं कि किसी भी विदेशी उच्चपदधारी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिये । वे हमारे अतिथि हैं । इसीलिये मैंने कहा कि यदि उन्होंने उपहार स्वरूप घड़ियां इत्यादि दीं, तो यह ऐसा मामला नहीं है जो इस मांग से उत्पन्न होता है । एक उच्चपदधारी के विरुद्ध, जबकि वह हमारे निमंत्रण पर अतिथि रूप में आये हों, कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

श्री कामत : संविधान के अनुच्छेद १८ में बताया गया है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना लाभ पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य की भेंट इत्यादि स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने संविधान का जो उल्लेख किया है उसको भी मैंने सुन लिया है । इस बात का १६ लाख रुपये की इस मांग से कोई सम्बंध नहीं है । माननीय सदस्य ने काफी समय ले लिया है । अब वे अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री कामत : मैं केवल आधा मिनट और लूंगा । मैं शाह की आलोचना नहीं कर रहा हूं, अपितु केवल इतना कह रहा हूं कि अपने नागरिकों को उपहार स्वीकार करना कहां तक उचित था । आपने अपना विनिर्णय दे दिया है, मैं उसको मानूंगा यद्यपि मैं उससे सहमत नहीं हूं ।

श्री ए० सी० गुह : कार्य मंत्रणा समिति ने इस मांग के लिये एक घंटा नियत किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने २-५० पर प्रारम्भ किया था और मुख बन्ध ३-५० पर होगा ।

श्री कामत : मैं माननीय उपमंत्री से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि कौन कौन

विदेशी उच्चपदधारी अपने यहां आने वाले हैं और अन्य विविध व्यय का वास्तविक अर्थ क्या है।

श्री अनिल के० चन्दा : क्या इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये हमारे पास समय है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

डा० सुरेश जन्द्र : मैं नहीं चाहता....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आपस में झगड़ें नहीं और अपने को शांत रखें, अन्यथा मुझे उस समय तक के लिये सभा की बैठक स्थगित कर देनी पड़ेगी, जब तक माननीय सदस्य यह न महसूस करलें कि वे पूरे उत्तरदायित्व के साथ सभा में आये हैं।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं वैदेशिक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों के लिये इन मांगों का समर्थन करता हूं। मेरा विचार है कि अपने देश में आने वाले वाले उच्चपदधारियों के खर्चे के लिये २०,८७,००० रुपये की यह मांग पर्याप्त नहीं है। सभा इससे अवगत है कि विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिये भारत अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों में एक महत्वपूर्ण भाग ले रहा है। सभी बड़े देशों ने इस बात की मान लिया है। ऐसी अवस्था में सभा को इन विदेशी उच्चपधरियों पर खर्चा करने के लिये और अधिक धन की स्वीकृत्ति देनी चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने इन प्रतिष्ठित अतिथियों के बारे में बड़ी अप्रतिष्ठाकारी बातें कही हैं और इसका भी उल्लेख किया है कि इन लोगों ने संसद् के भीतर पश्चिमी देशों के खिलाफ कहा है। मेरा विचार यह है कि प्रत्येक प्रतिष्ठित प्रतिनिधि की राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता है। हमें इस बात को बुरा नहीं मानना चाहिये। जब कभी वे हमारे देश में आते हैं, वे सब प्रकार के लोगों से मिलते हैं, औद्योगिक केन्द्र देखते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं।

यह सब बातें अप्रासंगिक हैं कि पंच वर्षीय योजना विफल हुई है और यह देश अतिथियों का घर हो गया है।

श्री कामत : ये बातें अप्रासंगिक हैं या नहीं, इसका निर्णय तो अध्यक्ष महोदय ही कर सकते हैं।

डा० सुरेश चन्द्र : मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि इस अनुपूरक मांग की चर्चा के लिये एक घंटा नियत किया गया था किन्तु अधिकांश समय दो सदस्यों द्वारा ले लिया और जो बातें उन्हों ने कहीं, उनमें से अधिकांश पूर्णतः अप्रासंगिक हैं।

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आने से विश्व में शांति बढ़ी है और उससे केवल इस देश को नहीं, अपितु सम्पूर्ण संसार को लाभ हुआ है।

श्री अनिल के० चन्दा : कटौती प्रस्ताव के बारे में भाषण देते हुये श्री एन० सी० चटर्जी और श्री कामत ने जो कुछ कहा वह किसी प्रकार भी उचित न था। मुझे शंका है कि उनके इन भाषणों का अपने देश में आये हुये और बाहर देशों के अनेक व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अपने भाषण के अन्त में श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा कि उन्होंने अपने प्रतिष्ठित अतिथियों की शान के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। इस सम्बन्ध में मुझे एक कहानी याद आती है जिसको मैंने बंगाल के एक ग्राम में सुनना था। एक निर्धन ग्रामीण ने जमींदार के पास जाकर अपने सहकारी अमीन की शिकायत की कि उसने मुझे जूते से मारा है और मुझ को सुअर और साले कहकर पुकारा है तथा इसके अलावा मुझको मेरी बेइज्जती करने की धमकी दी है। इसी प्रकार से श्री एन० सी० चटर्जी ने अपने प्रतिष्ठित अतिथियों

[श्री अनिल के० चन्दा]

के बारे में सब कुछ कह कर अन्त में यह कह दिया कि उन्होंने आगन्तुकों की प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। मुझे इस बात का वस्तुतः खेद है कि सभा का एक ज्येष्ठ सदस्य ऐसा व्यवहार करे :

मेरे माननीय मित्रों ने मुझ से पूरे आंकड़े देने के लिये कहा है। दल सहित रूस के प्रधान मंत्री, सौदी अरब के शाह, इण्डोनेशिया के उपाध्यक्ष, नेपाल के राजा और रानी तथा दल के भारत आने पर कुल १६ लाख रुपये खर्च हुये। खर्चे का पूरा ब्योरा देना बहुत कठिन है, क्योंकि अधिकांशतः के सब एक ही समय में भारत आये। जो खर्चे हुये, उनमें से बहुत से जो एक के लिये गये, वे दूसरों के लिये भी काम में आ गये। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। जब रूसी लोग यहां आये, तो हमने मुख्य मार्गों पर अपने झंडे और रूसी झंडे लगवाये थे। उसके तुरन्त बाद ही सौदी अरब के शाह का आगमन हुआ और हमने भारतीय झंडे तथा सौदी झंडे लगवा दिये। भारतीय झंडे तो पहले से ही लगे हुये थे, अतः यह खर्चा दोनों के लिये हो गया। इस प्रकार से, एक ही महीने के अन्दर हमारे यहां नेपाल के राजा, सौदी अरब के शाह और प्रतिष्ठित रूसी अतिथि आये। बहुत से खर्चे मिले जुले हो गये हैं, जो कि अनिवार्य है। अतः, मुझे खेद है कि पूरा ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

मेरे माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी और श्री कामत ने यह जानना चाहा कि क्या ये खर्चे राज्यों में भी होते हैं, या फिर केवल केन्द्र में ही होते हैं। मेरे विचार में श्री एन० सी० चटर्जी ने यह सवाल उठाया है। इन बाहर से आने वाले अतिथियों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में हमने जिस प्रकार खर्चा किया, वह मैं उनको बता सकता हूं। उदाहरणतः उनके राज्य के आसनसोल को ही लीजिये। हमने यातायात के लिये, कलेवे के लिये, दोपहर के भोजन के लिये, सिन्द्री में चायपान के लिये और बोकारो में सायंकाल के भोजन के लिये भुगतान किया। यदि राज्य सरकार द्वारा उस दल को कुछ उपहार दिये गये, तो उनका खर्चा उसने स्वयं ही किया। मुख्यतः सारे ही खर्चे भारत सरकार द्वारा किये गये हैं।

मैं एक बात आपके सामने और रखना चाहता हूँ, और वह यह है कि बहुत सा खर्चा वस्तुतः हुआ नहीं है, अपितु उसका केवल पुस्त-समायोजना ही हुआ है, क्योंकि ये दर्शक हमारी रेलगाड़ीयों और हमारे हवाई जहाजों द्वारा जो कि राज्य के हैं, यात्रा करते रहे हैं; अतः यह व्यय हमारे मंत्रालय के खातें में नाम डाल दिया गया और किसी अन्य मंत्रालय के खाते में जमा कर लिया गया। अतः, मैं विपक्षी सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि भारत सरकार ने जो खर्चा किया वह वस्तुतः १६ लाख रुपये नहीं है।

अतिथि सत्कार की बहुलता के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि विदेशों में विदेशी उच्चपदधारियों का अधिक उक्त स्वागत होता है। मुझे मध्यपूर्व और सुदूर पूर्व दोनों स्थानों के अतिथि सत्कार का थोड़ा सा अनुभव है। यद्यपि मैं केवल एक उपमंत्री ही हूं, किन्तु उन दोनों स्थानों में मेरे सत्कार की बहुलता में जो खर्चा किया गया, उसको देखकर मुझे आश्चर्य हो गया।

हमारे देश के लोगों को विदेशी उच्चपदधारियों ने जो भेंट दी, उनके बारे में मैं होशगाबाद के अपने माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के कर्मचारी जिनमें मंत्री भी सम्मिलित हैं, उस समय तक विदेशी व्यक्ति अथवा राज्य द्वारा दी गई भेटों को अपने पास नहीं रख सकते,

जबतक उनको राष्ट्रपति से उसके लिये विशेष अनुमति नहीं मिल जाती है' और अधिकांश मामलों में यदि उनको भेंट स्वीकार करने की आज्ञा दी जाती है, तो उन्हें उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। जब मैं ईरान में था तो डा० मुसद्दक ने मुझे एक कालीन दिया और उस कालीन को अपने पास रखने के लिये मुझे अपनी सरार को उसकी कीमत देनी पड़ी। यह बड़े अभाग्य की बात है कि मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने कहा कि रुसी अतिथियों और अरबी अतिथियों के साथ जो व्यवहार किया गया, उसमें कुछ विभेद रखा गया है।

श्री कामत : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी है। यदि मैंने उनके कथन को गलत समझा, तो मुझे उसका खेद है। मैंने मनाह किया था किन्तु माननीय सदस्य ने पूर्ण विवरण देने को कहा था।

इन्हीं बातों का मैं उल्लेख करना चाहता था। मैं अपने माननीय मित्र, श्री कामत, को आगे बताता हूँ कि स्कूल के बच्चों को ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये गये थे कि वे आयें, मुस्करायें, गायें और नाचें।

इसके पश्चात् माननीय सदस्य ने इस बारे में जानना चाहा कि कौन-कौन विदेशी उच्चपदधारी और आने वाले हैं और अन्य विविध खर्चों का क्या अर्थ है। मेरे पास उन विदेशी उच्चपादधारियों की पूरी सूची है जो कि भारत आने वाले हैं अथवा जो इस समय भारत में हैं। इस समय लगभग २० उच्चपदधारी हैं और कुछ और आ रहे हैं। यदि सभा के पास समय हो, तो मैं पूरी सूची पढ़कर सुना सकता हूँ।

श्री कामत : इसमें अधिक से अधिक एक मिनट लगेगा।

श्री अनिल के० चन्दा : वाइटनाम प्रतिनिधि मंडल, कम्बोडिया प्रतिनिधिमंडल वेस्ट इंडीज वस्त्र प्रतिनिधि मंडल, मिस्र राज्य के प्रधान मंत्री तथा मंत्री, श्रीलंका अनुसचिवीय प्रतिनिधि मंडल, श्रीलंका के वाणिज्य और व्यापार मंत्री, अफगानिस्तान के उपप्रधान मंत्री, सूडान के प्रधान मंत्री.....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अब हम अपने देश में आने वाले अतिथियों पर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं. इसलिये कुछ व्यवस्थित ढंग अपनाइये। यह धन किन मदों और विदेशों से आने वाले किन उच्चपदाधिकारियों पर खच हुआ है, यह बताना तो बिलकुल ठीक है, पर उपमंत्री महोदय तो भविष्य में आनेवाले विदेशी उच्चादाधिकारियों की सूची सुनाने में लगे हैं।

श्री अनिल के० चन्दा : जी, हां। ये अतिथि देश में आ चुके हैं। यह सूची बताने के लिये मुझ से आग्रह किया जा रहा था। मैं उसे सभा-पटल पर भी रख सकता हूँ।

इस धनराशि में से ७५,००० रुपये भारत में आने वाले इन विदेशी उच्चपदाधिकारियों पर खर्च करने के लिये और ७५,००० रुपये पिछले वर्ष के वकाया दावों को चुकाने के लिये हैं। इस प्रकार, इसका कुल जोड़ १,५०,००० रुपये होता है।

श्रीमती रेणू चक्रवर्ती (बसिरहट) : इन अतिथियों के स्वागत पर विभिन्न राज्यों की साधारण जनता द्वारा लगभग कितना खर्च किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : माननीय सदस्या यह समझ सकतीं हैं कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा खर्च किये गये धन का पता लगाना हमारे लिये सम्भव नहीं है।

अनुपूरक अनुदान की निम्नलिखित मांग उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :–

अनुपूरक मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	वैदेशिक कार्य	२३,४८,०००

मांग संख्या ३७ — वित्त मंत्रालय के आधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के सामने माँग संख्या ३७ चर्चा के लिये प्रस्तुत की जाती है। इस माँग के अधीन राशि भारत की संचित निधि पर पारित है।

श्री एन० बी० चौधरी: मैं इस माँग के सम्बन्ध में कुछ सूचना चाहता हूं। मैं, इसकी टिप्पणी में उल्लिखित, सौदीपुर ग्लास वर्क्स की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। उसको दी गई पेशगी रक़मों पर ब्याज वसूल न किये जाने के कारण ही यह राशि इतनी बढ़ गई है। १६४८ के अधिनियम के अन्तर्गत, हमें कुछ प्रत्याभूत लाभांश ही अदा करने पड़ते हैं। १६५३–५४ में वित्तीय सहायता की मद में हमें कुछ भी नहीं देना पड़ा था; पर वह ४.०६ लाख हुअ और अब चालू वर्ष में ११.२५ लाख तक पहुंच गया है। इसका अर्थ यह है कि इस कारखाने के प्रबन्ध में कुछ गड़बड़ी है। सभा में इसके बारे में आलोचना भी हुई है और एक विधेयक भी पारित किया गया है। इसलिये, हम जानना चाहते हैं कि अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, और अब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री के० के० बसु : मैं कानून द्वारा प्रत्याभूत लाभांशों की अदायगी के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमें दिये गये आंकड़ों से पता लगता है कि १६४६ में हालत सुधरी थी और १६५३-५४ में वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। फिर, १६५४-५५ में हमें ४·०७ लाख रुपये की वित्तीय सहायता देनी पड़ी थी। अब हमने कठिन और संशय पूर्ण के लिये १५ लाख रुपये की राशि अलग रख ली है। मैं जानना चाहूंगा कि पहले के कितने ऐसे हैं जिन पर ब्याज वसूल नहीं कर सकते हैं और अब कितने ऐसे ऋण और दिये जा रहे हैं जिन पर ब्याज नहीं लिया जायेगा। हम जानते हैं कि सामान्त : किस प्रतिशतता पर ऋण दिये जाते हैं और सरकार कितने प्रतिशत वसूली का दायित्व लेती है। हमें हर वर्ष राज्य-कोष से कुछ राशि इसे चलाने के लिये लगानी पड़ती है। हम उद्योगों को सस्ती दरों पर ऋण देते हैं। कुछ उद्योगपतियों के लाभ के लिये भी हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। इसलिये, हमारे सामने उसका एक अधिक व्यापक चित्र होना चाहिये और अलग अलग वर्षों के लिये उस के अलग अलग ठीक-ठीक आंकड़े पेश किये जाने चाहिये।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : किस चीज के अलग-अलग आंकड़े ?

श्री के० के० बसु : ये ऋण छः वर्ष पूर्व दिये गये थे। उनमें से कुछ ही वसूल होने योग्य होंगे। फिर, नये ऋण भी दिये जा रहे हैं। इनका भी कुछ हिस्सा वसूल नहीं हो सकेगा। मुझे चिन्ता केवल इसी बात की है कि हमने एक माह पहले इस निगम के प्रशासन के सम्बन्ध में जो चर्चा की थी और विधि में जो कुछ संशोधन किया था, उससे इसकी स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं, राज्यकोष इसके भार से मुक्त होगा या नहीं। मैं यही जानना चाहता हूं।

श्री मरारका (गंगानगर—झुंझनू) : मैं वित्त मंत्रालय की मांग संख्या ३७ का समर्थन करते हुये उस सम्बन्ध में कार्यसाधक मंत्री से कुछ सूचना भी चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस मांग का एक बड़ा भाग औद्योगिक वित्त निगम से सम्बन्धित है। सौदीपुर लास वर्क्स के बारे में न

जाने कितनी बातें कही जाती हैं । पता नहीं वे कहां तक सच हैं । जहां तक मुझे मालूम है सरकार ने उस में अभी तक ११५ लाख रुपयों से अधिक लगा दिये हैं । अग्रेतर सूचना यह है कि अब उसे ६२ लाख रुपयों में एक जापानी व्यापारिक संस्था के हाथ बेच दिया गया है और उस संस्था को इसे खरीदने के लिये भी इसी निगम ने पेशगी रक़म दी है ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है । यदि हां, तो सभा यह जानना चाहेगी कि इसके विक्रय के लिये निगम ने क्या पद्धति अपनाई थी ॥ इसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके बेचा गया है, या इसके लिये कोई समिति बनाई गई थी । यह एक दिलचस्प बात है कि ५ अप्रैल, १९५२ तक इसमें सरकार के कुल ४७ लाख रुपये लगे हुये थे । तभी यह कहा गया था कि यह कभी सफल नहीं होगा और इसे बेच कर निगम की रक़म वसूल करली जानी चाहिये । पर पता नहीं क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया और रुपया फंसाया जाता रहा, और फिर एकाएक इसे ६२ लाख रुपयों में बेच दिया गया शायद सरकार ने सोचा हो कि विदेशी लोग इसकी व्यवस्था ज्यादा अच्छी तरह कर सकेंगे, पर दिल्ली की गृह-निर्माण फैक्टरी का अनुभव तो इससे भिन्न है । वह वार्षिक पट्टे की रक़म तक को नहीं चुका पाये थे । यह कहते भी काम नहीं चलेगा कि यह निगम एक स्वतन्त्र निकाय है, स्वायतशासी संगठन है । इस निगम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीमा कम्पनियां, और कई बड़े-बड़े न्यास भागीदार हैं और जनता का इतना सारा धन इसमें लगा हुआ है । इसलिये, इसकी और उत्तम व्यवस्था आपेक्षित है । इस निगम के निर्देशक ऋण वसूल में और रुपया लगाने में लापरवाही बरतते रहे हैं । इसके लिये कुछ अधिक कठोर उपायों की आवश्यकता है । मंत्रालय को पूरा विवरण देना चाहिये कि यह सोदीपुर ग्लास वर्क्स किस प्रकार चलाया गया है, और इसमें इतने रुपये के डूब जाने का उत्तरदायित्व किस पर है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : सरकार द्वारा प्रत्याभृत लाभांश की दर केवल २। प्रतिशत है । सरकार ने मुझे सूचना दी है कि औद्योगिक वित्त निगम द्वारा विभिन्न कम्पनियों को दिये जाने वाले ऋण की ब्याज की दरें बाजार दरों पर आश्रित रहती हैं । लेकिन, मैं उदाहरण दे सकता हूं । सिंगरेनी कोलियरी ने ५० लाख रुपयों का ऋण मांगा था, पर निगम उसे ६ या ७ प्रतिशत से कम पर ऋण देने को तैयार नहीं हुआ था । लेकिन, दूसरी ओर सरकार की ओर से औद्योगिक वित्त निगम को घाटा पूरा करने के लिये हर वर्ष एक वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है—आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों वाला प्रशासन, या २। प्रतिशत से कम दर पर कई कम्पनियों और फर्मों को दिये गये ऋण ?

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं कि इस सभा में माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों पर कई बार चर्चा हो चुकी है । हाल ही में, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम को संशोधित किया गया था । उस समय प्रत्येक बात पर चर्चा की गई थी । अभी कोई नई बात नहीं कही गई है । फिर भी, अपने विचार में मैं सभी बातों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा ।

जहां तक सोदीपुर ग्लास वर्क्स का सम्बन्ध है, मेरे विचार से उसे पेशगी दी गई कुल रक़म १ करोड़ रुपयों से कुछ अधिक है यह राशि १ करोड़ ३ लाख रुपयों के आस पास है । इस आंकड़े को ठीक किया जा सकता है । उसे एक जापानी फर्म को बेच दिया गया है । यह विक्रय व्यक्ति-

[श्री ए० सी० गुह]

गत रूप से बातचीत करके नहीं, टेण्डर मांग कर किया गया था। निगम ने जिम्मेदार और बहुप्रच लित समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर खरीदारों के टेन्डर मांगे थे। निगम ने पहले तो यह कोशिश की थी कि इस संस्था को किसी भी व्यवसायिक दल को पट्टे पर दे दिया जाये लेकिन उसके लिये कोई भी उचित प्रस्ताव नहीं आया। वास्तव में, पट्टे पर लेने के लिये कोई तैयार नहीं था। जो कुछ भी प्रस्ताव किया गया उसे प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता। और, इसकी बिक्री के लिये भी लोगों में कोई उत्साह दिखाई नहीं दिया। उन सभी में, जापानी फर्म का प्रस्ताव ही, मेरे विचार में, सबसे उत्तम था। मेरे विचार में, उसका मूल मूल्य-कथन लगभग ६० लाख, या इतना ही कुछ था। कुछ भारतीय फर्मों के मूल्य-कथन १०, १५ और २० लाख रुपयों तक के ही थे। औद्योगिक वित्त निगम ने एक समझौता समिति बना दी और उस समिति ने वित्त मंत्रालय से परामर्श करके यही निश्चय किया कि इसे जापानी फर्म को ही दे देना चाहिये क्योंकि वही सबसे ऊँचा मल्य-कथन हमें मिल सका था। मैं श्री मुरारका और अन्य सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि इस मामले पर सरकार के उच्चतम स्तर पर विचार किया गया था। इसे केवल वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री ने तय नहीं किया था। इस पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और सरकार ने यही निश्चय किया कि वही सबसे ऊंचा मूल्य-कथन था और उसी को स्वीकार किया जाना चाहिये। यह कम्पनी —अशाइ ग्लास वर्क्स—शीट ग्लास की एक सर्वोत्तम निर्माता भी है। जापान में भी उनकी एक बहुत अच्छी फैक्टरी चल रही है। उसने ६२ लाख रुपये मूल्य लगाया था। यह सच है कि वह राशि नकद अदा नहीं की गई है। उस पर ३॥ प्रतिशत व्याज लगेगा और वह कई किस्तों में अदा की जायेगी। मेरे ख्याल में, वह १७ किस्तों में अदा होगी।

मैंने पहले भी किसी अवसर पर इस सभा से सौदीपुर ग्लास वर्क्स की दुखद स्थिति को छिपाने का प्रयास नहीं किया है। जैसे भी हो, वह एक बुरा और बहुत ही ुरा सौदा था और हमने यथाशक्ति अच्छी प्रकार से उसे करने की कोशिश की है, या जैसा कि दूसरी ओर बैठे हुए मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है कि हमने कम से कम बुरी तरह उससे छुटकारा पाने की कोशिश की है।

जांच समिति ने भी इस मामले की जांच की थी और इस सभा में उसके प्रतिवेदन पर चर्चा भी हुई थी। इसलिये मेरे पास अब इस मामले के सम्बन्ध में कहने के लिये कोई नई बात नहीं रही है।

श्री मुरारका : निगम ने कुल कितना धन लगाया था ?

श्री ए० सी० गुह : मेरे विचार में, वह १,०३,००,००० रुपये होगा, १,१५,००,००० रुपये नहीं; १ करोड़ रुपयों से कुछ अधिक।

श्री के० के० बसु : पहली किस्त कब अदा होगी; या वह पहले पांच वर्षों तक कुछ भी अदा नहीं करेंगे ?

श्री ए० सी० गुह : ऋण लेने की तिथि के दूसरे वर्ष से पांचवे वर्ष तक वह २,२०,००० रुपये देते रहेंगे और उस वर्ष वह ४,८०,००० रुपये देंगे।

श्री मुरारका ने गृह-निर्माण फैक्टरी के बारे में भी कुछ कहा था। विदेशी विशेषज्ञों के हमारे अनुभव कोई खास अच्छे नहीं र हैं, लेकिन मैं उस कम्पनी और इस कम्पनी साथ हुए समझौतों के परस्पर अन्तर को बताना चाहता हूँ। उस कम्पनी में तो सरकार एक विदेशी फर्म और एक भारतीय फर्म के साथ हाथ बटा रही थी। लेकिन, इसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। इसे

तो पूरी तौर से बेच दिया गया है। रकम की अदायगी के लिये, शायद पहली शर्त यह थी कि वह ६ माहों में दो लाख रुपये जमा कर देंगे। यह रकम उन्होंने अदा कर दी है। अब वह एक भारतीय कम्पनी बनायेंगे। शायद उसे अगले वर्ष जनवरी या फरवरी में बनाया जाये। जहां तक मैं कह सकता हूँ, यह कम्पनी उचित ढंग से चल रही है और अभी तक ऐसा कुछ देखने में नही आया है जिससे कि यह नतीजा निकाला जाये कि यह जापानी कम्पनी इस फैक्टरी को सफलतापूर्वक नहीं चला पायेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या कोई जमानत ली गई है ?

श्री ए० सी० गुह : बैंक की गारंटी है। फैक्टरी की जांच की गई थी और विशषज्ञों को इसका भरोसा हो गया था कि इस कम्पनी की यंत्र-सज्जा बिलकुल आधुनिकतम है। हमें आशा है कि वह इस फैक्टरी को उचित तौर पर चला सकेंगे और यह फैक्टरी ऐसा कांच तैयार करेगी जो देश की औद्योगिक सम्पदा में वृद्धि करेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं जान सकता हूं कि सरकार ने ही इस फक्टरी को क्यों नहीं चलाया ?

श्री ए० सी० गुह : मैं पिछल अवसर पर इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। माननीय सदस्य यह समझ सकते हैं, कि न तो औद्योगिक वित्त निगम और न वित्त मंत्रालय ही इस प्रकार की फैक्टरी चलाने में समर्थ है। केवल उत्पादन मंत्रालय ही इसे चला सकने की स्थिति में था। हम ने कई बार उत्पादन मंत्रालय से इसके लिये कहा भी था, पर वह इस पर तैयार नहीं हुआ।

श्री के० के० बसु : क्या ऐसी कोई शर्त है कि वह इस फैक्टरी को चलाये ही और बेचकर चल न जाय ?

श्री ए० सी० गुह : वह एक भारतीय कम्पनी बनायेंगे और हमें आशा है कि दो-तीन माहों में जनवरी या फरवरी तक वह बन जायेगी। वह एक भारतीय कम्पनी होगी। उसमें भारतीय पूंजी भी होगी।

श्री अच्युतन : मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें कुल कितनी हानि हुई है ?

श्री ए० सी० गुह : सीधी सी बात है, १०४ लाख रुपयों में से ६२ लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इसलिये, लगभग ४२ लाख रुपये की हानि हुई है।

श्री अच्युतन : इतने वर्षों तक के व्याज की रक़म ?

श्री ए० सी० गुह : व्याज की दर ३·५ प्रतिशत है। निगम द्वारा सरकार को यही व्याज दर अदा की जाती है

श्री चौधरी ने निगम के बारे में यह भी कहा था कि इसको दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि बढ़ती ही जा रही है यदि वह बाद का पैरा पढ़ें, तो उन्हें उसमें इसका कारण मिल जायेगा। इस वर्ष निगम ने कठिन और संशय पूर्ण ऋणों के लिये रिजर्व बैंक में १५ लाख रुपया जमा कर दिये हैं। पिछले वर्ष, शायद ऐसा नहीं किया गया था। मैं उनका ध्यान पृष्ठ ८ के दूसरे पैरे के उप पैरे (१), (२) और (३) की ओर खींचूंगा। सौदीपुर ग्लास वर्क्स को दी जाने वाली पेशगी रकम पर इस वर्ष ब्याज नहीं लगाया गया है। पहले लगाया गया था और उसका हिसाब रखा गया था, हालांकि उसकी वसूली नहीं की गई थी। माननीय सदस्य पायेंगे कि ६ कम्पनियों पर निकलने वाले ब्याज को लाभ और हानि लेखे में शामिल नहीं किया गया है और निगम के लेख-परीक्षक की सम्मत्ति पर

[श्री ए० सी० गुह]

कठिन और संशय पूर्ण ऋणों के लिये १५ लाख रुपये अलग रख दिये गये हैं।

पहले उसकी व्यवस्था ठीक नहीं रही है। पर, अब मुझे पूरी आशा है कि वह काफ़ी सफल रहेगी और अब उसे ऐसी कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी। हालांकि मैं यह नहीं कहता कि वह दोषों से सर्वथा मुक्त हो जायेगी। मेरा विचार है कि इस छोटी सी अवधि में भी व्यापारी वर्ग में एक वित्तीय निकाय के रूप में उसकी साख काफ़ी बढ़ गई हैं।

श्री के० के० बसु : अवश्य बढ़ेगी, यदि आप बिना ब्याज लिये ऋण देंगे तो वे अदा नहीं करेंगे ।

श्री ए० सी० गुह : इन न अदा करने वालों में से चार की व्यवस्था निगम ने अपने हाथों में ले ली है। इतनी सारी कम्पनियों में से केवल ४–६ ही ब्याज अदा करने में असमर्थ रही हैं, और मैं नहीं समझता कि यह कोई इतनी बुरी बात है।

श्री के० के० बसु : राशि कितनी है? यह कांच का कारखाना एक कारखाना हो सकता है परन्तु राशि १४२ लाख रुपये हैं, एक और राशि किसी और वस्तु के सम्बन्ध में ६५ लाख रुपये हैं।

श्री ए० सी० गुह : इन छ समवायों से सम्बन्धित राशियां हैं १९ लाख, १८ लाख, ४ लाख, ७ लाख, ७ लाख और ६ लाख रुपये : मैं लगभग आंकड़े, बता रहा हूं। वास्तव में इन में कुछ हजार भी हैं। मैं समझता हूं कि इनकी अस्तियां निगम के विनियोजन के बराबर ही होंगी ।

श्री के० के० बसु : यह पहले के दिये गये ऋण हैं या हाल के ?

श्री ए० सी० गुह : यह ऋण १९४९-५० में स्वीकृत किये गये थे। मैं समझता हूं कि मैंने उन सब आपत्तियों का उत्तर दे दिया है जो कि माननीय सदस्यों ने उठाई हैं और मैं आशा करता हूं कि अनुपूरक मांग पारित कर दी जायेगी।

श्री के० के० बसु : अगले बार वे हमें इस का ब्योरा बतायें ।

श्री ए० सी० गुह : यहां जो टिप्पण दी गई है उस में पर्याप्त जानकारी दी गई है।

श्री के० के० बसु : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमें बतावें कि कुल राशि कितनी है क्योंकि यह बढ़ने वाला समवाय है। एक वर्ष में २० लाख रुपये रहा है, परन्तु आगामी वर्ष हो सकता है कि २ करोड़ रुपये रहा हो जो हो सकता है प्राप्त न हो सके।

श्री ए० सी० गुह : इसे वार्षिक प्रतिवेदन के साथ पढ़ना चाहिये जो कि सभा-पटल पर रख दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने हमें ब्याज नहीं दिया था जो कि प्रभारित किया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें आयव्ययक रखे जाने तक राह देखनी चाहिये ।

श्री राधवाचारी (पेनुकोंडा) : जब हम पृष्ठ ८ की टिप्पण पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 'आदेय' मदों में कुछ ऐसी राशियां सम्मिलित कर दी गई हैं जो मूल रूप से इस में सम्मिलित की जाने वाली नहीं हैं। कभी हम देखते हैं कि वे इस राशि को 'आदेय' नहीं समझते हैं। अब उनको परामर्श दिया गया है कि इसे 'आदेय' मद में बदल दें। संविधान में दिया हुआ है कि कुछ मदें 'आदेय' होंगी जिसका अर्थ है कि इस सभा को उन के सम्बन्ध में मत देने का कोई अधिकार नहीं है। अब इस टिप्पण में बताया जा रहा है कि भारत सरकार को परामर्श दिया

गया है कि ऐसे भुगतान भारत की संचित निधि में से होने चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि यह हो कैसे जाता है कि जो मदें पहले 'प्रभारित' नहीं थी वे एक दम से प्रभारित मदों में कैसे बदल दी गई? क्या यह उनके स्वविवेक पर निर्भरे है?

श्री ए० सी० गुह: जब हम कहते हैं कि सरकार को परामर्श दिया गया है तो इसका अर्थ है कि विधि मंत्रालय ने हमें इस प्रकार का परामर्श दिया है। विधि मंत्रालय ही हमारे विधि प्राधिकारी हैं। उनका कहना है कि इस सभा द्वारा पारित संविधि के अनुसार यह एक दायित्व है। इस लिये इस पर मतदान नहीं होना चाहिये वरन् इसे प्रभारित अनुदान समझा जाना चाहिये। इसी लिये ऐसा किया गया है। जो राशि अभी तक मतापेक्षी समझी जा चुकी है वह अब वापस कर दी जायेगी। इसलिये वास्तविक राशि जिसकी हम मांग कर रहे हैं लगभग ४·२५ लाख रुपये होगी।

श्री राघवाचारी: "प्रभारित" मदों का विवरण तथा उनका ब्योरा संविधान में दिया जा चुका है। यदि उसमें कोई मद बढ़ाई जाती है तो उसे सभा के सामने रखना चाहिये और तब उस पर विनिश्चय किया जाना चाहिये।

श्री ए० सी० गुह: मैं समझता हूं कि इस सूची में किसी मद के बढ़ाने का प्रश्न नहीं। यह तो निर्वचन का प्रश्न है। विधि मंत्रालय का निवचन है कि चूंकि यह एक संविहित दायित्व है इसलिये प्रभारित अनुदान की श्रेणी में रखना चाहिये न कि मतापेक्ष मद की श्रेणी में।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि ऐसे विषयों में अन्तिम विनिश्चय करने का प्राधिकारी कौन है। यदि सरकार विचार करें कि एक मद विशेष "प्रभारित" है जो कि अभी तक मतापेक्षी समझी जाती थी तो इसमें संसद् को मत देने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि सरकार को दिये गये विधि सम्बन्धी परामर्श और सदस्यों के परामर्श में मतान्तर हो तो विनिश्चय कौन करेगा—राष्ट्रपति या सरकार?

श्री ए० सी० गुह: भारत सरकार ने विधि मंत्रालय का परामर्श स्वीकार कर लिया है।

श्री राघवाचारी: संविधान में व्यय की उन मदों की सूची दी हुई है जोकि "प्रभारित" मदें समझी जायेंगी। यह मद उन मदों की किसी श्रेणी के अंतर्गत है?

उपाध्यक्ष महोदय: क्या इस पर एक बार मतदान हो चुका है?

श्री ए० सी० गुह: जी नहीं। पहले आय-व्ययक में मतापेक्षी मद के रूप में ७ लाख रुपये की राशि रखी गई थी। अब विधि मंत्रालय ने हमें बताया है कि इसे "प्रभारित" मद समझा जाना चाहिये। इसलिये हम पहले की ७ लाख रुपये की राशि लौटा रहे हैं और अब ११·२५ लाख रुपये की राशि मांग रहे हैं। इसलिये वास्तविक मांग अब केवल ४.२५ लाख रुपये की है। चूंकि पहले वाला अनुदान मतदान द्वारा प्राप्त हुआ था, हम उसे वापस कर रहे हैं और अब ११.२५ लाख रुपये के अनुदान की मांग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया था?

श्री राघवाचारी: एक बार यदि हम यह मान लेंगे कि इसे प्रभारित मद समझा जाना चाहिये तो आगामी वर्ष हो सकता है कि यह मद चार लाख रुपये की न होकर चालीस लाख रुपये की हो। इस लिये इस में जो सिद्धान्त है उसे सभा के सामने रखना चाहिये, उसकी व्याख्या की जानी चाहिये और इसके संबंध में सभा का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिये।

श्री ए० सी० गुह : इस राशि में अंतर के बल उतना ही हो सकता है जितना कि अधिनियम में निर्धारित है; उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह बड़ा गंभीर विषय है । क्या इस विषय में अन्तिम प्राधिकारी विधि मंत्रालय है ? क्या इस सभा को इससे कोई संबंध नहीं है ? यह ठीक है कि यह संवेहित मत है परन्तु, इसके बदलने के संबंध में भी सभा की सम्मति प्राप्त की जा सकती थी । ऐसे विषय में विनिश्चय करने का अधिकार किसको है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस टिप्पणी में अनुच्छेद ११२ का हवाला दिया गया है । यदि यह "प्रभारित" मद है और संधान में सम्मिलित नहीं की गई है और यदि संयोगवश उसके संबंध में मतभेद हो, तो क्या होगा !

पंडित ठाकुर दास भार्गव : प्रश्न केवल इस चार लाख रुपये का नहीं है । मान लीजिये आज वे अमतापेक्षी मदों में से एक भारी मद निकाल कर कमतापेक्षी मदों की सूची में रख दें, तो इसका सिद्धान्त क्या होगा । केवल विधि मंत्रालय का परामर्श हो तो इसके लिए पर्याप्त होगा । क्या ऐसे विषय में इस सभा को या हमारे अध्यक्ष को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वे सात लाख रुपये की राशि लौटा रहे हैं जिसकी अनुमति दी जा चुकी है ?

श्री ए० सी० हुग : हाँ, यह बात तो टिप्पणी में ही उल्लिखित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल मतापेक्षी मदों को ही सभा के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है । विधि मंत्रालय का परामर्श है कि सात लाख रुपये जिसकी अनुमति दी जा चुकी और यह ४ लाख रुपये की मद जिसकी अब आवश्यकता है यह सारी मद "प्राभारी" है । इस पर सभा के विनिश्चय की कोई आवश्यकता नहीं है जब कि सभा के सदस्यों का विचार है कि सभा का मत लेना आवश्यक है । जहां तक मांग संख्या ३७ का प्रश्न है, मुझे कोई विनिश्चय देने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार एक मद को मेंतापेक्षी मदों की श्रेणी से निकालकर प्रविधि मतामर्श के अनुसार अमतापेदेक्षी मदों की श्रेणी रखने का यह पहला उदाहरण है इसलिये मैं इसके संबंध में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री ए० सी० गुह : अनुच्छेद ११२ (३) (ग) में कहा गया है:—

"ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है—जिनके अंतर्गत व्याज, निक्षेप-निधि भार और मोचनभार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन संबंधी अन्य व्यय भी है!"

उसके बाद फिर अनुच्छेद ३६६ (८) में कहा गया है:

"ऋण" के अंतर्गत है वार्षिकियों के रूप में मूलधन राशियों के लौटाने के किसी आभार के विषय में कोई दायित्व तथा किसी प्रत्याभूति के अधीन कोई दायित्व तथा "ऋणभारों" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा;"

उसके बाद अनुच्छेद ३६६ (१३) में कहा गया है;

"प्रत्याभति" के अंतर्गत है कोई ऐसा आभार जो इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व किसी उपक्रम के लाभों के किसी उल्लिखित राशि से कम होने की अवस्था में देने के लिये उठाया गया हो;"

इसलिये किसी उपक्रम के संबंध में प्रत्याभूति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रत्याभूति के अन्तर्गत एक ऋण भार है, तो यह प्रभारित है इसलिये इसे सभा के सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सरकार का मत है और यही परामर्श सरकार को दिया गया है।

श्री राघवाचारी : यह ऐसी मद है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रथम रूप से दिखाई जानी चाहिये थी या जिसे इस "प्रभारित" सूची में सम्मिलित करना चाहिये था। मैं यह नहीं कहता हूं कि किसी कूट रचना या दुराव के कारण ऐसा किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर मतदान हो चुका है और सभा ने सात लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया था। वर्ष के मध्य में पता चला कि सात लाख पर्याप्त नहीं है। ग्यारह लाख रुपये की आवश्यकता है। इसी बीच विधि मंत्रालय का परामर्श आ गया कि यह मतापेक्षी मद नहीं है वरन् "प्रभारित" मद है। यदि यह मतापेक्षी मद रहती तो सरकार चार लाख रुपये के सहायता अनुदान की मांग रखती अब चूंकि विधि मंत्रालय के परामर्श के अनुसार वे इसे प्रभारित मद मानते हैं, इसलिये वे उस राशि को लौटा रहे हैं और ग्यारह लाख रुपये की प्रभारित मद हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिये सभा के मत की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि जब सभा एक बार मतापेक्षी मद के रूप में किसी मद को स्वीकार कर चुकी है तो क्या विधि मंत्रालय के परामर्श से उसे बदल कर अमतापेक्षी मदों को सूची में रखा जा सकता है। चूंकि सात लाख रुपये की इस राशि को लौटाने के लिये सभा के मत की आवश्यकता नहीं है। तथा और अधिक चार लाख या ग्यारह लाख रुपये के लिये सभा के मत की आवश्यकता नहीं है इसलिये यह केवल एक वाद-विवाद का प्रश्न है। मांग संख्या ३७ चूंकि "प्रभारित" मद के रूप में समझी जा रही है इसलिये उसके संबंध में सभा के मत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मांग संख्या ४० पर वाद-विवाद करेंगे।

श्री एन० बी० चौधरी : तब फिर इसे सभा के सामने प्रस्तुत करने का प्रयोजन क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को ज्ञात होना चाहिये कि प्रभारित मदों के लिये सभा के मत की आवश्यकता नहीं होती फिर भी वे सूचना के लिये तथा विवाद के लिये सभा के सामने रखी जाती हैं जिससे सभा उनके संबंध में अपने सुझाव दे सके।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : क्या सभा इस प्रश्न पर विनिश्चय कर सकती है कि सरकार का पुनरीक्षित मत ठीक है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम सरकार को इस बात के लिये विवश कैसे कर सकते हैं कि वह इसे मतापेक्षी मद के रूप में रखे जब कि सरकार का विचार है कि यह अमतापेक्षी है ? आयव्ययक की सामान्य चर्चा के समय ही हम इस विषय पर वाद-विवाद कर सकते हैं।

श्री राघवाचारी : यह प्रश्न तो निपटाना ही पड़ेगा कि मदों का इस प्रकार एक सूची से निकालकर दूसरी सूची में रखना उचित है या नहीं। इस समय चुप रहने का अर्थ यह नहीं कि सभा सरकार के इस श्रेणी-विभाजन को अन्तिम रूप से स्वीकार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो कुछ सुझाया है वह ठीक नहीं। सरकार केवल इतना चाहती है कि सभा इस व्यय के संबंध में अपना सुझाव दे सके। उन्होंने इसे 'प्रभारित' मद समझा है। संविधान में ऐसी कोई बात नहीं जिसके आधार पर यह कहा जाये कि सरकार गलती पर है। माननीय सदस्यों को इसके संबंध में जो कुछ कहना है, वह विनियोग विधेयक रखे जाने के समय कह सकते हैं। यही एक ढंग है जिस के अनुसार सभा इस विषय पर वाद-विवाद कर सकती है। अब सभा अगली मद पर विचार करेगी।

मांग संख्या ४०—विभाजन-पूर्व भुगतान

उपाध्यक्ष महोदय : इस मांग पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है ।

श्री ए० सी० गुह : इस मद पर भी मतदान नहीं हो सकता ।

श्री एन० बी० चौधरी : हम मध्यस्थों के पंचाट के अनुसार २०.८५ लाख रुपये का भुगतान करने जा रहे हैं जिसमें से १२.८ लाख रुपये हेस्टिंग जूट मिल्स को और ८.०५ लाख रुपये केनिसन जूट मिल्स को दिये जायेंगे । ब्रिटिश शासन में भारत सरकार द्वारा भारतीय जूट मिल्स असोसियशन के साथ किये गये कुछ करारों के कारण यह धनराशि देनी है । यह युद्ध कालीन करारों के संबंध में है । किन्तु हम देखते हैं कि लंबी वार्ता हुई थी और मध्यस्थों को इस विषय को निपटाने के लिये पांच वर्ष लगे । अभी २५ अप्रैल, १९५५ को पंचाट घोषित किया गया । अब सरकार यह कह सकती है कि विषय मध्यस्थों के पास था और इसलिये वह लाचार थी । किंतु उसके पूर्व भी अर्थात् १९५० तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक लंबा समय था । अतः मैं जानना चाहता हूं कि और आगे किए जाने वाले भुगतानों के दायित्व हटाने के लिये इन विषयों को निबटाने की दशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है । युद्ध समाप्त होने के बाद भी अधिक अमरीकी सभान रखने के लिये भू-गृहादि का उपयोग किया गया था । इन सबसे यह दिखायी पड़ता है कि विभाजन-पूर्व भुगतानों का दायित्व यथासंभव शीघ्र समाप्त करने और अग्रेतर दायित्व इकट्ठा न होने देने के लिये सरकार ने कोई विशेष कार्यवाही नहीं की है । इन मामलों का निबटारा करने के लिये सरकार १५ अगस्त, १९४७ के बाद बिलकुल असमर्थ थी यह बात बहुत स्पष्ट नहीं है । मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जूट मिल्स असोसियेशन के साथ किये गये करार की शर्तें भी बहुत अस्पष्ट है । बह बात ठीकहै कि भारत सरकार ने असोसियेशन के दावे स्वीकार नहीं किये हैं और इसी कारण यह विषय इतनी देर तक मध्यस्थ निर्णय के अधीन था । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस प्रकार इस मामले को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है, वह बहुत संतोषजनक नहीं है । परिणाम यह हुआ कि दायित्व पूरे न किये जा सके और अन्त में हमें इतनी बड़ी धनराशि स्वीकार करनी है । अब भी हम नहीं जानते कि वास्तव में देयराशि कितनी है । उनका दावा ४९·२१ लाख रुपये के लिये है और यहाँ हमने केवल २०·८५ लाख रुपये की व्यवस्था की है । इसका यह अर्थ है कि अब एक दूसरी बड़ी राशि के लिये वार्ता जारी रहेगी और हम नहीं जानते कि यह मामला कब तय होगा । इससे यह दिखायी पड़ता है कि १५ अगस्त, १९४७ के बाद इस मामले को उचित ढंग से नहीं सुलझाया गया और इसी कारण हमें ब्रिटिश पूंजीपतियों को इतनी लंबी रकम देनी पड़ रही है ।

श्री के० के० बसु : युद्ध १९४५ में ही समाप्त हो गया था किन्तु भूगृहादि मार्च, १९५१ में वापस किये गये । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इन भू-गृहादि के वापस किये जाने में इतनी देर क्यों लगी । दूसरी बात यह है कि इन मिलों ने वास्तव में भू-गृहादि का कब्जा कब लिया? मैं इस बात पर इसलिये जोर देना चाहता हूँ कि संभव है कि मुनाफों का घाटा जिसका उन्होंने दावा किया है, उस संपूर्ण अवधि के लिये हो जब कि मिलें काम नहीं करती थीं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुनाफों में कभी युद्ध के दौरान में, १९४७ के पूर्व या वापस किये जाने के दिन तक या उसके बाद की अवधि में हुई है । मैं आशा करता हूँ सरकार इस विषय को स्पष्ट करेगी । एक बात और है । जहाँ तक मुझे याद है, कुछ ऐसा समझौता था कि विभाजन-पूर्व ऋणों का कुछ प्रतिशत पाकिस्तान सरकार देगी । मैं जानता हूँ कि ऐसे अनेक व्यक्ति है जो सरकार स विभाजन-पूर्व ऋणों के भुगतान की मांग कर

रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं दिया गया है। मेरी आशंका है कि चूंकि वह एक बहुत बड़ी संस्था है, इसलिये उससे कुछ समझौता हो गया है। मुझे ज्ञान हुआ है कि मध्यस्थों को पंचाट देने के पांच वर्ष का समय इसलिये लग गया कि किसी शर्त की व्याख्या के बारे में विवाद था जो भी हो चाहता हूँ कि माननीय मंत्री स्थिति स्पष्ट करें और निर्णय के लिये इस दीर्घ विलंब का कारण बतायें। साथ ही वे यह भी बतायें कि मुनाफों में कमी किस अवधि में हुई है और भू-गृहादि के वापस किये जाने में इतनी देर क्यों लगी।

श्री एम० सी० शाह : प्रश्न बह उठाया गया है कि हमें इस करार को पूरा क्यों करना चाहिये था। क्या आपका यह सुझाव है कि विभाजन-पूर्व किये समझौते को हम अस्वीकार कर दें। यह मान लिया गया है कि हमें विभाजन से पहले के ऋण चुकाने चाहियें। यदि यह मान लिया जाता है कि हम उस करार को स्वीकार करें, तो मेरी समझ से इस मांग पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।

मांग पर टिप्पणियों में इस विषय का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। करार के अनुसार विवाद उपस्थित होने पर, वह विषय मध्यस्थों को सौंप दिया जाना चाहिये। अतः हम मध्यस्थों से यह किस प्रकार कह सकते हैं कि वे अपना विनिश्चय अमुक निश्चित अवधि के अन्दर ही दे दें। जैसा कि श्री के० के० बसु ने कहा कि वह संस्था बड़ी संस्था है। फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि मध्यस्थ ने ठीक ढंग से और उचित प्रकार से कार्य नहीं किया है?

श्री के० के० बसु : मेरा प्रश्न यह है कि इस बिलंब के लिये सरकार उत्तरदायी है या जूट मिलें? क्या इन यें से एक पक्ष उत्तरदायी है अथवा वह मध्यस्थों पर छोड़ दिया गया था?

श्री एम० सी० शाह : कोई उत्तरदायी नहीं है। मैं मध्यस्थों के सामने कई एसे मामलं जानता हूँ जो सरकार ने उन्हें भेजे। इन कार्यवाहियों में बहुत बहुत समय लगता है। कुछ विवरण प्रस्तुत करने होते ह अथवा कोई साक्ष्य लेना होता है। इन सबमें कुछ समय लगता है। इस विलंब से मध्यस्थों द्वारा स्वीकृत दावे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह केवल करार स्वीकार करना है। यदि हम विभाजन-पूर्व ऋण स्वीकार नहीं करते तो दूसरे पक्ष को न्यायालय में जाने का अधिकार है और उसे कहीं अधिक राशि मिल सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी रकम २६ लाख रुपये या अधिक की मांग है। मध्यस्थ ने धनराशि बहुत कम कर दी है। अतः मेरी समझ में इस बारे में कोई आपत्ति नहीं ली जा सकती।

श्री के० के० बसु : ऐसे अनेक ऋण हैं जो पाकितान सरकार को चुकाने थे। मैं जानता हूँ कि अब भी कुछ व्यक्ति बहुत बड़ी-बड़ी धनराशियां सरकार से मांगने हैं जिनके भुगतान के लिये सरकार पाकिस्तान सरकार को उत्तर-दायी ठहराती है और पाकिस्तान सरकार भुगतान करने से इन्कार करती है। क्या यह भुगतान पाकिस्तान सरकार के नाम में है अथवा हमारे नाम है? मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूँ?

श्री एम० सी० शाह : यह मांग भारत सरकार को पूरी करनी थी। इसलिये भारत सरकार ने वह दायित्व स्वीकार कर लिया था। वास्तव में बात यह है कि अमरीकी सरकार का कुछ सामान उन्हें दे दिया गया और भारत सरकार को कुछ धनराशि प्राप्त करनी थी। हमने अतिरिक्त सामानों से एक निश्चित धनराशि से अधिक वसूल कर लिया है। उस सामानों से प्राप्त धनराशि का समायोत्रन अमरीकी सरकार और भारत सरकार के बीच किया जाना था। हमें ये सभी चीजं प्राप्त हो गयी हैं। अतः हमने वह दायित्व स्वीकार कर लिय है जो विभाजन के पूर्व ही स्वीकार किया गया था। अतः इसमें कोई गलती नहीं है और इस मांग को स्वीकार करने और यह धन-राशि देने में कोई असाधारण बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मांग पर मतदान नहीं लिया जायगा। यह भी एक प्रभृत मद है। शेष मदों पर सोमवार को विचार किया जाय।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थागित हुई।

[शनिवार, १० दिसम्बर, १९५५]

मंत्री द्वारा वक्तव्य ७०९३–९५

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) ने मद्रास के हाल के तूफान स रेलवे परिवहन व्यवस्था को होने वाली क्षति के बारे में वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखा गया पत्र ...७०९६–९७

संविधान (राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा) आदेश, १९५५ की एक प्रति

राज्य-सभा से सन्देश ७०९७–९८

सचिव ने बताया कि राज्य-सभा से निम्न सन्देश प्राप्त हुए हैं।

(१) कि राज्य सभा अपनी ८ दिसम्बर, १९५५ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २२ नवम्बर, १९५५ को पारित किये गये भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५५ से बिना किसीसंशोधन के सहमत हो गई है।

(२) कि राज्य-सभा अपनी ८ दिसम्बर, १९५५ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १ दिसम्बर. १९५५ को पारित किये गये मनीपुर (न्यायालय) विधेयक, १९५५ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(३) कि राज्य-सभा ने ७ दिसम्बर, १९५५ की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा २८ नवम्बर, १९५५ को पारित किये गये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक क शोधनों सहित पारित कर दिया है और विधेयक को इस प्रार्थना के साथ वापस कर दिया है कि संशोधनों पर लोक-सभा की सहमति राज्य-सभा को सूसचित की जाये।

राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में विधेयक-७०९८

सभा-पटल पर रखा गया :

सचिव ने राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

विधेयक पारित.....७०९८–७१३८

(१) भारती प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर विचार हुआ खंड १ और २ स्वीकृत हुए तथा विधेयक पारित किया गया

(२) भारतीय प्रशुल्क (तीसरा संशोधन विधेयक पर अग्रेतर विचार किया गया। खंड १ और २ स्वीकृत हुए तथा विधेयक पारित किया गया।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें ७१३७—७२१४

उत्पादन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या ८५ और १३१, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या ४ और वैदेशिक काय मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या २२ पर चर्चा की गई तथा पूरी स्वीकृत हुई।

वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या ३७ और ४०, जो भारित मदें हैं, पर भी चर्चा की गई।